

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED**TELEPHONE DIRECTORY**

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. P. S. Jat	M. D. Ajmer	0145-2421430 0141-2740891	2433538	2630636 2741252	9414004080	26900
Sh. Deepak Shriwastav	Director (Finance), Ajmer	0145-2630877	2628646	2623120	9413390037	24037
Sh. S. K. Bansal	Director (Technical), Ajmer	0145-2627566	2624242	2633915	9414004046	26941
Sh. C. K. Khamesara	Dy. C. E. (Comml.), Ajmer	0145-2629194	2621486	2633508	9414004058	26932
Sh. A. K. Nagori	Z.C.E (O&M/MM/TW), Ajmer	0145-2429196	2624588	2626765	9414004077	26915
Kum. Renu Jaipal	Secretary (Admn.), Ajmer	0145-2432695	2423049	2627534	9414004066	26907
Sh. Keval Ram	Addl. S. P. (Vig.) Ajmer	0145-2631744	2432593	2425420	9414004065	26906
Sh. S. M. Mathur Sh. M. K. Jain Sh. M. K. Gupta	Chief Accts. Officer, Ajmer	0145-2631575	2643809	2631575	9414002000	26904
Neha Sharma	Company Secretary, Ajmer	0145-2627718 0145-2632818	-	2621818	9414004022	26937
Sh. S. S. Shekhawat	TA To M.D., Ajmer	0145-2427076	2641987	2630636	9413392384	26384
Sh. J. R. Choudhary	P.O.(H.Q), Ajmer	0145-2622649	-	2627534	9413391406	25406
Sh. Mukesh Gupta	A. P. O (H.Q.), Ajmer	0145-2432695	-	2627534	9413391411	25411
Sh. R. P. Jat	P.R.O. Ajmer	0145-2628218	2627530	2630636 2628218	9414004028	26940
Sh. Nemi Chand Kumawat	J.R. Acctt. M.D. Cell, Jaipur	0141-2740891	-	2741252	9413364962	28962
Sh. A.K. Bhatnagar	U.D.C., M.D., Cell, Jaipur	0141-2740891	-	2741252	9413391480	25480
Rest House	Gokhle Lane, Civil Lines, Ajmer	0145-2623594	-	-	9413364802	28802
Corporate	-	-	-	-	-	-
Office PBX	-	0145-2627848	-	-	-	-

Company Secretary

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Neha Sharma	Company Secretary, Ajmer	0145-2627718 0145-2632818	-	2621818	9414004022	26937

Legal Cell

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. S. S. Shekhawat	XEN (Legal), Ajmer	0145-2629563	2641987	2621818	9413392384	26384
Sh. Anami N. Mathur	Asstt. Law Officer - I	0145-2629563	2640414 (p)	2621818	9413391409	25409
Sh. Abdual Kalam Khan	Asstt. Law Officer - II	0145-2629563	-	2621818	9413391410	25410

Accounts Wing

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. S. M. Mathur	Chief Accts. Officer, Ajmer	0145-2631575	2643809	2631575	9414002000	26904
Sh. M. K. Goyal	SC. A.O. (I.A, W&M), Ajmer	0145-2622450	2525138	2631575	9413391412	25412
Sh. M. K. Jain	SC. A.O. (Rev.), Ajmer	0145-2631687	2640877	2431091	9413391545	25545
Sh. B. L. Sharma	SR. A.O.(MM/TW/A G Audit)	0145-2625151	-	2623120	9413391413	25413
Sh. S. N. Sharma	SR. A.O. (CPC), Ajmer	0145-2621341	2600595	2631575	9413391447	25447
Sh. R. B. Agrawal	SR. A.O. (Comml), Ajmer	0145-2622561	2600715	-	9413391443	21443
Jyoti Jain	SR. A.O. (Rev.), Udaipur	0294-2488289	2461608	2483132	941331603	25603
Sh. S. K. Savrnkar	SR. A.O. (JJN/Z), Jhunjhunu	01592-237608	-	236190	9413391607	25607
Sh. K. L. Tak	Rted. SR. A.O. (H.Q.), Bhilwara	-	242784	-	9414004024	26938
Chander Gokalani	A.O. (I.A), Ajmer	0145-2622869	-	-	9413391439	25439
Sh. G. L. Modi	A.O. (I.A), Udaipur	0294-2481537	-	-	9413392357	26357
Sh. N. L. Agarwal	A.O. (I.A),	01592-233248	-	-	9413392358	26358

	Jhunjhunu					
Sh. Anil Tattu	A.O. (Accounts),Ajmer	0145-2622402	-	2631575	9413391414	25414
Sh. S. L. Tamboli (AAO)	A.O. (EA & Case),Ajmer	0145-2631921	-	2631575	9413391415	25415
Sh. Jitendra Makwana	A.O. (Budget),Ajmer	-	-	-	9413391554	25554
Sh. B. S. Shekhawat	AAO (Rules/Estt./ (Cont .),	0145-2631687	2625579	2623120	9413391435	25435
Sh. S. P. Jain	AAO (Rev.), Ajmer	0145-2431091	-	2431091	9413391432	25432
Sh. R. P. Sharma	AAO (W&M) SUB Cell Jaipur	0141-2744579	-	2744579	9413392026	26026
Sh. C. P. Purohit	A.A.O. (I.A), Ajmer	0145-2622450	-	2631575	9413391416	25416
Sh. Subhash Chand Jain	A.A.O. (CPC), Ajmer	0145-2621341	2625375	2631575	9413391437	25437

Dy. Chief Engineer (Comml.), Ajmer

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. S. K. Khamesara	Dy. C. E. (Comml.), Ajmer	0145-2629194	2621486	2633508	9414004058	26932
Sh. V. K. Agrawal	AEN-TA To Dy. C.E. (Comml.), Ajmer (Comml-I)	0145-2629194	-	-	9413391440	25440
Sh. V. P. Singh	XEN (Comml-I), Ajmer	0145-2622970	-	2633508	9413391438	25438
Sh. D. K. Sharma	XEN (Comml-II), Ajmer	0145-2622970	-	-	9413391446	25446
Sh. R. B. Agrawal	SR. A.O. (Comml.), Ajmer	0145-2622561	2600715	-	9413391443	21443
Sh. M. L. Prajapati	AEN (Comml-II), Ajmer	0145-2622970	-	-	9413391441	25441
	A.A.O (Comml.), Ajmer	0145-2622561	-	-	9413391600	25600

M & P Wing, Ajmer

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. R. K. Verma	S.E. (M&P) Ajmer	0145-2670593	2670383	2671118	9414004071	26922
	TA To S.E. (M&P), Ajmer	0145-2670593	-	-	9413391486	25486

Sh. S. L. Mathur	AEN (CCR), Ajmer	0145-2670593	-	2671118	9413391485	25485
	XEN (MT), Ajmer		-	-	9413365091	29091
	AEN (ST-I), Ajmer		-	-	9413391488	25488
Sh. H. R. Narania	AEN (ST-II), Ajmer		-	-	9413391489	25489
Sh. P. N. Sharma	AEN (MST), Beawar		-	-	9413391490	25490
	XEN (MT) Kishangarh	01463-247112	-	-	9413391483	25483
Sh. D. K. Bhandari	AEN (MST) Kishangarh	01463-247112	-	-	9413364919	28919
Sh. M. K. Singhal	XEN (MT), Markrana	01588-240480	-	-	9413392552	26552
Sh. Raveesh Tyagi	AEN (MST) Makrana	01588-240480	-	-	9413392216	26216
Sh. H. L. Jat (JEN)	AEN (MST), Nagaur	01582-242899	-	-	9413391491	25491
Sh. Mohd. Saleem	XEN (MT) Sikar	01572-272128	-	-	9413391484	25484
Sh. B. L. Gupta	AEN (MST) Sikar		-	-	9413391492	25492
Sh. S. S. Bareth	AEN (MST) Jhunjhunu	01592-232370	-	-	9413391493	25493
Sh. A. K. Bhargav	SE (M&P), Udaipur	0294-2482057	2413621	-	9414004081	26934
Sh. Avinash Kapranpuria	XEN (MT-I), Udaipur	0294-2427874	-	-	9413364962	28962
Sh. M. S. Jhala	AEN (MT), Udaipur	0294-2490370	-	-	9413391507	25507
Sh. K.S. Sisodia	XEN (MT-II), Udaipur	0294-2427874	-	-	9413364936	28936
Sh. Alok Jain	AEN (ST-I), Udaipur	0294-2427874	-	-	9413391508	25508
Sh. G. S. Intodia	AEN (ST-II), Udaipur	0294-2427874	-	-	9413391509	25509
Sh. R. S. Ahada	AEN (ST), Dungarpur	02964-232440	-	-	9413391515	25515
Sh. M. S. Khamesra	XEN (MT), Chittorgarh	01472-256077	-	-	9413391506	25506
Sh. Sushil Kumar (AEN)	XEN (MT), Kankroli	02952-223106	-	-	9413391504	25504
Sh. H. V. Mittal	AEN (ST), Kankroli	02952-223106	-	-	9413391510	25510
Sh. C. P. Sharma (JEN)	AEN (MST), Chittorgarh	01472-256077	-	-	9413391513	25513
Sh. Ashok	XEN (MT),	01482-240447	-	-	9413391505	25505

Choudhary	Bhilwara					
Sh. K. K. Agarwal	AEN (MT), Bhilwara	01482-232545	-	-	9413391511	25511
Sh. S. K. Upadhya	AEN (ST), Bhilwara	01482-240447	-	-	9413391512	25512
Sh. C. J. Choudhary	AEN (MST), Banswara	-	-	-	9413391514	25514

Material Management Wing, Ajmer

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. G. N. Dani	S.E. (MM), Ajmer	0145-2623583	2625120	2631738	9414004063	26908
	XEN (MM-E1), Ajmer	0145-2627848	-	2631738	9413391503	25503
Sh. V. S. Bhati	XEN (MM-E3), Ajmer	0145-2627848	-	2631738	9413391445	25445
Sh. B. L. Sharma	SR. A.O.(MM), Ajmer	0145-2625151	2603316	2631738	9413391413	25413
Sh. P. P. Ramrakhyani	AEN (MM-A-1), Ajmer	-	-	-	9413391448	25448
Sh. A. K. Goyal	AEN (MM-E1,A- 2), Ajmer	-	-	-	9413391452	25452
Sh. Prashant Kumar	AEN (MM-E3,A- 3), Ajmer	0145-2627848	-	-	9413391451	25451
Sh. Mukesh Thakur	AEN (MM- E3,A5), Ajmer	0145-2627848	-	-	9413391449	25449
Sh. S. N. Sen	A.A.O. (MM), Ajmer	0145-2627848	-	-	9413391455	21455
Sh. C. P. Gandhi	XEN (MM-EE- II), Ajmer	0145-2627848	-	-	9413391476	21476
Sh. Ashok Kumar	XEN (CTL), Ajmer	0145-2671898	-	-	9413364918	28918
Sh. Gautam Bhatt	AEN (MM-E3- A6), Ajmer	-	-	-	9413391454	25454
Sh. B. M. Sharma	AEN (MM-E2- A4), Ajmer	-	-	-	9413391453	25453

Plan Wing

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. B. M. Goyal	S.E. (Plan), Ajmer	0145-2426983	2623246	2632462	9414004060	26916
Sh. M. R. Detwal	XEN (Plan), Ajmer	0145-2427650	-	-	9413391457	25457

Sh. Rajeev Verma	AEN (Plan), Ajmer	0145-2632462	-	-	9413391461	25461
Sh. A. K. Sharma	AEN (Plan), Ajmer	0145-2632462	-	-	9413391460	25460
Sh. N. K. Bhatnagar	AEN (Plan), Ajmer	0145-2427650	-	-	9413391462	25462
Sh. R. C. Keshwani	XEN (S&I), Ajmer	0145-2423553	2642056	2423553	9413391458	25458
Sh. P. C. Vardia(AEN)	XEN (S&I), Udaipur	0294-2483687	-	-	9413391464	25464
Sh. B. S. Doodwal	XEN (S&I), Sikar	01572-272397	-	-	9413391459	25459
Sh. M.R. Jangid (AEN)	XEN (S&I), Jhunjhunu	01592-232492	-	-	-	-
Sh. M. R. Jangid	AEN (S&I), Jhunjhunu	01592-232492	-	-	9413391465	25465
Sh. R. G. Gupta	XEN (RE), Jaipur	0141-2204982	2780050	2204982	9413392203	26203
Sh. R. C. Gajraj	AEN (RE), Jaipur	-	-	-	9413391564	25564
Sh. Ajay Nag	AEN (S&I), Ajmer	0145-2423553	-	-	9413391463	25463
	AEN (S&I), Chittorgarh	-	-	-	9413391466	25466

S. E. (Turnkey)

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. S. K. Bhargava	SE (TW), Ajmer	0145-2422226	98294- 95622	2422226	9414004059	26933
	XEN (TW-I), Ajmer	0145-2622899	2624859	-	9413391474	25474
Sh. S. K. Bhargava	XEN (TW-II), Ajmer	0145-2422226	-	-	9413391475	25475
Sh. Brejendra KR. Singh	AEN (TW-I), Ajmer	0145-2422226	-	-	9413391479	25479
Sh. R. N. Vaishnav	AEN (TW-II), Ajmer	0145-2422226	-	-	9413391478	25478
Sh. S. K. Morya	AEN (TW-II), Ajmer	0145-2422226	9461590 809	2422226	9413391407	25407

I. T. Wing

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. D. K. Sharma	XEN (IT), Ajmer	-	2671059	-	9414004079	26924

Store Wing

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. M. L. Gupta	SE. (MM), Ajmer	0145-2623583	2625120	2631738	9414004063	26908
Sh. Mukesh Baldi	D.C.O.S., Ajmer	0145-2670280	-	2670280	9413391596	25596
Sh. Mukesh Baldi	A.C.O.S., Ajmer	0145-2670241	-	-	9413391596	25596
Sh. Sandeep Somani (JEN)	O/O D.C.O.S., Ajmer	0145-2670280	-	-	9413391403	25403
Sh. B. R. Choudhary	A.C.O.S., Nagaur	01582-240788	-	-	9413391747	25747
Sh. Paras Jain	A.C.O.S., Bhilwara	01482-232752	243888 (p)	-	9413392054	26054
Sh. V. K. Jhanwar	A.C.O.S., Debari (Udaipur)	0294-2655054	-	-	9413391826	25826
Sh. Dilip Dewedi	A.C.O.S., Chittorgarh	01472-256218	-	-	9413391981	25981
Sh. Kamlesh KR. Sharma	A.C.O.S., Banswara	02962-244136	-	-	9413391914	25914
Sh. N. S. Gharwal	A.C.O.S., Jhunjhunu	01592-232315	-	-	9413392201	26201
Sh. Ashok KR. Sharma	A.C.O.S., Sikar	01572-272402	255275 (p)	-	9413392135	26135

RPPC Wing

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. G. R. Choudhary	SE (RPPC), Jaipur	0141-2250416	-	2250414	9414004026	26939
Sh. J. K. Sharma	XEN (S&M), Jaipur	0141-2251168	2282415	2251168	9413391551	25551
Sh. T. C. Nigotiya	XEN (C&R), RPPC, Jaipur	0141-2250416	-	-	9413391550	25550
Sh. D. K. Gupta	AEN (C&R), Jaipur	0141-2250416	2397130	-	9413391553	25553
Sh. B. K. Kakkar	AEN (C&R), Jaipur	0141-2250416	2390033	-	9413391552	25552

	AEN (RE), AVVNL, Jaipur	-	-	-	9413391564	25564
	AEN (S&M), RPPC, Jaipur	-	-	-	9413391554	25554
	H.Q.-Heerapura, Jaipur	-	-	-	9413365098	29098
Dipithi Kakkar	AAO(RPPC), AVVNL, Jaipur	0141-2740381 EXT. 1029	-	-	9413391563	25563

Civil Wing-Ajmer

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. M. K. Rawat	S.E. (Civil), Ajmer	0145-2622919	2600214	2429903	9414004067	26911
Sh. P.K. Khatwani (AEN)	TA To SE(Civil), Ajmer	0145-2622919	-	2429903	9413391527	25527
Sh. P.M. Tukliya	XEN (Civil), Ajmer	0145-2429371	2621675	2429903	9413391526	25526
Sh. Hanuman Prasad	XEN (Civil), Udaipur	0294-2420541		2485132	9413391525	25525
Sh. R.S. Bhukar	AEN (Civil), Jhunjhunu	01592-233248		232270	9413391531	25531
Sh. G.L. Bhati	AEN (Civil), Sikar	01572-250705		272736	9413391530	25530
Sh. S.C. Manariya	AEN (Civil), Nagaur	01582-240811		243047	9413391529	25529
Sh. R.K. Golia	AEN (Civil), Ajmer	0145-2429371		2429903	9413391528	25528
Sh. A.C. Khatik	AEN (Civil), Bhilwara	01482-232748		242740	9413391535	25535
Sh. S.K. Goyal	AEN (Civil), Chittorgarh	01472-241250 (PP)		255188	9413391534	25534
Sh. D.K. Sharma	AEN (Civil), Udaipur	0294-2420541 (PP)		2485532	9413391532	25532
Sh. A.R. Vashistha	AEN (Civil), Banswara	02962-240700 (PP)		251270	9413391533	25533
Sh. Man Mohan Parashar	Assistant Accts. Officer	0145-2622919			9413391679	25679
Rest House	Gokhle Lane, Civil Lines	0145-2623594			9413364802	28802

Vigilance Wing-Ajmer

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. P. C. Nauylla	Addl. S. P. (Vig.) Ajmer	0145-2631744	2432593	2425420	9414004065	26906
Sh. Omkar Singh Bhati	Dy. S. P. (Vig.), Ajmer	0145-2425420		2425420	9413391565	25565
Sh. Gordhan Lal	Dy. S. P. (Vig.) Jhunjhunu	01592-234581			9413391566	25566

Sh. Mangal Singh	Dy. S. P. (Vig.) Udaipur	0294-2481534			9413391567	25567
Sh. B. Ranawat	XEN (CV) Ajmer	0145-2628760	2642166	2425420	9413391568	25568
Sh. V. D. Singh	AEN (CV) Ajmer	0145-2425420			9413391580	25580
Sh. R.C. Sharma	XEN (Vig.) Ajmer	0145-2670953	2670038		9413391569	25569
Sh. Umesh Kumar	AEN (Vig.) Ajmer	0145-2670953			9413391581	25581
Sh. H.L. Baghel	XEN (Vig.) Makrana	01588-240480			9413391572	25572
Sh. Pradeep Kumar	XEN (Vig.) Nagaur	01582-243817			9413391571	25571
Sh. Mukul Kulshreshtha	AEN (Vig.) Nagaur	01582-243817			9413392218	26218
Sh. Rajendra Singh	XEN (Vig.) Bhilwara	01482-232744	232745		9413391570	25570
Sh. V. D. Dubey	AEN (Vig.) Bhilwara	01482-232746			9413391582	25582
Sh. R. S. Kaler	XEN (Vig.) Jhunjhunu	01592-235757	236197		9413391573	25573
Sh. A. B. Thakur	AEN (Vig. I) Jhunjhunu	01592-235757			9413391583	25583
Sh. Subhash Chand	AEN (Vig. II) Jhunjhunu	01592-235757	228020		9413392219	26219
Sh. S. R. Dhanodia	XEN (Vig.) Sikar	01572-273054	272566		9413391574	25574
Sh. V. K. Khichad	AEN (Vig.) Sikar	01572-273054			9413391584	25584
Sh. B. L. Jangid	AEN (CVS) Sikar	01572-273054	257744		9413391585	25585
Sh. N. C. Suthar	XEN (Vig.) Chittorgarh	01472-255611			9413391575	25575
Sh. M. R. Choudhary	AEN (Vig.) Chiitorgarh	01472-255611			9413391586	25586
Sh. R. K. Sharma	AEN (Vig.) Nimbahera	01477-220583			9413391588	25588
Sh. G. L. Vaishnav	AEN (Vig.) Partapgarh	01478-222862			9413391589	25589
Sh. V. K. Jain	XEN (Vig.) Banswara	02962-251232			9413391576	25576
Sh. D. K. Saini	XEN (Vig.) Dungarpur	02964-232440			9413391577	25577
Sh. R. S. Chouhan	XEN (Vig.) Rajsamand	02952-220543			9413391578	25578
Sh. Pramod Ranjan	AEN (Vig.) Kankroli	02952-220543			9413391587	25587
Sh. R. L. Khatik	XEN (Vig.I) Udaipur	0294-2488289			9413391579	25579
Sh. K. C. Verma	XEN (Vig.II) Udaipur	0294-2420568			9413392217	26217
Sh. N. L. Regar	XEN (Vig.III) Udaipur	0294-2427865	2421501		9413392387	26387
Sh. Rohit Chouhan	SHO, APTPS Ajmer	0145-2671830			9413391590	25590
Sh. Mangal Lal	SHO, APTPS Nagaur	01582-245331			9413391592	25592
	SHO APTPS Bhilwara	01482-242460			9413392205	26205
Sh. Sita Ram Soni	SHO, APTPS Udaipur	0294-2441757			9413391594	25594
Sh. Shiv Bux Ram	SHO, APTPS Chittorgarh	01472-246130			9413391595	25595
Sh. Ravindra Kumar	SHO, APTPS Jhunjhunu	01592-235757			9413391593	25593
Sh. Raghuver Dayal	SHO, APTPS Sikar	01572-272290			9413391591	25591

Sh. Hajari Singh, ASI	SHO, APTPS Rajsamand	02952-224175			9413392206	26206
Sh. Ram Kumar	SHO, APTPS Banswara	02962-250177			9413364963	28963
Sh. Jagannath	SHO, APTPS Dungarpur	02964-233556			9413364964	28964
Sh. S. P. Bansiwal	Accountant (Vig.) Ajmer				9413391453	25453

Zonal Chief Engineer (O&M)/MM/TW) Ajmer

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. C. S. Chanalia	ZCE (O&M/MM/ TW) Ajmer	0145-2429196 0145-2631196	2624588	2626765	9414004077	26915
Sh. S. S. Meena	TA ZCE (O&M) Ajmer	0145-2629086 0145-2630079		2626765	9413364940	28940
Sh. Kamlesh Joshi	DDP (A/Z) Ajmer	0145-2627962	2621933	2627962	94143391597	25597
Sh. C. M. Jain	DDS (A/Z) Ajmer	0145-2629086		2626765	9413365088	29088
Sh. G. C. Solanki	Statistical Officer(A/Z)	0145-2629086		2626765	9413392215	26215
Sh. B. S. Khandelwal	AEN (Zone. Vig. Officer) (A/Z)	0145-2629086		2626765	9413364956	28956
Sh. Fattumal Sindhi	PA to ZCE (A/Z) Ajmer	0145-2429196		2626765	9413391601	25601

O&M Circle Ajmer

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. C. K. Khameshra	S.E. (O&M), Ajmer	0145-2429903	2641792	2429903	9414004087	26909
Sh. S. N. Chawla	TA To S.E. (O&M), Ajmer	0145-2625165			9413391613	25613
Sh. Kamlesh Joshi	DDP (A/Z), Ajmer	0145-2627962	2621933	2626765	9413391597	25597
Sh. K.K. Bairwa	Feeder Manager	0145-2625165			9413392207	26207
Sh. N.S. Rathore	A.O. (O&M), Ajmer	0145-2427248			9413391677	25677
Sh. G.N. Dani	XEN(CD-I), Ajmer	0145-2429852	2633692		9413391608	25608
Sh. Govind Reswani	AEN (D-I), Ajmer	0145-2610743	2644515		9413391614	25614
Sh. G.D. Phulwari	AEN (D-II), Ajmer	0145-2625434	2632061		9413391615	25615
Sh. S.K. Nagrani	AEN (D-III), Ajmer	0145-2628096	2691371		9413391616	25616
Sh. L.R. Thori	AEN (D-V), Ajmer	0145-2644966			9413391619	25619
Sh. S.N. Sharma	AEN (HTM), Ajmer	0145-2644921	2644997		9413391617	25617
Sh. A.K. Gupta	XEN (CD-II), Ajmer	0145-2671152	2624516		9413391609	25609
Sh. B.S. Bhagel	AEN (D-IV), Ajmer	0145-2695042	2695297	2691535	9413391618	25618

Sh. B.S. Shekhawat	AEN (O&M), Madar	0145-2671785	2629483		9413391620	25620
Sh. R.B. Singh	AEN (O&M), Pushkar	0145-2772183	2772413		9413391621	25621
Sh. Laxman Singh	AEN (O&M), Sardhana	0145-2782446	2782315		9413392213	26213
Sh. A.K. Jalori	XEN (O&M), Kishangarh	01463-245920	245930		9413391612	25612
Sh. B.S. Soni	AEN (O&M), Kishangarh	01463-244515	245823		9413391628	25628
Sh. Dinesh Singh	AEN (R), Kishangarh	01463-245969	245959		9413391629	25629
Sh. Babu Lal	AEN (RIICO), Kishangarh	01463-243459	247435		9413391630	25630
Sh. G.R. Kala	AEN (O&M), Roopangarh	01497-220232	220242		9413391631	25631
Sh. D.C. Khandelwal	XEN (O&M), Beawar	01462-226397	226296		9413391610	25610
Sh. G.S. Meena	AEN (CSD-I), Beawar	01462-257953	226774		9413391622	25622
Sh. D.K. Khandelwal	AEN (CSD-II), Beawar	01462-250052	253833		9413392214	26214
Sh. P.L. Khatik	AEN (O&M), Jawaja	01462-267040	267201		9413364937	28937
Sh. J.R. Siyag (JEN)	AEN (O&M), Masuda	01462-266886	266985		9413391623	25623
Sh. U.K. Jain	XEN (O&M), Nasirabad	01491-221290	221370	221290	9413391611	25611
Sh. M.S. Verma (JEN)	AEN (O&M), Nasirabad	01491-220120	220059		9413391624	25624
Sh. S.S. Rao	AEN (O&M), Bijainagar	01462-230008	230085		9413391627	25627
Sh. B.S. Soni	AEN (O&M), Sarwar	01496-230048	230268		9413391625	25625
Sh. R.S. Sharma	AEN (O&M), Kekri	01467-220067	220985		9413391626	25626
Dimple Sharma	AEN (FM), Nasirabad	01491-221290		221290	9413392562	26562
Sh. M.C. Baldi	ACO, AVVNL, Ajmer	2670241			9413391596	25596
Sh. M.L. Rajoriya	ASSTT. Stock Verifier	2622869			9413365079	29079

O&M CIRCLE NAGOUR

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. R.K. Bakliwal	S.E. (O&M), Nagaur	01582-240811	240046	243047	9414004076	26919
Sh. Y.C. Nag (XEN)	TA To S.E. (O&M), Nagaur	01582-243047		243047	9413391684	25684
Sh. Mardan Ali Khan	P.O. (O&M), Nagaur	01582-240811		243047	9413391746	25746
Sh. R.C. Phulwari	A.O. (O&M), Nagaur	01582-242125			9413391745	25745
Sh. J. P. Lamba	A.A.O. (O&M), Nagaur	01582-242125			9413391748	25748
Sh. A.C. Meena	Feeder Manager	01582-240811			9413392381	26381

Sh. R. K. Sharma	XEN (O&M), Nagaur	01582-240803	240862	240803	9413391680	25680
Sh. Ugendra Roy	AEN (O&M), Nagaur	01582-240876	240832		9413391685	25685
Sh. M.L. Meena	AEN (REC), Nagaur	01582-245356	245440		9413391686	25686
Sh. S.R. Bidiyasar	AEN (O&M), Mundwa	01584-283056	283053		9413391687	25687
Sh. C.R. Saran	AEN (O&M), Khinvsar	01585-262327	262328		9413391688	25688
Sh. R.D. Gupta	XEN (O&M), Deedwana	01580-221303	221101	221303	9413391683	25683
Sh. Sultan Singh	AEN (O&M), Deedwana	01580-220395	220057		9413391698	25698
Sh. Banwari lal	AEN (O&M), Molasar	01580-240429	240630		9413391699	25699
Sh. Baldev Ram	AEN (O&M), Jayal	01583-272136	272137		9413391700	25700
Sh. J.R. Chhaba	XEN (O&M), Merta City	01590-220806	220077	220806	9413391681	25681
Sh. U.S. Choudhary	AEN (O&M), Merta City	01590-220063	221083		9413391689	25689
Sh. Bhanwar Singh	AEN (REC), Merta City	01590-220150	220149		9413391690	25690
Sh. F.R. Meena	AEN (O&M), Degana	01587-222075	222070		9413391692	25692
Sh. M.L. Choudhary	AEN (O&M), Riyabari	01590-240028			9413391691	25691
Sh. N.S. Sehwal	XEN (O&M), Makrana	01588-243334	243320	243334	9413391682	25682
Sh. A.K. Singh	AEN (O&M), Makrana	01588-243673	243674		9413391693	25693
Sh. M.L. Meena	AEN (REC), Makrana	01588-240100	240101		9413391694	25694
Sh. B.L. Godawat	AEN (O&M), Parbatsar	01589-270129	270218		9413391697	25697
Sh. Inder Singh Rathor	AEN (O&M), Kuchaman City	01586-220144	220124		9413391695	25695
Sh. C.R. Kumawat	AEN (O&M), Nawa City	01586-262754	262762		9413391696	25696
Sh. Lal Chand Anwala	AEN (FM), Makrana				9413364974	28974
Sh. Sanjay Kumawat	AEN (FM), Merta City				9413364973	28973
	ACOS, AVVNL, Nagaur				9413391747	25747
	AEN (Feeder M.), Nagaur				9413392381	26381
	A.A.O.(O&M), Nagaur				9413391748	25748

O&M CIRCLE BHILWARA

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. O.P. Verma	S.E. (O&M), Bhilwara	01482-232739 / 40	232741	232740	9414004073	26917
Sh. R.P. Sukhwal	TA To S.E. (O&M), Bhilwara	01482-232742			9413391982	25982

Sh. S.K. Lohani	PA To S.E. (O&M), Bhilwara				9413365092	29092
Sh. S.S. Sharma	P. O.(O&M), Bhilwara	01482-232747	225768		9413391678	25678
Sh. O.P. Motiramani	A. O. (O&M) Bhilwara	01482-232744				
		01482-231269	237829		9413392052	26052
Sh. O.P. Agrawal (ACTT.)	AAO (O&M) Bhilwara	01482-232744			9413392055	26055
Sh. A.K. Jagetia	XEN (DD-I) Bhilwara	01482-232746	238207		9413391984	25984
Sh. D.C. Swarnkar	AEN (CSD-I) Bhilwara	01482-232756	231357		9413391987	25987
	AEN (CSD-II) Bhilwara	01482-240137	243831		9413391988	25988
Sh. R.L. Veerwal	AEN(CSD-III) Bhilwara	01482-232750	232751		9413391989	25989
Sh. R.P. Singh Akal	AEN (R-I) Bhilwara	01482-240630	238099		9413391990	25990
Sh. P.M. Jeengar	AEN (O&M) Gangapur	01481-220032				
		/ 028	220044		9413391991	25991
Sh. S.L. Verma	AEN (O&M) Raipur	01481-230165				
		/ 166	230164		9413391992	25992
Sh. R.L. Jain	XEN (DD-II) Bhilwara	01482-232748				
		01482-232747	256020		9413391985	25985
Sh. G.L. Khatik	AEN (R-II) Suwana H.Q. Bhilwara	01482-243272	232635		9413391993	25993
Sh. Y.K. Tiwari	AEN (O&M) Kotri	01488-235227	237845		9413392001	26001
Sh. Ram Babu Sharma	AEN (O&M) Bijoliya	01489-236287	236188		9413391999	25999
		/022				
Sh. S. L. Triphati	AEN (O&M) Asind	01480-220125				
		/ 111	220060		9413391996	25996
Sh. R. P. Meena	AEN (O&M) Badnor	01480-225677				
		/ 640	225678		9413391997	25997
Sh. B. P. Sharma	AEN (O&M) Mandal	01486-266650				
		/ 631	241065		9413391994	25994
Sh. S. L. Damore	AEN (O&M) Kareda	01486-262537				
		/ 376	235412		9413391995	25995
Sh. R. L. Lakhera	AEN (O&M) Mandalgarh	01489-230015				
		/ 013	230726		9413391998	25998
Sh. N. K. Maheshwari	XEN (O&M) Shahpura (Bhilwara)	01484-222650	222640	222650	9413391986	25986
Sh. M. K. Chouhan	AEN (O&M) Shahpura	01484-222240	222243		9413392002	26002
Sh. Bahadru Singh	AEN (O&M) Banera	01487-272026	272039		9413392004	26004
Sh. V. K. Sanchet	AEN (O&M) Hurda	01483-223082				
		/ 040	223083		9413392005	26005
Sh. R. K. Meena	AEN (O&M) Jahajpur	01485-230041	230160		9413392003	26003

	Compu. Cell, Bhilwara	01482-232743				
Sh. M. K. Meena	Feeder Manager, BHL	01482-232743			9413392208	26208
Sh. Arjun Sigh	AEN (FM) Shahpura				9413364968	28968
Sh. Lovsy Mathew	AEN (R-II) Bhilwara	01482-249084			9413392019	26019
Sh. P. K. Jain	ACOS, AVVNL, BHL	01482-232752	243888		9413392054	26054
Sh. O. P. Agarwal	AAO (O&M) Bhilwara	01482-231269			9413392055	26926
Sh. P. S. Sharma	Asstt. Stock Verifier	01482-231269			9413365080	29080

Chief Engineer (O&M) CIRCLE UDAIPUR

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. R. K. Verma	CE(O&M) Udaipur	0294-2481532	2411812	2483132	9414004062	26902
Sh. A. K. Vajpayee	XEN TA to ZCE Udaipur	0294-2481533	2421501	2483132	9413391602	25602
Sh. Rohit Bhatnagar	DDP Udaipur (U/Z)	0294-2481533				
		2481130	2419585	2483132	9413391604	25604
Joyti Jain	SR. AO (Rev.) Udaipur	0294-2488289	2461608	2483132	9413391603	25603
Sh. Rajamal Regar	Stat. Officer (U/Z) Udaipur	0294-2481512		2483132	9413391605	25605
Sh. S. R. Ramchandani	Establishment Officer (O&M) Udaipur	0294-2481512		2483132	9413365062	29062
Sh. T. R. Verma	Zonal (Vig.) Officer Udaipur	0294-2481533		2483132	9413365072	29072
Sh. B. L. Vyas	PA to C. E. (O&M) AVVNL, Udaipur	0294-2481532		2483132	9413392561	26561

(O&M) CIRCLE UDAIPUR

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. G. S. Dalal	S.E. (O&M) Udaipur	0294-2481534	2427870	2481534	9414004082	26914
Sh. A. K. Jha	TA to S.E. (O&M) Udaipur	0294-2485025			9413391755	25755
Sh. Rohit Bhatnagar	P.O. (O&M) Udaipur	0294-2481534			9413391604	25604
Sh. R. P. Gupta	A.O. (U/Z) Udaipur	0294-2481535	2811435		9413392380	26380
Sh. M. S. Samar	XEN (CD-I) Udaipur	0294-2430630	2419112		9413391749	25749
Sh. P. Paliwal	AEN(PH-I) Udaipur	0294-2420568	2491108		9413391758	25758
Sh. D. K. Parmar	AEN(PH-II) Udaipur	0294-2427866	2411128		9413391759	25759
Sh. S. C. Mehta	AEN(O&M) Madhuban	0294-2427865	2434399		9413391757	25757
Sh. Manoj Suwalka	AEN(O&M) Ambamata	0294-2430372	2410613		9413391756	25756
Sh. K. C. Bhatt	XEN (CD-II) Udaipur	0294-2428316			9413391750	25750

Sh. Mangai Lal Sharma	AEN(HTM) Udaipur	0294-2461472	2467624		9413391777	25777
Sh. S. K. Sharma	AEN(Sect-IV) Udaipur	0294-2461677	2492833		9413391763	25763
Sh. V. C. Mathur	AEN(O&M) Savina	0294-2481536	2489943		9413391762	25762
Sh. A. L. Jain	AEN(O&M) Madri (UDR)	0294-2491526	2419094		9413391761	25761
Sh. O. P. Badgurjar	AEN(O&M)Ashoknagar	0294-2471437	2450823		9413391787	25787
Sh. Bachet Ranawat	XEN (DD-I) Udaipur	0294-2427868	2452220		9413391751	25751
Sh. Bhagwan Dass	AEN (O&M) Bhinder	02957-220216	220227		9413391765	25765
Sh. Dhan Pal Lal	AEN(O&M) Vallabh Nagar	02957-240232	240226		9413391766	25766
Sh. S. S. Ali	AEN(O&M) Debari	0294-2655575	2419100		9413391764	25764
Sh. P. N. Trivedi	AEN(O&M) Mavli	02955-263249	2491330 (P)		9413391767	25767
Sh. N. R. Bhandari	XEN (D-II) Udaipur	0294-2427869	2420945		9413391752	25752
Sh. K. C. Sukhwal	AEN(O&M) Badgaon	0294-2427871	2800209		9413391768	25768
Sh. M. K. Upadhaya	AEN(O&M) Gogunda	02956-242028	282136		9413391771	25771
Sh. A. K. Soni	AEN(O&M) Girwa	0294-2491990	2470013		9413391769	25769
	AEN (O&M) Jhadol	02959-220037	220036		9413391770	25770
Sh. I. M. Mansuri	AEN (O&M) Kotra	02959-227439			9413391772	25772
Sh. M. L. Bheel	XEN (O&M) Salumber	02906-230110	230159		9413391753	25753
Sh. H. K. Meghwal	AEN(O&M) Salumber	02906-230831	230830		9413391773	25773
Sh. Inder Raj Meena	AEN (O&M) Sarada	02905-260021	260043		9413391775	25775
Sh. S. S. Badala	AEN (O&M) Kherwara	02907-220027	220017		9413391774	25774
Sh. J.S. Osan	AEN (O&M) Dhariyawad	02950-270037	270030		9413391776	25776
Sh. R.R. Khatik	XEN (CONST.) Udaipur	0294-2485579	2465494		9413391456	25456
Sh. Narendra Bhardwaj	AEN (CONST-I) Udaipur	0294-2485579	2464426 (P)		9413391778	25778
Sh. K.L. Pujari	AEN (CONST-II) Udaipur	0294-2485579			9413391779	25779
Sh. S.N. Aameria	Feeder M. (UC) Udaipur	0294-2485025			9413391754	25754
Sunita Vyas	AEN (FM-II) Udaipur				9413364977	28977
	ACOS(UC) Udaipur				9413391826	25826
	AAO (UC) Udaipur				9413391827	25827
	AEN (FM) Udaipur				9413391754	25754
	AEN (Technical-Audit)				9413392356	26356

(O&M) CIRCLE RJSAMAND

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. Y. K. Bolia	S.E. (O&M) Rajsamand	02952-220542	250750			
		02952-221545	221546	220542	9414004075	26920
Sh. S. L. Luhar	TA to S. E.(O&M) Rajsamand	02952-220542			9413391831	25831
Sh. S. K. Soni	A.O. (O&M) Rajsamand	02952-221939			9413391866	25866
Sh. I. P. Sukhawal	XEN (O&M) Amet	02908-231236	230594	231236	9413391829	25829
Sh. K. L. Tiwari	AEN (O&M) Amet	02908-230873	230874		9413391835	25835
Sh. Shekhar Choudhary	AEN (O&M) Kelwara	02954-242237	242242		9413391838	25838
	AEN (O&M)Deogarh	02904-252028	252266		9413391836	25836
Sh. R. R. Bhati	AEN (O&M) Bheem	02951-250635	280235		9413391837	25837
Sh. M. B. Paliwal	XEN (O&M) Kankroli	02952-220543	232180		9413391828	25828
Sh. D. C. Sharma	AEN (O&M) Kankroli	02952-224827	221827		9413391832	25832
Sh. S. S. Rao	AEN (O&M) Rajnagar	02952-220030	224157		9413391833	25833
Sh. C. N. Regar	AEN (O&M) Railmagra	02952-267224	267227		9413391834	25834
Sh. Madhumati Menaria	XEN (O&M) Nathdwara	02953-233611		233611	9413391830	25830
Sh. B. P. Upadhaya	AEN (O&M) Nathdwara	02953-234673	231927		9413391839	25839
Sh. Laxman Lilani	AEN (O&M) Khamnore	02953-285036	285037		9413391841	25841
Sh. K.C. Bulawat	AEN (O&M) Delwara	02953-289060	289359		9413391840	25840
Sh. Kamlendra Khoiwal	AEN (FRP&RGRES)				9413364958	28958
Sh. Satyendra Pal Singh	AEN (FM) AMRT.				9413364959	28959
Sh. Virendra Dwivedi	AEN(FM) Kankorli/nathdwara, Rajsamand				9413364960	28960
Sh. S. C. Vijayvargiya	A.A.O(O&M), Rajsamand	02952-221939			9413391865	25865

(O&M)- CIRCLE CHITTORGARH

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. D. B. Mathur	S.E. (O&M), Chittorgarh	01472-255188				
		01472-256588	255606	255188	9414004084	26936
Sh. D. N. Pandey	TA To S.E. (O&M)	01472-255611			9413391919	25919
Sh. N. R. Verma	P.O. (O&M) Chittorgarh	01472-255611		255188	9413391980	25980

Sh. P.C. Jain	A.O. (O&M) Chittorgarh	01472-255605		255188	9413391979	25979
Sh. Balwant Chauhan	Feeder Manager	01472-255611			9413391951	25951
Sh. M. G. Rajurkar	XEN (DD) Chittorgarh	01472-256305	256355	255188	9413391915	25915
Sh. B.L. Sharma	AEN (O&M) Chittorgarh	01472-241250	255766		9413391921	25921
Sh. S.K. Singh	AEN (RURAL) Chittorgarh	01472-246750	256130		9413391922	25922
Sh. R.S. Yadav	AEN (O&M) Begun	01474-220148	220158		9413391924	25924
Sh. V.S. Atri (JEN)	AEN (O&M) Gangrar	01471-220228	220226		9413391925	25925
Sh. S.K. Sinha	AEN (O&M) Rawat Bhata	01475-233400	233002		9413391923	25923
Sh. D.P. Dubey	XEN (O&M) Kapasan	01476-230432	230298	230432	9413391917	25917
Sh. S.C. Agarwal	AEN (O&M) Kapasan	01476-230259	230208		9413391931	25931
Sh. S.L. Jain	AEN (O&M) Bhopal Sagar	01476-224243	224223		9413391932	25932
Sh. R.G. Mishra	AEN O&M) Rashmi	01471-226816	226817		9413391933	25933
Sh. G.K. Pareek	XEN (O&M) Nimbahera	01477-220583	220584	220583	9413391916	25916
Sh. P.C. Bairwa	AEN (O&M) Nimbahera	01477-220030	220034		9413391926	25926
Sh. R.K. Agarawal	AEN (RURAL) Nimbahera	01477-220058	220052		9413391927	25927
Sh. Vinod Sharma	AEN (O&M) Badi Sadri	01473-264237	264236		9413391929	25929
Sh. L.C. Prajapat	AEN (O&M) Bhadesar	01470-243225	243233		9413391928	25928
Sh. Rakesh Soni	AEN (O&M) Dungla	01470-247322	247321		9413391930	25930
Sh. P.S. Solanki	XEN (O&M) Pratapgarh	01478-222862	222863	222862	9413391918	25918
Sh. M.L. Gaur	AEN (O&M) Pratapgarh	01478-222084	223796		9413391934	25934
Sh. P.S. Bundela	AEN (REC) Pratapgarh	01478-222078	222256		9413391935	25935
Sh. L.L. Meghwal	AEN (O&M) Arnod	01479-242232	242246		9413391937	25937
Sh. N.H. Mansoori	AEN (O&M) Choti Sadri	01473-262442	262444		9413391936	25936
Sh. Narian Singh	AEN (FM) Nimbahera				9413364969	28969
Sh. Balwant Chauhan	AEN (FM) Chittorgarh	01472-252611		255188	9413391951	25951
Sangeeta Kushwaha	AEN (FRP) Chittorgarh	01472-255611		255188	9413391920	25920
Sh. Liyakat Ali	Asstt. Stock Verifier	01472-256218		255188	9413365081	29081
Sh. O. P. Sharma	Asstt. Acctts. Officer (O&M)				9413365097	29097
Sh. D. K. Diwedi	ACOS Chittorgarh	01472-256218		256218	9413391981	25981

(O&M)- CIRCLE BANSWARA

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. A.K. Nagori	S.E. (O&M) Banswara	02962-251270	250459	251270	9414004074	26923
Sh. Sudarshan Sharma	T.A. To S.E. (O&M) Banswara	02962-251232			9413391867	25867
Sh. R.K. Arora	P.O. (O&M) Banswara	02962-251232			9413391913	25913

Sh. U.S. Bhatt (AAO)	A.O. (O&M) Banswara	02962-250839	250619		9413391912	25912
Sh. V.K. Panchal	XEN (DD) Banswara	02962-251194	242794		9413391868	25868
Sh. C.L. Roat	AEN (City) Banswara	02962-243049	250012		9413391870	25870
Sh. D.C. Tambolia	AEN (Rural) Banswara	02962-242863	243797		9413391871	25871
Sh. Tapeshwar Singh	AEN (O&M) Partapur	02963-220444			9413391875	25875
Sh. R.S. Rathore	AEN (O&M) Garhi	02963-221225			9413391876	25876
Sh. Nitish Doshi	AEN (O&M) Ghatol	02961-235134	235133		9413391872	25872
Sh. Khem Singh Ji	AEN (O&M) Bagidora	02968-220272	220698		9413391874	25874
Sh. J.R. Gupta	AEN (O&M) Kushalgarh	02965-275435	275470		9413391873	25873
Sh. N.L. Salvi	XEN (DD) Dungarpur	02964-232440	232558		9413391869	25869
Vacant	AEN (O&M) Dungarpur	02964-234037	234036		9413391877	25877
Sh. Premji Patidar	AEN (City) Sagwara	02966-252022	220099		9413391882	25882
Sh. Vinod Kumar Doshi	AEN (Rural) Sagwara	02966-254949	254850		9413391881	25881
Maxsona Farnandiz	AEN (O&M) Aspur	02967-220147	220778		9413391880	25880
Sh. K.K. Pandya	AEN (O&M) Bichhiwara	02964-250028	250043		9413391878	25878
Sh. K.L. Kalbelia	AEN (O&M) Dhambola	02964-240125	240145		9413391879	25879
	Computer Room Baw.	02962-250508				
Sh. Kush	AEN (FM) Banswara				9413364965	28965
Sh. Mohan Singh	AEN (FM) Dungarpur				9413364967	28967
Sh. K.K. Sharma	ACOS, AVVNL, Banswara				9413391914	25914
Sh. R.P. Joshi	Computer/ Statistics,				9413391598	25598

ZONAL CHIEF ENGINEER (JJ/Z) JHUNJHUNU

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. B.L. Maneshwari	Z.C.E. (JJ/Z) Jhunjhunu	01592-236190	232055	236190	9414004070	26913
Sh. R.S. Kaler	T.A. To Z.C.E. (JJ/Z)	01592-239182	230245	236190	9413391606	25606
Sh. S.K. Savrnkar	SR. A.O (JJ/Z) Jhunjhunu	01592-237608		236190	9413391607	25607
Sh. P.D. Didwania	Stat. Officer (JJ/Z)	01592-236190 01572-272064	234453	236190	9143364928	28928
Sh. S.K. Sunar	E.O. JJ/Z Jhunjhunu	01592-236190		236190	9413364929	28929
Sh. N.C Verma	AEN (Zonal Level Vigilance Officer (H.Q.- Sikar)	01572-272064		272736	9413364957	28957
Sh. J. P. Soni	Retd. Acctt. Engaged on Contract				9413364954	28954
Sh. M. L. Sharma	Retd. Jr. Acctt. Engaged on Contract				9413364955	28955
Sh. Narayan Singh	Driver to ZCE (JJ/Z)				9413365009	29009

O&M CIRCLE JHUNJHUNU

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. U. S. Tarodia	S.E. (O&M), Jhunjhunu	01592-232270	232398	232270	9414004078	26918
Sh. Indar Raj Singh	TA To S.E.(O&M) JJNU	01592-232790			9413391599	25599
Sh. R. S. Lamba	P.O. (JJN/C) Jhunjhunu	01592-232790			9413392204	26204
Sh. B. C. Chounal	A.O. (O&M) Jhnujhunu	01592-232323			9413364930	28930
Sh. R. C. Chipa (AAO)	AAO (O&M) Jhunjhunu				9413392202	26202
Sh. J. P. Soni	Retd. Acctt. (Contract)				9413364954	28954
Sh. J. S. Manju	XEN (O&M) Jhunjhunu	01592-232492	232737	234292	9413392137	26137
Sh. D. K. Garg	AEN (O&M) Jhnujhunu	01592-232420			9413392141	26141
Sh. B. S. Kashwan	AEN (RURAL) Jhunjhunu	01592-232516	232539		9413392142	26142
Sh. A. B. Thakur	AEN (O&M) Malsisar	01595-276583	276609		9413392146	26146
Sh. K. R. Meena	AEN (O&M) Bissau	01595-264420			9413392144	26144
Sh. Mahendra Shekhawat	AEN (O&M) Mandawa	01592-223130	223439		9413392143	26143
Sh. S. L. Arya	AEN (O&M) Baggar	01592-221171	221172		9413392145	26145
Sh. O. P. Sharma	XEN (O&M) Chirawa	01596-220008	220009	220008	9413392138	26138
Sh. B. S. Shekhawat	AEN (O&M) Chirawa	01596-220027	220109		9413392147	26147
Sh. K. K. Sharma	AEN (O&M) Pilani	01596-242204	242236		9413392148	26148
Sh. B. L. Baswal	AEN (O&M) Sultana	01596-281552	281552		9413392150	26150
Sh. O. P. Indoliya	AEN (O&M) Surajgarh	01596-237322	237320		9413392149	26149
Sh. D. N. Jangid	XEN (O&M) Nawalgarh	01594-222072	222081	220072	9413392140	26140
Sh. R. S. Shekhawat	AEN (O&M) Nawalgarh	01594-222019	222005		9413392154	26154
Sh. R. P. S. Dhaka	AEN (O&M) Mukundgarh	01594-252367	252697		9413392157	26157
Sh. R. M. Gupta	AEN (O&M) Gudagorji	01594-263365	263366		9413392155	26155
Sh. M. C. Verma	AEN (O&M) Udaipurwati	01594-244264	234266		9413392156	26156
Sh. Yashpal Singh (AEN)	XEN (O&M) Khetrinagar	01593-221546	220089	221546	9413392139	26139
Sh. Dulichand	AEN (O&M) Khetrinagar	01593-220083			9413392151	26151
Sh. G. R. Meena	AEN (O&M) Khetri Town	01593-234443			9413392152	26512
Sh. V. K. Viyogi	AEN (O&M) Buhana	01593-288304			9413392153	26153
Sh. Vijay Pal	AEN (FM) Chirwa				9413364970	28970
Sh. Sunil Jangid	AEN (FM) Jhunjhunu				9413364971	28971
Sh. Anil Kumar	AEN (FM) Khetrinagar				9413364972	28972
Sh. Kursid Ahmad	ACOS, Jhunjhunu	01592-232315			9413392201	26201
Sh. Hari Ram Sharma	Asstt. Stock Verifier	01592-233248			9413365078	29078

O&M CIRCLE SIKAR

Name	Designation	Telephone No.				
		Office	Resi.	Fax	Mobile No.	VPN
Sh. S. K. Mehta	S.E. (O&M), Sikar	01572-272064	272705	272736	9414004069	26912
Sh. Minhajuddin	TA To S.E.(O&M) Sikar	01572-272064			9413392056	26056
Sh. Ajay Bhattnagar	P.O. (O&M) Sikar	01572-272064			9413392133	26133
Sh. Ashok Kumar Sharma	A.O. (O&M) Sikar	01572-272670			9413392134	26134
Sh. Deep Singh	AAO (O&M) Sikar	01572-272670			9413392136	26136
Sh. P. D. Didwaniya	STO (O&M) Sikar	01572-272064	234453 (PP)		9413364928	28928
Sh. Ashok Kumar Sharma	ACOS, AVVNL, Sikar	01572-272402		272402	9413392135	26135
Sh. Murari Lal Sharma	Retd. Jr. Acctt. (Contract)				9413364955	28955
Sh. Abhishek Gupta	Feeder Manager, Sikar	01572-272064			9413391421	25421
Sh. S. R. Paliwal	XEN (O&M) Sikar	01572-272072	272374		9413392125	26125
Sh. A. K. Joshi	AEN (CSD-I) Sikar	01572-250110	250844		9413392060	26060
Sh. S. R. Verma	AEN (CSD-II) Sikar	01572-273127	273128		9413392061	26061
Sh. B. S. Sharma	AEN (R) Sikar	01572-250816	250766		9413392062	26062
Sh. H. R. Kaler	AEN (O&M) Peeprali H.Q. Sikar	01572-250658	250635		9413392063	26063
Sh. B. L. Choudhary	AEN (O&M) Losal	01577-221044	220306		9413392064	26064
SH. K. P. Verma	XEN (Rural/DD) Sikar	01572-273596	272597		9413392057	26057
Sh. Hem Raj	AEN (O&M) Dhod	01572-236133			9413392065	26065
Sh. Sujan Chand Midat	AEN (O&M) Laxmangarh	01573-222229	222249		9413392066	26066
Sh. S. S. Yadav	AEN (R) Laxmangarh	01573-222236	222237		9413392067	26067
Sh. R. A. Gupta	AEN (O&M) Fatehpur	01571-230110	230004		9413392068	26068
Sh. C. M. Mali	AEN (R) Fatehpur	01571-230016	232121		9413392069	26069
Sh. N. K. Verma	AEN (O&M) Ramgarh Shekhawati	01571-240329	240328		9413392079	26079
Sh. B. M. Bhamu	XEN (O&M) Reengus	01575-224227	224907		9413392058	26058
	AEN (O&M) Reengus	01575-224222	224229		9413392070	26070
Sh. M. K. Sharma	AEN (O&M) Shrimadhapur	01575-250080	250083		9413392071	26071
Sh. M. K. Tibra	AEN (O&M) Palsana	01576-225030	-		9413392072	26072
Sh. V. S. Shekhawat	AEN (O&M) Khatushyamji	01576-230064	230065		9413392073	26073
Sh. Subash Devenda	AEN (O&M) Danta Ramgarh	01577-272327	272338		9413392074	26074
Sh. Fateh Singh	AEN (O&M) Khachariyawas	01577-240168	240169		9413392075	26075

Sh. B. S. Ratnoo	XEN (O&M) Neem ka Thana	01574-230125	230126		9413392059	26059
Sh. R. N. Birda	AEN (O&M) Neem ka Thana	01574-230078	230009		9413392076	26076
Sh. G. N. Saini	AEN (O&M) Patan	01574-282226	-		9413392077	26077
Sh. Ayub Ali Bhati	AEN (O&M) Khandela	01575-260175	260176		9413392078	26078
Sh. Surendra Dhankad	AEN (O&M) Ajeetgarh	01575-222173	222174		9413392080	26080
Sh. Amar Chand Meena	AEN (FRP/RGGVY/MONT.)	01572-272064			9413391421	25421
Sh. Shailendra Singh	AEN (FM) Reengus				9413364976	28976
Sh. Jogendra Kumar	AEN (FM) Neem ka Thana				9413364975	28975
Sh. Nemi Chand Verma	AEN (Zonal Level Vigilance Officer) H. Q.				9413364957	28957

Telephone Number of Complaint Centers under Banswara Circle

1.	Banswara (City)	02962	1912
2.	Kushalgarh	02965	275435
3.	Dungapur	02964	1912
4.	Sagwara (U)	02966	252023

Telephone Number of Complaint Centers under Bhilwara Circle

S. No.	Office	Name of Officer	Telephone			VPN
			Office	Resident	Mobile	
1.	220 KV GSS BHL	RK Saxena, XEN	01482-240840	240940	9414001034	2734
2.	132 KV GSS BHL		01482-240220			-
3.	AEN Hamirgarh	Rajesh Choudhary	01482-249084		9413392966	24966
4.	AEN Suwana	SK Nigam	01482-257460	242592	9413392977	24977
5.	AEN Asind	Rahul Saxena	01480-220141	237124 (BHL)	9413392943	24943
6.	AEN Gangapur	Gopal Jeengar	01481-220105	221032	9413392962	24962
7.	AEN Gulabpura	Anil Jain	01483-223053		9413392964	24964
8.	AEN Shahpura	Dharmendra Soni	01484-220611		9413392981	24981
9.	AEN Raila	Lalit Chittora	01487-273397		9413392979	24979
10.	AEN Mandalgarh	Harpal Chahar	01489-230023		9413392971	24971
11.	AEN Deoli	AL Meena	01434-239292	239370	9413859270	

List of 220 KV GSS/132 KV GSS, 33 KV S/s & Complain Center

Ajmer Circle					
S. No.	Name of Division/Sub-Division	Name of 220/132/33 KVB Complaint Centers	Mobile No.	VPN No.	Landline No.
1.		220 KV Madar	9413364943		2671597
2.		220 KV Beawar	9413392941		1462-226142
3.		132 KV GSS MDSU	9413364944		2787542
4.		132 KV GSS Saradhna	9413364945		2782201
5.		132 KV GSS Kishangarh	9413364950		1463-250979
6.		132 KV GSS Kekri	9413364948		1467-220170
7.		132 KV GSS Nasirabad	9413364947		1491-220449
Executive Engineer (CD-I), Ajmer					
1.	D-I	Hazari Bagh	9413392632		2610833/2460911
2.		H.M.T.	9413397633		2681283/2440480
3.		Chand Vardai Nagar	9413392691		2691740
4.	D-II	Longia Hospital	9413392692		2624003
5.		Pan Dariba	9413391635		2431708
6.	D-III	City Power House	9413392093		2630750/2429189
7.		Jawahar Lal Nehru	9413392694		2629136
8.	D-V	Shastri Nagar	9413392642		2624518
9.		Vaishali Nagar	9413392640		2644996
10.		Regional College	9413392697		2644920
11.		Panchseel	9413392697		-
Assistant Engineer (CSD-IV) Ajmer					
1.	D-IV	Parbatpura	9413391646		2695297
2.		Mayo College	9413391647		2660797
3.		Makhupura	9413391648		2695650
4.		Madar Complain Center	-		2670763
Assistant Engineer (O&M) Madar					
1.		Gagwana	9413391650		2787174
2.		Narwar	9413391650		2310999
3.		Gegal	9413391650		2791566
Assistant Engineer (O&M) Pushkar					
1.		Genhera	9413391651		2772028
2.		Kadel	9413391651		2780333
3.		Pisangan	9413391651		2775228
4.		Budhwara	9413391651		2743288
5.		Bhagwanpura	9413391651		2309153
6.		Govindgarh	9413391651		2309154
Assistant Engineer (O&M) Saradhna					
1.		Saradhna	9413391653		2782446
2.		Bhananta	9413391653		2783247
3.		Mangliyawas	9413391654		2785260
4.		Nageloo	9413391654		2786472
Executive Engineer (CSD-I) Beawar					
1.	BWR (CSD-I)	33/11 KV PH	9413364809		01462-251755 / 257376
2.	CSD-II	Sedariya GSS	9413364810		01462-224156
3.		Govindpura GSS	9413364811		01462-224143
4.		Beawar Khas	9413364813		01462-324953

5.		RIICO-III	9413364812		-
	(O&M) Masuda				
1.		Peeplaz GSS	-		01462-240600
2.		Kharwa GSS	-		01462-265210
3.		Masuda GSS	-		01462-266886
4.		Shergarh GSS	-		01462-248145
	(O&M) Jawaja				
1.		Jawaja GSS	-		01462-267040
	Assistant Engineer (O&M) Kishangarh				
1.		Madanganj	9413364803	28803	01463-245812
2.		Old Power Hosue	9413364804	28804	01463-242789
	Assistant Engineer (RIICO), Kishangarh				
1.		Paryavaran Marg	9413364808	28808	01463-239161
2.		Harmada Road	9413364807	28807	250944
	Assistant Engineer (Rural) Kishangarh				
1.		Parshotam Nagar	9413364805	28805	242899
2.		Silora(RIICO)	9413364806	28806	-
3.		Arain	-		281129
4.		Patan	-		239023
5.		Kucheel	-		239672
6.		Salamabad	-		1497-227832
	Assistant Engineer (O&M) Roopangarh				
1.		Roopangarh	-		1497-220296
2.		Surasura			1497-222517
3.		Karkeri	-		1497-229186
4.		Marwa	-		1498-263719
5.		Kotri	-		-
	Assistant Engineer (O&M) Kishangarh				
1.		Complain Center	9413362591		245923
	Assistant Engineer (O&M) Kishangarh				
1.		Complain Center	9413392590		245923
	Assistant Engineer (O&M) Kishangarh				
1.		Complain Center	9413392592		245923
	Executive Engineer (O&M) Nasirabad				
	Nasirabad				
1.		Nasirabad J. En	9413391670	25670	220070
2.		Bithoor	-		283247
3.		Ramsar	-		284411
4.		Srinagar J.En	9413391671	25671	286278
	Kekri				
1.		Kekri J. En	9413392386	26386	220009
2.		Kalera	-		221110
3.		Kadera	-		287360
4.		Sawar J. En	9413391674	25674	282226
	Bijainagar				
1.		Bijainagar J. En	9413391672	25672	230098
2.		Bhinal J. En	9413391673	25673	273512
3.		Bandanwara	-		272320
4.		Jaliya	-		275288
5.		Devliyakalan	-		-
6.		Chapanen	-		277696
	Sarwar				

1.		Sarwar J. En.	9413391675	25675	230048
2.		Borada	-		245990
3.		Tantoti	-		245990
4.		132 KV GSS Nasirabad	9413364947		01491-220440
5.		132 KV GSS Kekri	9413364984		01467-220170
6.		132 KV GSS Gulbpura	-		01483-223053

Nagaur Circle

1.	(O&M) Nagaur	Nagaur City			01582-240812
2.	(Rural) Nagaur				-
3.	Mundwa	Mundwa City			01584-283053
4.		Kuchera			01584-280024
5.	Khinvsar	Khinvsar			01585-204815
6.	Merta City	Merta City			01590-220062
7.		Jasanagar			01590-246035
8.	Merta (Rural)	Gotan			01591-276435
9.	Degana	Degana City			01587-222075
10.		Harsore			01587-246024
11.	Riya	Riya Bari			01590-240028
12.		Bherunda			01587-247036
13.	(O&M) Makrana	Makrana City			01588-241260
14.	Makrana (Rural)	Borawar			01588-241760
15.	Kuchaman	Kuchaman			01586-220039
16.	Nawa	Nawa			01586-262745
17.	Parbatsar	Parbatsar			01589-270128
18.	Deedwana	Deedwana			01580-220029
19.	Molasar	Molasar			01580-240129
20.	Jayal	Jayal			01583-272117

Bhilwara Circle

	Executive Engineer (DD-I) Bhilwara				
	AEN(CSD-I) Bhilwara				
1.		Panchwati			251945
2.		MG Hospital	9413364817	28817	232790
3.		City Comp.			232754
4.		Call Center			1912/237449
	AEN(CSD-II) Bhilwara				
		RIICO Bhilwara	9413364818		260557
		RIICO-IV Phase	9413364819		291268
		Azad Nagar	9413364821		242808
		Pur	9413364820		262430
		Indl. Aera C/C	9413392597		241932
	AEN (CSD-III) Bhilwara				
		Motibaoji		28823	256974
		Power house		26605	232753
	AEN (Rural-I) Bhilwara				
		Jodhras	9413392291	3291	264230
		Swarupganj			249228
		Mangrop	9413364824	28824	280440
		Ojyada			286373

	Suwana	9413364825	28825	290091
	Kalundia			292170
	Hamirgarh C/C			286426
AEN(O&M) Gangapur (01481)				
	Gangapur	9460701698		220028
	Potla	9413392015	26015	224036
	Bhunas	9413392015	26015	224850
AEN(O&M) Raipur (01481)				
	Raipur C/C			230166
	Koshithal			223275
	Mokhunda			229197
Executive Engineer (DD-II) Bhilwara				
AEN (Rural-II) Bhilwara				
	Karol			284640
	Gadarmala			287078
	Gathilakheda	9413392611	25611	249811
	Hamirgarh	9413392612	25612	249084
AEN(O&M) Mandal (01486)				
	Mandal/Complaint Center	9413391994	5994	266631/632
	Bagore	9413392025	26025	265006
	Meja Road	9413392024	26024	270403
AEN(O&M) Kareda (01486)				
	Kareda	9413391995	5995	262376
	Laduwas	9413392023	26023	262488
	Chitamba	-	-	271125
AEN(O&M) Asind (01480)				
	Asind			220111
	Bk. Sareri			228718
AEN(O&M) Badnore (01480)				
	Badnore			225640
	Shambhugarh			223309
AEN(O&M) Mandargarh (01489)				
	Mandargarh			230013
	Bigod			232024
	Ladpura			235656
	Singoli			235454
	Barukheda			232501
	Kachhola			237439
	Manpura			234382
AEN(O&M) Bijoliya (01489)				
	Bijoliya			236022
	Salavatiya			233680
	Shyampura			238537
	Kasya			
AEN(O&M) Kotri (01488)				
	Kotri	9413392039	6039	235327
	Sawaipur	9413392037	6037	232511
	Badliyas	9928674136	Contract.	234702
	Paroli	9413392038	26038	233063
	Ghevariya	-		248040
	Nandrai	-		-
	Solanki Kheda	9928885312	Contract.	-

	Executive Engineer (O&M) Shahpura				
	AEN(O&M) Shahpura (01484)				
		Shahpura			222214
		Phuliya-Kalan			225045
		Dhikola			228046
		Kothiya (1483)			228141
		Panotiya			220266
		Shahpura C/C			222205
	AEN(O&M) Jahajpur (01485)				
		Jahajpur			230040
		Pander			236250
		Amarwasi			245151
		Shakargarh			235240
		Jahajpue C/C			230706
		Khajuri			291110
		Bhagunagar			
	AEN(O&M) Banera (01487)				
		Banera	9413392004	6004	272026
		Raila	9413392049	26049	273123
		Danta	9413392060	6050	-
	AEN(O&M) Hurda (01485)				
		Hurda			223046
		Gulabpura C/C			223040
		Rupahell			228432
		Sareri			236550
		Jalampura			270222
		Agundha			225786
Rajsamand Circle					
1.		Rajnagar			02952-290890
2.		Kankroli			02952-230061
3.		Call Center (at Rajnagar)			02952-220057
4.		Railmagra			02952-267225
5.		Kunwariya			02952-272051
6.		Kelwa			02952-278253
7.		Kuraj			02952-262228
8.		City Complaint Center, Nathdwara			02953-234256
9.		33/11 KV GSS Nathdwara			02953-231935
10.		33/11 KV GSS Maniyana			02953-281304
11.		Delwara			02953-289060
12.		33/11 KV GSS Godaghati			02953-288300
13.		33/11 KV GSS Khamnore			02953-285236
14.		33/11 KV GSS Sisoda			02953-287736
15.		Amet City			02908-230031
16.		33/11 KV GSS Amet			02908-230036
17.		33/11 KV GSS Sardargarh			02908-254229
18.		City Deogarh			02904-252265

19.		33/11 KV GSS Deogarh		02904-252055
20.		33/11 KV GSS Bheem		02951-250368
21.		33/11 KV GSS Sekhawas		02951-29246
22.		33/11 KV GSS Charbhuj		02954-242028
23.		33/11 KV GSS Kelwara		02954-242237
Udaipur Circle				
1.	AEN (PH-I)	Gulab Bagh		0294-2420637
2.	AEN (PH-II)			
3.	AEN Madhuban	Fatehahpura		0294-2454002/ 2451997 (PCO)
4.	AEN Ambamata	Sisirama		0294-2430318
5.	AEN Sector 4	Sector – 4		0294-2461778
6.	AEN Ashok Nagar	Maya Misthan		0294-2427873
7.	AEN Madri	Partapnagar		0294-2492268
8.		Madri		0294-2492234
9.		Kaladwas		0294-2650051
10.	AEN Savina	Savina		0294-2481536
11.		Goverdhan Vilas		0294-2641869
12.	AEN Debari	Debari		0294-2655253
13.		Khamli		0294-2655703
14.	AEN Bhirider	Kanoda		02957-233243
15.		Bhindar		02957-220205
16.	AEN Vallabh Nagar	VallabhNagar		02957-240915
17.		Bhatar		02957-226330
18.		Manar		02957-227239
19.	AEN Mavli	Mavli		02955-263224
20.		Fatehnagar		02955-220077
21.		Palanakala		02955-231550
22.	AEN Jhadol	Jhadol		02959-220027
23.		Som		02959-292053
24.		Luniyar		02959-270347
25.	AEN Kotra	Kotra		02958-227431
26.	AEN Goganda	Goganda		02956-282138
27.		Padrada		02956—282138
28.	AEN Badgaon	Thur		0294-2803853
29.		Sukhar		0294-2441199
30.		Iswal		0294-2905125
31.		Losing		0294-2905063
32.	AEN Girwa	Bichdi		0294-2655589
33.		Bambora		0294-2398201
34.		Kurawad		0294-2392891
35.	AEN Salumber	Salumber		02906-230806
36.		Uthranda		02906-282564
37.		Jhalara		02906-280724
38.		Bhavrana		02906-292144
39.		Adkaliya		02906-280413

40.		Dangar		02906-292177
41.		Khrka Mod		02906-293280
42.	AEN Sarada	Jaysamand		02905-267836
43.		Palodda		02905-266722
44.		Sarada		02905-260021
45.		Samari		02905-259154
46.		Parsad		02905-268598
47.	AEN Kherwara	Kherwara		02907-220044
48.		Babalwada		02907-251444
49.		Kanbi		02907-294027
50.		Rishabdev		02907-230071
Chittorgarh Circle				
	Division Chittorgarh		Name of JEN	
1.	(O&M)Chittor.	Bhopal Bhawan Chittor.	Sh. R. K. Baswal	01472-241172
2.		City Chittorgarh	Sh. Mahipal Singh	01472-244902
3.		Gandhi Nagar Chittorgarh	Sh. Mahipal Singh	01472-247902
4.		Senthi Chittorgarh	Sh. R. K. Baswal	01472-250313
5.		Chanderiya Chittorgarh	Sh. R. K. Baswal	01472-256233
	Sub-division (Rural) Chittorgarh			
1.		Sawa	Sh. A. K. Gupta	01472-225033
2.		Bassi	Sh. Rajesh Mantri	01472-225233
3.		Ghatiyawali	Sh. S. N. Soni	01472-280518
4.		Manpura	Sh. S. N. Soni	01472-230404
5.		Pandoli	Kumari Yogita Shringi	
6.		Vijaipur	Sh. Rajesh Mantri	
7.		Jalampura	Sh. A. K. Gupta	
	Sub-division Gangrar			
1.		Gangrar	Sh. Devendra Meena	01471-220231
2.		Kuwaliya	Sh. Mohd. Sariff	01472-235771
	Sub-division Begun			
1.		Begun	Sh. R. K. Namdev	01474-220140
2.		Damancha	Sh. R. K. Namdev	
3.		Meghpura	Sh. R. K. Namdev	
4.		Bhichor	Sh. J. R. Meena	01474-291060
5.		Katunda Mod.	Sh. J. R. Meena	01474-232405
6.		Anwalhera	Sh. J. R. Meena	01474-232404
7.		Samriya	Sh. J. R. Meena	
8.		Chechi	Sh. S. Kantiya	01474-232403
9.		Parsoli	Sh. S. Kantiya	
	Sub-division Rawatbhata			
1.		Rawatbhata	Sh. B. R. Malav	01475-235900
2.		Borav	Sh. B. R. Malav	
3.		Jawada	Sh. Deepak Meghwal	
	Division Kapasan			
	Sub-division Bhopalsagar			
1.		Bhopalsagar	Sh. Jamna Lal Bhambi	01476-224244
2.		Akola	Sh. Raj Ratan Cheepa	01476-283187
3.		Jashma	Sh. Raj Ratan Cheepa	-
	Sub-division Rashmi			

1.		Rashmi	Sh. Umesh Paliwal	01471-226322
2.		Pahuna	Sh. Vinod Khandalwal	01471-222033
3.		Bheemgarh	Sh. Umesh Paliwal	-
4.		Uncha	Sh. Vinod Khandalwal	-
Sub-division Kapasan				
1.		Kapasan	Sh. Mithlesh Shedwal	01476-230240
2.		Kapasan RIICO	Sh. Mithlesh Shedwal	-
3.		Singhpur	Sh. Mithlesh Shedwal	01476-229340
4.		Bhamniya	Sh. Bhagat Ram Patidar	01476-233380
5.		Hathiyana	Sh. Kapil Khabbar	01476-288243
6.		Umand	Sh. Kapil Khabbar	01476-233381
7.		Pandoli	Sh. Mithlesh Shedwal	-
8.		Surpur	Sh. Kapil Khabbar	-
9.		Rolia	Sh. Bhagat Ram Patidar	-
Division Nimbahera				
Sub Division O&M Nimbahera				
1.		Kanera	Sh. D. K. Soni	01477-241641
2.		Gadola	Sh. D. K. Soni	01477-232435
Sub-division Rural Nimbahera				
1.		Lasdawan	Sh. D. K. Mittal	01474-333061
2.		Badi	Smt. Savitri Gupta	01477-233062
3.		Mangrol	Sh. Hawa Singh	01477-246238
4.		Binota	Sh. D. K. Mittal	01477-233063
5.		Jawada	Sh. D.K. Mittal	01477-233064
6.		Sobhawali	Smt. Savitri Gupta	01477-233065
7.		Arniya Joshi	Sh. Hawa Singh	01477-233071
Sub-division Barisadri				
1.		Barisadri	Sh. K. C. Gadiya	01473-264233
2.		Jankhana	Sh. K. C. Gadiya	01473-266009
3.		Bansi	Sh. Rishabh Bhargav	01473-245225
Sub-division Dungla				
1.		Dungla	Sh. O. P. Banna	01470-247323
2.		Mangalwad	Sh. Jaswant Singh	01470-246392
Sub-division Bhadesar				
1.		Bhadesar	Sh. Sandeep Bakoliya	01470-243225
2.		Mandpiya	Sh. Sandeep Bakoliya	01470-242100
3.		Bhadsoda	Sh. Sandeep Bakoliya	01470-245517
4.		Banseri	Sh. Sandeep Bakoliya	01470-248121
Division Paratpgarh				
Sub-division O&M Partapgarh				
1.		Power House Paratapgarh	Sh. Dinesh Kumawat	01478-222095
2.		Suhagpura	Sh. Aashish Khandalwal	01478-226393
3.		Kherot	Sh. Dinesh Kumawat	01479-243140
4.		Mokhampura	Sh. Arun Kumar Choudhary	01478-222126
5.		Kuni	Sh. Arun Kumar Choudhary	01479-243893
6.		Asawata	Sh. Arun Kumar Choudhary	01479-243139

7.		Lamba Dabra	Sh. Aashish Khandalwal	-
8.		Peepal Khunt	Sh. Aashish Khandalwal	-
	Sub-division Rural Partapgarh			
		Siddhpura	Sh. Manish Chourasiya	01478-226484
		Barawarda	Sh. Manish Chourasiya	01478-293110
		Devgarh	Sh. Mitha Lal Meena	01479-226280
		Rathanjana	Sh. Arpit Doshi	01478-226281
		Topha Khera	Sh. Arpit Doshi	01478-292035
	Sub-division Arnod			
1.		Arnod GSS	Sh. Avinash Jaiswal	01479-242226
2.		Chupna	Sh. Avinash Jaiswal	01479-261226
3.		Barkheri	Sh. Praveen Sharma	-
4.		Dalot	Sh. Praveen Sharma	01479-240315
5.		Salamgarh	Sh. Praveen Sharma	-
6.		Bari Sakhthali	Sh. Praveen Sharma	-
	Sub-division Chhotisadri			
1.		Chhotisadri City	Sh. Ravi Nama	01473-262454
2.		Karunda	Sh. Ravi Nama	01473-267722
3.		Siya Kheri	Sh. Vishal Nagar	01473-267719
4.		Barwada Naka	Sh. Ravi Nama	01473-267723
5.		Dhamniya Jagir	Sh. Vishal Nagar	01473-267721
6.		Bambori	Sh. Prabhu Lal Prajapat	01473-267724
7.		Satola	Sh. Prabhu Lal Prajapat	01473-267725
8.		Ramdevji (Gomana)	Sh. Vishal Nagar	01473-267720
	Sub-division Dhariyawad			
1.		Dhariyawad City	Sh. Rajendra Sanwariya	02950-270037
2.		Parsola	Sh. Mohd. Mazhar	
	Call Center			
1.		Shastri Nagar Chittorgarh	Sh. R. K. Baswal	1912 / 01472-250026
2.		Nimbahera City	Sh. D. K. Soni	1912 / 01477-220099
Jhunjhunu Circle				
	XEN (O&M) Jhunjhunu			
1.	AEN (O&M) Bagar	Bhakhtawarpura		01596-263342
2.		Mendrella		01596-277642
3.		Bagar		01592-221430
4.	AEN (R) JJN	Bharunda		01592-276360
5.		Binjusr		01592-272076
6.		Jhunjhunu		01592-232516
7.	AEN (O&M) JJN	Mandawa Mode		01592-237638
8.		Gandhi Chowck		01592-232215
9.	AEN (O&M) Bissau	Bissau		01595-264497
10.	AEN (O&M) Malsisar	Malsisar		01595-276240
11.	AEN (O&M) Mandawa	Mandawa		01592-223429

12.		Hetamsar			01592-274563
	XEN (O&M) Chirawa				
13.	AEN (O&M) Chirawa	Main Market Chirawa			01596-220110
14.	AEN (O&M) Pilani	Nootan Market			01596-242142
15.		Bad Chowck			01596-242307
16.	AEN (O&M) Sultana	Sultana			01596-281398
17.		33/11 KV S/S Surajgarh			01596-287454
	XEN (O&M) Khetrinagar				
18.	AEN (O&M) Khetritown	Khetri GSS			01593-284466
19.	AEN (O&M) Khetrinagar	Singahana			01593-220196
20.		Bhesawata			01593-272257
21.		Ghardana			01593-284382
22.	AEN (O&M) Buhana	Buhana			01593-288304
23.		Kuharwas			01593-283396
24.		Ghesra			01593-218959
25.		Pachari			01593-271274
	XEN (O&M) Nawalgarh				
26.	AEN (O&M) Gudhagorji	Gudha			01594-263365
27.	AEN (O&M) Udaipurwati	City Udaipurwati			01594-234221
28.		Office			01594-234264
29.	AEN (O&M) Nawalgarh	City Nawalgarh			01594-222036
30.		Office			01594-222037
31.	AEN (O&M) Mukandgarh	City Mukandgarh			01594-252367
Sikar Circle					
1.	AEN (CSD-I)	Power House, Sikar			01572-270645
2.		Industrial Area, Sikar			01572-246165
	AEN(CSD-II)	Dak Bunglow, Sikar			1912 Toll Free
		Dak Bunglow, Sikar			01572-270674
		Salasar Stand, Sikar			01572-270712
	AEN (Rural)	Water work, Sikar			01572-270494
		JEN Sihot Chhoti			01572-224020
		JEN Moondwara			01572-262239
	O&M Piprali	Dak Bunglow, Sikar			01572-250658
		JEN Piprali			01572-226118
		JEN Dadiya			01572-232159
		JEN Kunda			01572-230334
	O&M Losal	JEN Losal			01577-220240
		JEN Khood			01577-230017
	O&M Dhod	JEN Dhod			01572-294340
		AEN Office Dhod			01572-236133
	O&M	JEN Laxmangarh			01573-222263

	Laxmangarh			
		JEN Laxmangarh		01573-225238
		JEN Balarana		01573-250134
		JEN Dudwa		01573-286281
	(R) Laxmangarh	JEN Kachhawa		01570-262328
		JEN Jajod		01570-264261
		JEN Khuri		01573-232057
	O&M Fatehpur	Compl. Center Fatehpur		01571-230008
		JEN City Fatehpur		01571-230040
	(R) Fatehpur	JEN (R) Fatehpur		01571-230016
	O&M Ramgarh Shehawati	AEN Ramgarh		01571-240329
		JEN Ramgarh Shekhwati		01571-230016
	O&M Palsana	JEN Palsana		01576-225036
		JEN Ranoli		01576-220336
		JEN Kochhor		01576-295815
	O&M Reengus	JEN Hq. Reengus		01575-224231
		JEN Mehroli		01575-224920
	O&M Srimadhapur	JEN Srimadhapur		01575-250040
		JEN Bassi		01575-250147
	(O&M) Danta Ramgarh	JEN Ramgarh (Danta)		01577-272328
		JEN Danta		01577-272323
	(O&M) Khatu Shyamji	JEN Khatu Shyamji		01576-230064
		JEN KhatuShyamji		01576-230032
		JEN Bay		01576-235314
	(O&M) Khachariawas	JEN Khachariawas		01577-240168
	(O&M) Neemkathana	JEN Neem ka thana		01574-230024
		JEN Challa		01574-287460
		JEN Maundwa		01574-283522
	(O&M) Khandela	JEN Khandela		01575-260047
		JEN Kanwat		01575-233326
	(O&M) Patan	JEN Patan		01574-282226
		JEN Toda		01574-284285
	(O&M) Ajitgarh	JEN Ajeetgarh		01575-222031
		JEN Ajmer		01575-272584
		JEN Thoi		01575-288237

मैन्युअल-16

Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited

लोक प्राधिकरण का नाम : अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारियों की सूची
(सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 5 के अन्तर्गत नियुक्त)

निगम आदेश क्रमांक AVVNL/MD/ Secy. (Admn.)/ Karmik/ F. / OO. 565/ D. 5765 dated
14.02.2006

(i) (फील्ड ऑफिस-पवस)

अ- सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र सं	नाम सहायक लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री गोविन्द पेसवानी	सहायक अभियन्ता (डी.-I), अजमेर	0145	2610743	2644515		9413391614
2	श्री जी.डी.फुलवारी	सहा. अभि. (डी.-II), अजमेर	0145	2625434	2632061		9413391615
3	श्री एस. एस.अली	सहा. अभि. (डी.-III), अजमेर	0145	2628096	2691371		9413391616
4	श्री बी. एस. बघेल	सहा. अभि. (डी.-IV), अजमेर	0145	2644966	2671273		9413391619
5	श्री राजीव वर्मा	सहा. अभि. (डी.-V), अजमेर	0145	2695297	2691535		9413391618
6	श्री एल.आर.थोडी	सहा. अभि. (पवस), मदार	0145	2671785	2629483		9413391620
7	श्री भवानी शंकर सोनी	सहा. अभि. (पवस), पुष्कर	0145	2772183	2772413		9413391621
8	श्री विनय कुमार वियोगी	सहा. अभि. (पवस), सराधना	0145	2782446	2782315		9413392213
9	श्री बी. एस. सोनी	सहा. अभि. (पवस), किशनगढ	01463	245923	245823		9413391628
10	श्री बाबू लाल	सहा. अभि. (R), किशनगढ	01463	245969	245959		9413391629
11	श्री खेमसिंह	सहा. अभि. (RIICO), किशनगढ	01463	243459	247435		9413391630
12	श्री हनुमान लाल जाट	सहा. अभि. (पवस), रूपनगढ	01497	220232	220242		9413391631
13	श्री जी. एस. मीणा	सहा. अभि. (CSD-I), ब्यावर	01462	257953	226774		9413391622
14	श्री वी.डी.दुबे	सहा. अभि. (CSD-II), ब्यावर	01462	250052	253838		9413392214
15	श्री पी. एल. खटीक	सहा. अभि. (पवस), जवाजा	01462	267040	267201		9413396493 7
16	श्री घनश्यामदास फुलवारी	सहा. अभि. (पवस), मसूदा	01462	266886	266985		9413391623
17	श्री दिनेश कु खण्डेलवाल	सहा. अभि. (पवस), बिजयनगर	01462	230008	230085		9413391627
18	श्री बलवीर सिंह शेखावत	सहा. अभि. (पवस), नसीराबाद	01491	220120	220059		9413391624
19	श्री बी.एस. सोनी	सहा. अभि. (पवस), सरवाड़	01496	230048	230268		9413391625
20	श्री राधेश्याम शर्मा	सहा. अभि. (पवस), केकड़ी	01467	220067	220985		9413391626
21	श्री उगेन्द शर्मा	सहायक अभियन्ता (पवस), नागौर	01582	240876	240832		9413391685
22	श्री बी.एम.शर्मा	सहा. अभि. (REC), नागौर	01582	245356	245440		9413391686

23	श्री किरोडी लाल मीणा	सहा. अभि. (पवस), मुंडवा	01584	283056	283053		9413391687
24	श्री सी. आर. सारण	सहा. अभि. (पवस), खींवसर	01585	262327	262328		9413391688
25	श्री सुलतान यिंह	सहा. अभि. (पवस), डीडवाना	01580	220395	220057		9413391698
26	श्री बी.एल.चौधरी	सहा. अभि. (पवस), मोलासर	01580	240129	240630		9413391699
27	श्री बलदेव राम	सहा. अभि. (पवस), जायल	01583	272136	272137		9413391700
28	श्री यू.एस. चौधरी	सहा. अभि. (पवस), मेड़ता सिटी	01590	220063	221083		9413391689
29	श्री भँवर सिंह	सहा. अभि. (REC), मेड़ता सिटी	01590	220150	220149		9413391690
30	श्री एफ. आर. मीणा	सहा. अभि. (पवस), डेगाना	01587	222075	222070		9413391692
31	श्री सुदर्शन शर्मा	सहा. अभि. (पवस), रियाबाड़ी	01590	240028	240028		9413391691
32	श्री अशोक कु. सिंह	सहा. अभि. (पवस), मकराना	01588	243673	243674		9413391693
33	श्री एम.एल.मीना	सहा. अभि. (R), मकराना	01588	240100	240101		9413391694
34	श्री बी. एल. गोदावत	सहा. अभि. (पवस), परबतसर	01589	270129	270218		9413391697
35	श्री इन्दर सिंह राठौड	सहा. अभि. (पवस), कुचामनसिटी	01586	220144	220124		9413391695
36	श्री सी. आर. कुमावत	सहा. अभि. (पवस), नावासिटी	01586	262754	262762		9413391696
37	श्री डी. सी. स्वर्णकार	सहा. अभि. (CSD-I), भीलवाड़ा	01482	232756	231357		9413391987
38	श्री एच. एल. भागहल	सहा. अभि. (CSD-II), भीलवाड़ा	01482	240137	243831		9413391988
39	श्री आर. एल. वीरवाल	सहा. अभि. (CSD-III), भीलवाड़ा	01482	232750	232751		9413391989
40	श्री वीरेन्द्र कु. संचेती	सहा. अभि. (R-I), भीलवाड़ा	01482	240630	238099		9413391990
41	श्री पी. एम. जीन्गार	सहा. अभि. (R), गंगापुर	01481	220032 / 028	220044		9413391991
42	श्री एस. एल. वर्मा	सहा. अभि. (पवस), रायपुर	01486	230165 / 166	230164		9413391992
43	श्री जी. एल. खटिक	सहा. अभि. (R-II), सुवाना	01482	243272	232635		9413391993
44	श्री वाई. के. तिवारी	सहा. अभि. (पवस), कोटड़ी	01488	235227	237845		9413392001
45	श्री रतनलाल लखेडा	सहा. अभि. (पवस), बिजोलिया	01489	236287 / 022	236188		9413391999
46	श्री टोटा राम वर्मा	सहा. अभि. (पवस), आसीन्द	01480	220125 / 111	220060		9413391996
47	श्री राम प्रसाद मीणा	सहा. अभि. (पवस), बदनोर	01480	225677 / 640	225678		9413391997
48	श्री बी. पी. शर्मा	सहा. अभि. (पवस), मांडल	01486	266650 / 631	266632		9413391994
49	श्री राम खिलाडी मीणा	सहा. अभि. (पवस), मांडलगढ	01489	230015 / 013	230726		9413391998
50	श्री एम. के. चौहान	सहा. अभि. (LD), शाहपुरा	01484	222240	222243		9413392002
51	श्री बहादुर सिंह	सहा. अभि. (पवस), बनेरा	01487	272026	272039		9413392004
52	श्री वी. के. संचेती	सहा. अभि. (REC), हुरड़ा	01483	223082 / 040	223083		9413392005
53	श्री ए.बी.ठाकुर	सहा. अभि. (पवस), जहाजपुर	01485	230041	230160		9413392003
54	श्री एस.एस.बडाला	सहा. अभि. (PH-I), उदयपुर	0294	2420568	2491108		9413391758
55	श्री विनोद चन्द	सहा. अभि. (PH-II), उदयपुर	0294	2427866	2411128		9413391759

	माथुर						
56	श्री एस.सी.मेहता	सहा. अभि. (पवस), मधुबन, उदयपुर	0294	2427865	2434399		9413391757
57	श्री मनोज सुवालका	सहा. अभि. (पवस), अम्बामाता, उदयपुर	0294	2430372	2410613		9413391756
58	श्री सुरेश कु. शर्मा	सहा. अभि. (Sect.IV), उदयपुर	0294	2461677	2492833		9413391763
59	श्री एल.एम.मंसूरी	सहा. अभि. (पवस), सबीना	0294	2481536	2489943		9413391762
60	श्री ए. एल. जैन	सहा. अभि. (पवस), सादड़ी (उदयपुर)	0294	2491526	2419094		9413391761
61	श्री ओ. पी. बाडगूजर	सहा. अभि. (पवस), अशोकनगर	0294	2471437	2450823		9413391787
62	श्री आई. एम. मन्सूरी	सहा. अभि. (पवस), कोटडा	02959	227439			9413391772
63	श्री भगवान दास	सहा. अभि. (पवस), भिन्डर	02957	220216	220227		9413391765
64	श्री धन पाल जैन	सहा. अभि. (पवस), वल्लभनगर	02957	240232	240226		9413391766
65	श्री लक्ष्मी लाल मेघवाल	सहा. अभि. (पवस), देबारी	0294	2655575	2419100		9413391764
66	श्री पी. एन. त्रिवेदी	सहा. अभि. (पवस), मावली	02955	263249	2491330		9413390767
67	श्री राकेश सोनी	सहा. अभि. (पवस), बडगांव	0291	2427871	2800209		9413391768
68	श्री एस.एल.सुथार	सहा. अभि. (पवस), गोगुन्दा	02956	242028	282136		9413391771
69	श्री ए. के. सोनी	सहा. अभि. (पवस), गिरवा	0294	2491990	2470013		9413391769
70	श्री दिनेश सिंह	सहा. अभि. (पवस), झाड़ोल	02959	22037	220036		9413391770
71	श्री एस.के.उपाध्याय	सहा. अभि. (पवस), सलूबर	02906	230831	230830		9413391773
72	श्री इन्द्रराज मीणा	सहा. अभि. (पवस), सराड़ा	02905	260021	260043		9413391775
73	श्री सी.एल.रोट	सहा. अभि. (पवस), खेरवाड़ा	02907	220027	220017		9413391774
74	श्री यशवंत कु.तिवारी	सहा. अभि. (पवस), धरियावद	02950	270037	270030		9413391776
75	श्री के.एल.तिवारी	सहा. अभि. (पवस), आमेट	02908	230873	230874		9413391835
76	श्री शेखर चौधरी	सहा. अभि. (पवस), खेरवाड़ा	02954	242237	242242		9413391838
77	श्री पी. के. जैन	सहा. अभि. (पवस), देवगढ़	02904	252028	252266		9413391836
78	श्री डी. सी. शर्मा	सहा. अभि. (पवस), कांकोली	02952	224827	221827		9413391832
79	श्री चेना राम रेगर	सहा. अभि. (पवस), राजनगर	02952	220030	224157		9413391833
80	श्री डी.सी.स्वर्णकार	सहा. अभि. (पवस), नाथद्वारा	02953	234673	231927		9413391839
81	श्री लक्ष्मण लीलानी	सहा. अभि. (पवस), खमनोर	02953	285036	285037		9413391841
82	श्री पन्नालाल खटीक	सहा. अभि. (पवस), रेलमगरा	02952	285036	267227		
83	श्री के.सी.बुलावत	सहा. अभि. (पवस), देलवाड़ा	02953	289060	289359		9413391840
84	श्री बी.एल.शर्मा	सहा. अभि. (पवस), चित्तौड़गढ़	01472	241250	255766		9413391921
85	श्री सी.पी.शर्मा	सहा. अभि. (R), चित्तौड़गढ़	01472	246750	256130		9413391922
86	श्री आर. एस. यादव	सहा. अभि. (पवस), बेगूं	01474	220148	220158		9413391924
87	श्री सी. पी. शर्मा	सहा. अभि. (पवस), गंगरार	01471	220228	220226		9413391925
88	श्री गंगाराम मीणा	सहा. अभि. (पवस), रावतभाटा	01475	233400	233002		9413391923
89	श्री एस.सी.अग्रवाल	सहा. अभि. (पवस), कपासन	01476	230259	230208		9413391931
90	श्री एस.एल.जैन	सहा. अभि. (पवस), भूपालसागर	01476	224243	224223		9413391932
91	श्री आर. जे. मिश्रा	सहा. अभि. (पवस), राशमी	01471	226816	226817		9413391933
92	श्री पी. सी. बैरवा	सहा. अभि. (पवस), निम्बाखेड़ा	01477	220030	220034		9413391926
93	श्री आर. के.	सहा. अभि. (REC),	01477	220058	220052		9413391927

	अग्रवाल	निम्बाखेड़ा					
94	श्री एम. के. चौहान	सहा. अभि. (पवस), बड़ी सादडी	01473	264237	264236		9413391929
95	श्री के.एल. कालबेलिया	सहा. अभि. (पवस), भदेसर	01470	243225	243233		9413391928
96	श्री लाभ चन्द प्रजापति	सहा. अभि. (पवस), डूंगला	01470	247322	247321		9413391930
97	श्री नसीर हुसैन मंसूरी	सहा. अभि. (पवस), प्रतापगढ़	01478	222084	223796		9413391934
98	श्री पी. एस. बूंदेला	सहा. अभि. (REC), प्रतापगढ़	01478	222078	222256		9413391935
99	श्री पी.एस.बूंदेला	सहा. अभि. (पवस), अरनोद	01479	242232	242246		9413391937
100	श्री एन. एच. मनसूरी	सहा. अभि. (पवस), छोटी सादडी	01473	262442	262444		9413391936
101	श्री सी. एल. रोट	सहा. अभि. (City), बांसवाड़ा	02962	243049			9413391870
102	श्री डूलचन्द तम्बोलिया	सहा. अभि. (R), बांसवाड़ा	02962	242863	243797		9413391871
103	श्री जे.आर.गुप्ता	सहा. अभि. (पवस), परतापुर	02963	220444			9413391875
104	श्री प्रेमजी पतीदार	सहा. अभि. (पवस), गढी	02963	221225			9413391876
105	श्री प्रमोद रंजन	सहा. अभि. (पवस), घाटोल	02961	235134	235133		9413391872
106	श्री खेम सिंह	सहा. अभि. (पवस), बागीडोरा	02968	220272	220698		9413391874
107	श्री तपेश्वर सिंह	सहा. अभि. (पवस), कुशलगढ़	02965	275435	275470		9413391873
108	श्री के.एस.वर्मा	सहा. अभि. (पवस), डूंगरपुर	02964	234037	234036		9413391877
109	श्री प्रेमजी पटीदार	सहा. अभि. (URBAN), सागवाड़ा	02966	252022	220099		9413391882
110	श्री विनोद दोसी	सहा. अभि. (R), सागवाड़ा	02966	254949	254850		9413391881
111	श्री मैक्सोना फरनाडिज	सहा. अभि. (पवस), आसपुर	02967	220147	220778		9413391880
112	श्री एस.एल.दामोरे	सहा. अभि. (पवस), बिच्छीवाड़ा	02964	255028	231833		9413391878
113	श्री बी. एस. कालबेलिया	सहा. अभि. (पवस), धम्बोला	02964	240125	250043		9413391879
114	श्री कमली राम मीना	सहा. अभि. (पवस), झुंझनू	01592	232420			9413392141
115	श्री अयुब अली भाटी	सहा. अभि. (R), झुंझनू	01592	232516	232539		9413392142
116	श्री फतेह सिंह	सहा. अभि. (पवस), बग्गड	01592	221171	221172		9413392145
117	श्री ए. बी. टाकुर	सहा. अभि. (पवस), मलसीसर	01595	276583	276609		9413392146
118	श्री के. आर. मीणा	सहा. अभि. (पवस), बिसाऊ	01595	264420			9413392144
119	श्री महेन्द्र शेखावत	सहा. अभि. (पवस), मंडावा	01592	223130	223439		9413392143
120	श्री बाबूलाल बांसवाल	सहा. अभि. (पवस), चिडावा	01596	220027	220109		9413392147
121	श्री एस.एस.धानका	सहा. अभि. (पवस), पिलानी	01596	242204	242236		9413392148
122	श्री बी. एस. बसवाला	सहा. अभि. (पवस), सुल्ताना	01596	281552	281552		9413392150
123	श्री राम प्रताप सिंह ढाका	सहा. अभि. (पवस), सूरजगढ़	01596	237322	237320		9413392149
124	श्री श्रवण कु. अग्रवाल	सहा. अभि. (पवस), नवलगढ़	01594	222019	222005		9413392154
125	श्री आर.पी.एस.ढाका	सहा. अभि. (पवस), मुकन्दगढ़	01594	252367	252697		9413392157
126	श्री आर. एम. गुप्ता	सहा. अभि. (पवस), गुढागोडजी	01594	263365	263366		9413392155
127	श्री आर.एस.शेखावत	सहा. अभि. (पवस),	01594	244264	234266		9413392156

		उदयपुरवाटी					
128	श्री गंगाराम मीणा	सहा. अभि. (पवस), खेतडीनगर	01593	220083	220084		9413392151
129	श्री एस. के. सिन्हा	सहा. अभि. (पवस), खेतडी(कस्बा)	01593	234443			9413392152
130	श्री वी. के. वियोगी	सहा. अभि. (पवस), बुहाना	01593	288304			9413392153
131	श्री बी.एस.शर्मा	सहा. अभि. (CSD-I), सीकर	01572	250110	250844		9413392060
132	श्री ए.के.जोशी	सहा. अभि. (CSD-II), सीकर	01572	273127	273128		9413392061
133	श्री नन्द किशोर वर्मा	सहा. अभि. (R), सीकर	01572	250816	250766		9413392062
134	श्री एच. आर. कालेर	सहा. अभि. (पवस), पीपराली	01572	250658	250635		9413392063
135	श्री सुभाष चन्द	सहा. अभि. (पवस), लोसल	01577	221044	220306		9413392064
136	श्री हेम राज	सहा. अभि. (पवस), धोद	01572	236133			9413392065
137	श्री सुगन चन्द मिदल	सहा. अभि. (पवस), लक्ष्मणगढ़	01573	222229	222249		9413392066
138	श्री एस.एस.बारेट	सहा. अभि. (R), लक्ष्मणगढ़	01573	222236	222237		94133920067
139	श्री समर सिंह राव	सहा. अभि. (पवस), फतेहपुर	01571	230110	230004		9413392068
140	श्री सी. एम. माली	सहा. अभि. (R), फतेहपुर	01571	230016	232121		9413392069
141	श्री एन. के. वर्मा	सहा. अभि. (पवस), शेखावटी	01571	240329	240328		9413392079
142	श्री सुभाष देवेन्द	सहा. अभि. (पवस), रींगस	01575	224222	224229		9413392070
143	श्री वी.एस.शेखावत	सहा. अभि. (पवस), श्रीमाधोपुर	01575	250080	250083		9413392071
144	श्री एम. के. तिवरा	सहा. अभि. (पवस), पलसाना	01576	225030			9413392073
145	श्री वी.एस.शेखावत	सहा. अभि. (पवस), खाटूश्यामजी	01576	230064	230065		9413392073
146	श्री आर.एन.बिरधा	सहा. अभि. (पवस), दांतारामगढ़	01577	272327	272338		9413392074
147	श्री एस.एल.आर्य	सहा. अभि. (पवस), खांचरीयावास	01577	240168	240169		9413392075
148	श्री एस.एस.यादव	सहा. अभि. (पवस), नीम का थाना	01574	230078	230009		9413392076
149	श्री जी. एन. सैनी	सहा. अभि. (पवस), पाटन	01574	282226			9413392077
150	श्री अयूब अली भाटी	सहा. अभि. (पवस), खंडेला	01575	260175	260176		9413392078
151	श्री सुरेन्द्र घानकड	सहा. अभि. (पवस), अजीतगढ़	01575	222173	222174		9413392080

ब- लोक सूचना अधिकारी

क्र सं	नाम लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री सी. के. खमेसरा	अधीक्षण अभियन्ता (पवस), अजमेर	0145	2429903	2641792	2429903	9141004087
2	श्री आर. के. बाकलीवाल	अधी. अभि. (पवस), नागौर	01582	240811	240046	243047	9414004076
3	श्री ओ.पी. वर्मा	अधी. अभि. (पवस), भीलवाड़ा	01482	232739	232741	232740	9414004073
4	श्री जी.एस. दलाल	अधी. अभि. (पवस), उदयपुर	0294	2481534	2427870	2481534	9414004082
5	श्री वाई के. बोलिया	अधी. अभि. (पवस), राजसमन्द	02952	220542	250750	220542	9414004075
6	श्री डी. बी. माथुर	अधी. अभि. (पवस), चित्तौडगढ़	01472	252688	255606	255188	9414004084
7	श्री ए. के. नागौरी	अधी. अभि. (पवस), बांसवाड़ा	02962	251270	250459	251270	9414004075
8	श्री यू. एस. तारोडिया	अधी. अभि. (पवस), झुंझुनू	01592	232270	232398	232270	9414004078
9	श्री एस. के. मेहता	अधी. अभि. (पवस), सीकर	01572	272064	272705	272736	9414004069

स- अपीलांट अधिकारी

क्र सं	नाम अपीलांट अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री ए.के. नागौरी	संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस), अजमेर	0145	2429196	2671860	2429196	9414004077
2	श्री आर. के. वर्मा	संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस), उदयपुर	0294	2481532	2411812	2483132	9414004062
3	श्री बी. के. माहेश्वरी	संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस), झुंझुनू	01592	236190	232055	236190	9414004070

(ii) फील्ड कार्यालयों के अतिरिक्त

अ- सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोकसूचना अधिकारी एवं अपीलेट ऑथोरिटी

सिविल शाखा :-

क्र सं	नाम सहायक लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री एम. के. रावत	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), शास्त्रीनगर, अजमेर	0145	2622919	2600214	2429903	9414004067

क्र सं	नाम लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री सी. के. खमेसरा	मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), अजमेर	0145	2629194	2627936	2633508	9414004083

क्र सं	नाम अपीलांट अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री पी. एस. जाट	निगम कार्यालय, सिटी पावर हाउस, जयपुर रोड़, अजमेर	0145 0141	2421430 2740891		2630636 2741252	9414005280

एम.एण्ड पी. विंग :-

क्र सं	नाम सहायक लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री के. पी. वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता (M&P), अजमेर	0145	2670593	2670383	2671118	9414004071

क्र सं	नाम लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री सी.के. खमेसरा	मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), अजमेर	0145	2629194	2627936	2633508	9414004083

क्र सं	नाम अपीलांट अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री पी. एस. जाट	निगम कार्यालय, सिटी पावर हाउस, जयपुर रोड़, अजमेर	0145 0141	2421430 2740891		2630636 2741252	9414005280

पदार्थ प्रबन्धन शाखा (MM):-

क्र सं	नाम सहायक लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री जी.एन.डाणी	अधीक्षण अभियन्ता (MM), अजमेर	0145	2623583	2625120	2631738	9414004063

क्र सं	नाम लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री ए.के.नागौरी	मुख्य अभियन्ता (पवस), अजमेर	0145	2429196	2671860	2429196	9414004077

क्र सं	नाम अपीलांत अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री पी. एस. जाट	निगम कार्यालय, सिटी पावर हाउस, जयपुर रोड, अजमेर	0145 0141	2421430 2740891		2630636 2741252	9414005280

स्टोर्स :-

क्र सं	नाम सहायक लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री जी.एन.डाणी	अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम.), अजमेर	0145	2623583	2625120	2631738	9414004063

क्र सं	नाम लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री सी.के.खमेसरा	मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), अजमेर	0145	2429196	2627936	2633508	9414004083

क्र सं	नाम अपीलांत अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री पी. एस. जाट	निगम कार्यालय, सिटी पावर हाउस, जयपुर रोड, अजमेर	0145 0141	2421430 2740891		2630636 2741252	9414005280

संविदा (Turnkey) :-

क्र सं	नाम सहायक लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री एस.के.भार्गव	अधीक्षण अभियन्ता (TW), अजमेर	0145	2422226		2422226	9414004059

क्र सं	नाम लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री ए.के.नागौरी	मुख्य अभियन्ता (पवस), अजमेर	0145	2429196		2429196	9414004077

क्र सं	नाम अपीलांत अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री पी. एस. जाट	निगम कार्यालय, सिटी पावर हाउस, जयपुर रोड, अजमेर	0145 0141	2421430 2740891		2630636 2741252	9414005280

योजना (प्लान) :-

क्र सं	नाम सहायक लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री बी. एम. गोयल	अधीक्षण अभियन्ता (प्लान), अजमेर	0145	2426983	2623246	2632462	9414004068

क्र सं	नाम अपीलांत अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री पी. एस. जाट	निगम कार्यालय, सिटी पावर हाउस, जयपुर रोड, अजमेर	0145 0141	2421430 2740891		2630636 2741252	9414005280

iii) लेखा/कार्मिक प्रकोष्ठ :-

लेखा प्रकोष्ठ

क्र सं	नाम सहायक लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री आर. बी. अग्रवाल	वरि.ले.अ. (वाणिज्य), अजमेर	0145	2622561	2600715		9413391443
2	श्री बी.एल.शर्मा	वरि.ले.अ. (MM/TW), अजमेर	0145	2628079	2690457		9413391600
3	श्रीमति ज्योति जैन	वरि.ले.अ. (REV), उदयपुर	0294	2488289			9413390603
4	श्री एस. के. स्वर्णकार	वरि.ले.अ. (पवस), झुंझुनू	01592	237608			9413391607
5	श्री एस.एन.शर्मा	वरि.ले.अ. (CPC), अजमेर	0145	2621341			9413391447

क्र सं	नाम लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री एस.एम.माथुर	मुख्य लेखाधिकारी (लेखा), अजमेर	0145	2631575	2643809	2630575	9414002000
2	श्री एम.के.गोयल	मुख्य लेखाधिकारी (IAWM) अजमेर	0145	2622450	2525138		9413391412
3	श्री एम. के. जैन	मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व), अजमेर	0145	2631687	2640877		9413391545

क्र सं	नाम अपीलांत अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री पी. एस. जाट	निगम कार्यालय, सिटी पावर हाउस, जयपुर रोड, अजमेर	0145 0141	2421430 2740891		2630636 2741252	9414004080

कार्मिक प्रकोष्ठ

क्र सं	नाम सहायक लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री जयराम चौधरी	कार्मिक अधिकारी, निगम कार्यालय, अजमेर	0145	2622649			9413391406
2		कार्मिक अधिकारी, (पवस), अजमेर	0145	2625165			9413391678
3		कार्मिक अधिकारी, (पवस), नागौर	01582	240811			9413391746
4	श्री एस.एस.शर्मा	कार्मिक अधिकारी, (पवस), भीलवाड़ा	01482	232747	225768		9413392053
5		कार्मिक अधिकारी, (पवस), उदयपुर	0294	2481534			
6	श्री अजय भटनगार	कार्मिक अधिकारी, (पवस), चित्तौड़गढ़	01472	255611			9413391980
7	श्री आर.के.अरोड़ा	कार्मिक अधिकारी, (पवस), बांसवाड़ा	02962	251232			9413391888
8		कार्मिक अधिकारी, (पवस), झुंझुनू	01592	232790			
9	श्री एन. आर. वर्मा	कार्मिक अधिकारी, (पवस), सीकर	01572	272064			9413392133

क्र सं	नाम लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	सुश्री रेणु जयपाल	सचिव (प्रशासन), निगम कार्यालय, अजमेर	0145	2432695	2423049		9414004066

क्र सं	नाम अपीलांत अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री पी. एस. जाट	निगम कार्यालय, सिटी पावर हाउस, जयपुर रोड़, अजमेर	0141	2740891	2433538	22741252	9414005280

(iv) प्रशासन/सतर्कता शाखा :-

प्रशासन (Administration):-

क्र सं	नाम सहायक लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	सुश्री रेणु जयपाल	सचिव (प्रशासन), निगम कार्यालय, अजमेर	0145	2429330			9413391444

क्र सं	नाम लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	सुश्री रेणु जयपाल	सचिव (प्रशासन), निगम कार्यालय, अजमेर	0145	2432695	2423049		9414004066

क्र सं	नाम अपीलांत अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री पी. एस. जाट	निगम कार्यालय, सिटी पावर हाउस, जयपुर रोड, अजमेर	0141	2740891		2741252	9414005280

सतर्कता (Vigilance):-

क्र सं	नाम सहायक लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री राज कु. शर्मा	अति.पु.सतर्कता, अजमेर	0145	2631744	2432593	2425420	9414004065
2	श्री एस.आर. दनोडिया	उप पुलि. अधीक्षक, सतर्कता, नागौर	01582	243817			
3	श्री नेमीचन्द वर्मा	उप पुलि. अधीक्षक, सतर्कता, झुंझुनू	01592	234581			9413391566

क्र सं	नाम लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	सुश्री रेणु जयपाल	सचिव (प्रशासन), निगम कार्यालय, अजमेर	0145	2432695	2423049	2627534	9414004066

क्र सं	नाम अपीलांत अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री पी. एस. जाट	निगम कार्यालय, सिटी पावर हाउस, जयपुर रोड, अजमेर	0141	2740891	2433538	2741252	9414004080

(v) निगम कार्यालय (Corporate Office)

क्र सं	नाम लोक सूचना अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री जे. आर. चौधरी	अधीक्षण अभियन्ता (RPPC), जयपुर	0145	2622649			9413391406
2	श्री बी. एम. गोयल	अधीक्षण अभि. (योजना), निगम कार्यालय, अजमेर	0145	2426983	2623246	2632462	9413391457

क्र सं	नाम अपीलांत अधिकारी	पता	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	मोबाइल न.
				कार्यालय	आवास		
1	श्री पी. एस. जाट	निगम कार्यालय, सिटी पावर हाउस, जयपुर रोड, अजमेर	0141	2740891		2741252	9414004080

एजेन्डा नं. – 6

लोकसूचना अधिकारियों के कार्यालय में सूचना पट्ट द्वारा प्रगति का प्रदर्शन

- (i) निगम मुख्यालय पर वाँछित सूचना पट्ट लगा दिया गया है।
- (ii) प्रत्येक उपखण्ड (सहायक अभियन्ता कार्यालय) स्तर पर नोटिस बोर्ड (2*3 फीट) लगाने के आदेश दिये गये हैं, जिसमें उपभोक्ताओं से संबंधित बिजली संबंधी सूचना का उल्लेख किया गया है।
- (iii) सूचना के अधिकार एवं निगम की उपलब्धियों की जानकारी देने बाबत् प्रत्येक 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों एवं उपखण्ड (सहायक अभियन्ता कार्यालय) कार्यालय पर नोटिस बोर्ड पर निगम द्वारा जारी आदेशों की प्रतियाँ लगाने एवं कृषि नीति संबंधी मुख्य बिन्दुओं सहित विवरण प्रकाशित करने हेतु निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं।



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
सिटी पावर हाऊस, हाथीभाटा, अजमेर-305001

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की
धारा 4(1) (ख)

क्र. सं.	धारा 4(1)(ख) के बिन्दु	विभाग की वेबसाईट में उक्त बिन्दु अंकित है या नही पूर्ण विवरण
	प्रस्तावना	
1	अपने संगठन की विशिष्टता, कृत्य और कर्तव्य (मैन्यूअल 1)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य (मैन्यूअल 2)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है। (मैन्यूअल 3)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान (मैन्यूअल 4)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख (मैन्यूअल 5)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।
6	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण (मैन्यूअल 6)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टता जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है (मैन्यूअल 7)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।
8	ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्या निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण: (मैन्यूअल 8)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका (मैन्यूअल 9)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकार की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो (मैन्यूअल 10)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टता, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (मैन्यूअल 11)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है (मैन्यूअल 12)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टता (मैन्यूअल 13)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।
14	किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो (मैन्यूअल 14)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टता जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यक्रमण घंटे सम्मिलित है (मैन्यूअल 15)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टता (मैन्यूअल 16)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।
17	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा (मैन्यूअल 17)	वांछित सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है।

सचिव (प्रशासन)
अविविनिलि, अजमेर

प्रस्तावना

Company Profile

Who we are

Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd, (AJMER DISCOM) has been established under the Companies Act, 1956 by Govt. of Rajasthan. The Ajmer Discom has been created with the principal object of engaging in the business of distribution and supply of electricity in 11 districts of Rajasthan, namely Ajmer, Bhilwara, Nagaur, Sikar, Jhunjhunu, Udaipur, Banswara, Chittorgarh, Rajsamand, Doongarpur and Pratapgarh. The area of operation of Ajmer Discom is 87256 sq. km. And the population in this area is 198 lacs as per 2001 census. The power supply in the Ajmer Discom is managed by **9 distribution circles** i.e. Ajmer, Bhilwara, Nagaur, Udaipur, Chittorgarh, Banswara, Sikar, Rajsamand & Jhunjhunu, 34 Executive Engineers, 151 Assistant Engineers, 2 Nos. Superintending Engineer (M&P) wing.

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

1 गठन:-

राज्य सरकार द्वारा राज्य में विद्युत तंत्र के सुधार एवं उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का विघटन कर पाँच विद्युत कम्पनियों का गठन दिनांक 19 जुलाई 2000 को किया गया। विद्युत वितरण क्षेत्र में तीन कम्पनियों के रूप में अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. का गठन किया गया।

अजमेर डिस्कॉम का कार्यक्षेत्र:-

क्र.सं.	मद	विवरण
1	भौगोलिक क्षेत्र	1 अजमेर 2 नागौर 3 भीलवाड़ा 4 सीकर 5 झुंझुनूं 6 उदयपुर 7 बांसवाड़ा 8 डुंगरपुर 9 राजसमंद 10 चित्तौड़गढ़ 11 प्रतापगढ़
2	क्षेत्रफल	87256 वर्ग कि.मी.
3	जनसंख्या	192 लाख
4	उपभोक्ता	3027508
5	कुल गांव	14131
6	विद्युतिकृत गांव	13363
7	शत प्रतिशत विद्युतिकृत जिले	अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनूं, डुंगरपुर।

2 विद्युत व्यवस्था:-

अजमेर डिस्कॉम के क्षेत्राधिकार में 31 मार्च, 2010 तक विद्युत वितरण हेतु 33/11 के.वी. के 4709 एम.वी.ए. क्षमता के 1046 सब-स्टेशन स्थापित किये हुये हैं जिन्हे 220 एवं 132 के लगभग 107 ग्रिड सब-स्टेशनों से विद्युत आपूर्ति की जाती है। इन 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों हेतु 11450 किलोमीटर 22 के.वी. लाईनों का तंत्र विद्यमान है। इसके अतिरिक्त 11 के.वी. के 82305 कि.मी. एवं एल.टी., ए.बी. केबल सहित की 127662 कि.मी. लाईनों का तंत्र विद्यमान है। विद्युत वितरण हेतु 11/0.4 के.वी. के 266318 ट्रांसफार्मर जिनकी क्षमता 9176 एम.वी.ए. है, स्थापित है। उपभोक्ताओं को सुव्यवस्थित सेवाए प्रदान करने हेतु निगम में 13077 कर्मचारी कार्यरत है जो लगभग 231 उपभोक्ताओं पर एक कर्मचारी का अनुपात है।

मैन्यूअल-1
संगठन की विशिष्टिया, कृत्य एवं कर्तव्य

लोक प्राधिकरण के उद्देश्य:- आम उपभोक्ता को विद्युत संबंधी जानकारी सहज रूप से उपलब्ध कराना व विकास संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना।

लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन एवं संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग (As per Right to Information Act, 2005) के तहत:-

2. डिस्कॉम का लक्ष्य-

ऊर्जा क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 में परिलक्षित मुख्य उद्देश्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन, विद्युत के उत्पादन, वितरण तथा विद्युतापूर्ति द्वारा विद्युत अभिकरणों को दक्ष, मितव्ययी बनाना तथा प्रतियोगी ढंग से विकास तथा प्रबंधन हेतु विद्युत उद्योग की पुनःरचना करना है।

इसके अनुरूप अजमेर डिस्कॉम का लक्ष्य है कि वह भारत सरकार की नीति के अनुसार सन् 2012 तक अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले लगभग समस्त घरों में बिजली का कनेक्शन दे दे तथा राजस्थान विद्युत विनियामक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार विद्युत वितरण एवं प्रसारण हानि को निर्धारित मानको तक ले आये जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की बिजली उचित मूल्य पर मिल सके व उनके सन्तुष्टि स्तर को सर्वोत्तम बनाने हेतु यथोचित कार्य करें तथा अजमेर डिस्कॉम को राजस्थान की एक आदर्श विद्युत कम्पनी का स्वरूप प्रदान किया जा सकें।

अजमेर डिस्कॉम के मुख्य कर्तव्य-

1. अजमेर डिस्कॉम के कार्यक्षेत्र में विद्युतीकृत गांवों व शहरी निकायो में स्थित आवासीय गृहो, उद्योगों, कार्यालयों, सस्थाओं एवं व्यापारिक संगठनों आदि को विभिन्न श्रेणियों में विद्युत कनेक्शन मांग अनुसार देना।
2. विभिन्न श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं को राज्य सरकार, राज्य विद्युत विनियामक आयोग एवं अन्य नियंत्रक प्राधिकरणों के मानदण्डों के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करना।
3. विद्युत प्रदाय की निरंतरता एवं गुणवत्ता को बनाये रखना।
4. विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण करना।
5. विद्युत उपभोक्ताओं के विवादों का समझौता समितियों एवं अन्य उपायों के माध्यम से निस्तारण करना।
6. 33/11 के.वी. एवं एल.टी. लाइनों की स्थापना, सुदृढीकरण एवं उनका रख रखाव करना।
7. 33/11 के.वी. ग्रिड सबस्टेशनों तथा 11/0.4 के.वी. ट्रांसफॉर्मरों की स्थापना, सुदृढीकरण एवं उनका रख रखाव करना।
8. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप निर्मित स्विच गीयर एवं अन्य विद्युत उपकरणों की स्थापना हेतु प्रेरित करना।
9. विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जा संरक्षण एवं बिजली की बचत के उपायों के बारे में जागरूक करना।
10. विद्युत चोरी की रोकथाम के लिये जनता को प्रेरित करना एवं विद्युत चोरी रोकने के प्रभावी उपाय करना एवं जनसहभागिता की वृद्धि करना।
11. बीस सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति में सक्रिय भूमिका निभाना तथा इसके तहत कमजोर वर्ग के परिवारों को बी.पी.एल. जैसी योजनाओं में विद्युत कनेक्शन देना।
12. राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये किसानों को कम लागत की बिजली उचित मात्रा में उपलब्ध करवाना।
13. विद्युतिकरण से वंचित गाँवों, बस्तियों तथा दलित बस्तियों का विद्युतिकरण करना।
14. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को कृषि श्रेणी एवं प्राथमिकता से विद्युत कनेक्शन प्रदान करना।

लोक प्राधिकरण के कर्तव्य :- अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न औद्योगिक, कृषि, घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अनवरत विद्युत आपूर्ति करने का प्रयत्न करना। अविद्युतीकृत क्षेत्रों का विद्युतीकरण करना, विद्युत छीजत को न्यूनतम स्तर पर लाना।।

लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं को सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :- समस्त प्रकार के श्रेणियों के

उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति व राजस्व प्राप्ति व आम नागरिक द्वारा विद्युत संबंध चाहने पर उसे विद्युत संबंध उपलब्ध कराने की कार्यवाही करना।

लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहां लागू हो) :- विस्तृत विवरण आगामी पृष्ठों पर दिया गया है।

लोक प्राधिकरण को कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग को अपेक्षाएं :- विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चल सके इसके लिए समय पर अपना उपभोग का बिल चुकाना व विद्युत चोरी को रोकने में मदद करना और स्थापित केबिल, ट्रांसफार्मर्स, विद्युत उपकरणों आदि राष्ट्रिय सम्पत्ती को क्षति न पहुँचाना।

जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था :- (सूचना अधिकार अधिनियम 2005, के अन्तर्गत प्रकाशित मैनुयुवल में वर्णित प्रावधानानुसार) निगम द्वारा विद्युत चोरी एवं विद्युत दुरुपयोग रोकने में आम जन की सहभागिता/सहयोग हेतु विभिन्न स्थानों पर विद्युत चोरी निरोधक थानों की स्थापना की गई है। जिससे आमजन विद्युत चोरी संबंधी सूचना दे सकता है, इस संबंध में जानकारी देने वाले व्यक्ति की गोपनीयता बनाये रखने का एवं विद्युत चोरी एवं दुरुपयोग से वसूल दण्ड राशि में से एक निश्चित मात्रा में सूचना दाता को पुरस्कार स्वरूप देने का प्रावधान है।

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :-

1. एच.टी./एल.टी. फ्यूज के ब्लो ऑफ होने या वितरण ट्रांसफार्मर/एम.सी.बी. की परेशानी या मीटर, एम.सी.बी. अथवा सर्विस लाईन के कनेक्शन ढीले हो जाने या संबंध विच्छेदन सहित किसी कारण से वोल्टेज न होना/आपूर्ति में व्यवधान (यदि यह व्यवधान लाईन में खराबी या वितरण तथा/या पावर ट्रांसफार्मर की विफलता के कारण नहीं है) प्रातः 8 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक प्राप्त शिकायतें।
2. रात्रि में प्राप्त (रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक) उपभोक्ता शिकायतें।
3. रोजमर्रा के लाईन दोष
4. वितरण ट्रांसफार्मर का फेल होना
5. पावर ट्रांसफार्मर/संबंधित स्विचगियर की विफलता
6. विद्युतापूर्ति की गुणवत्ता
 - खराब वोल्टेज आपूर्ति के वोल्टेज के 2 प्रतिशत से अधिक होना।
 - कम या अधिक वोल्टेज (अर्थात्-भारतीय अधिनियमानुसार, फेज वोल्टेज टोलरेन्सेज से अधिक होना)
 - वोल्टेज अस्थिरता
 - विद्युत प्रवाह का लीकेज होना।
 - हार्मोनिक्स सहित आपूर्ति वोल्टेज 1 प्रतिशत से अधिक
 - अपर्याप्त वैद्युत क्लियरन्सेस
7. निश्चित विद्युतापूर्ति बन्द की अवधि
8. मीटर :- नियमित निरीक्षण, जांच तथा परीक्षण-समस्त वृहद/मध्यम श्रेणी औद्योगिक व घरेलू उपभोक्ता।
9. नियमित निरीक्षण, जांच तथा परीक्षण-अन्य उपभोक्ता।
10. खराब मीटर का परिवर्तन उपभोक्ता के आवेदन पर मीटर का परिवर्तन।
11. बिलिंग शिकायतें :- अशुद्ध बिल/त्रुटिपूर्ण टैरिफ, बिल का प्राप्त न होना/उपयुक्त समयावधि न देना।
12. गणितीय अशुद्धि/भुगतान हेतु अपर्याप्त समय।
13. अन्य बिल संबंधी शिकायत।
14. अन्य शिकायतें (पुनर्वावृत्ति से संबंधित)
15. नवीन विद्युत संबंध :- नया घरेलू/गैर-घरेलू मांग पत्र जारी होना संबंध जारी होना।
16. औद्योगिक, जलआपूर्ति, रेल्वे व मिश्रित भार-(60 एच.पी.तक का संबद्ध भार) :- मांग पत्र जारी करना, कनेक्शन दिया जाना।
60 एच.पी.अधिक तथा 300 कि.वा. तक :- मांग पत्र जारी करना, कनेक्शन दिया जाना।
300 कि.वा. से अधिक तथा 3000 कि.वा. तक :- फिजीबिलिटी अनुमानित जारी करना,

मांग पत्र जारी करना, कनेक्शन दिया जाना ।

3000 कि.वा. से अधिक तथा 33 कि.वा. आपूर्ति तक :- फिजीबिलिटी अनुमानित जारी करना, मांग पत्र जारी करना ।

132 के.वी.तथा उच्चतर वोल्टेज आपूर्ति :- फिजीबिलिटी अनुमानित जारी करना, मांग पत्र जारी करना, कनेक्शन दिया जाना ।

17. नये कृषि संबंध

मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें) इस संबंध में विस्तृत जानकारी अध्याय 10,मैनुवल 9 में दर्शाये गये है ।

निगम मुख्यालय की संरचना

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, स्थित है परिसर में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अधीन निम्नलिखित विभाग एवं प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं— निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), सचिव (प्रशासन), सतर्कता, मुख्य अभियंता (वाणिज्य), कार्मिक अधिकारी एवं मुख्य लेखाधिकारी, जो कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, हाथी भाटा अजमेर में स्थापित है।

प्रबंध निदेशक का कार्यालय

प्रबंध निदेशक की निजी शाखा में, अधिक्षण अभियंता— प्रावैधिक सहायक कम्पनी सचिव तथा जनसम्पर्क अधिकारी के कार्यालय स्थित हैं। प्रबंध निदेशक की निजी शाखा में निजि सहायक एवं अन्य मंत्रालयिक कार्मिकों के पद सृजित किये गये हैं।

प्रबंध निदेशक के कार्य—

- (1) अजमेर डिस्कॉम की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाये रखने के लिये समस्त प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी व्यवस्था देखना।
- (2) कम्पनी के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष के रूप में सभी संबंधित बैठकों की अध्यक्षता करना।
- (3) बोर्ड मीटिंग, आडिट कमेटी ऑफ बोर्ड मीटिंग, वार्षिक साधरण सभा आदि सभाओं की अध्यक्षता करना।
- (4) निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निगम से संबंधित सभी कार्यों का सम्पादन
- (5) विभिन्न वृत्त कार्यालयों एवं अधिकारियों के लक्ष्य निर्धारित करना एवं उनके कार्य की समीक्षा करना।
- (6) राज्य सरकार, वर्ल्ड बैंक, राज्य विद्युत विनियामक आयोग एवं अन्य सम्बद्ध संस्थाओं से सामंजस्य बनाये रखना एवं उनके द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न बैठकों में भाग लेना।
- (7) विभिन्न कार्यों के लिये होने वाली क्रय समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
- (8) प्रतिमाह वरिष्ठ अधिकारियों की कार्य समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करना।
- (9) विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्राप्त करने, उनका चुकारा करने आदि की व्यवस्था देखना।
- (10) राजस्थान राज्य विद्युत आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली टैरिफ याचिकाओं को तैयार करवाना तथा उन्हें आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (11) विभिन्न न्यायालयों में चलने वाले वादों में प्रस्तुत किये जाने वाले जवाबों की समीक्षा करना तथा उनके निस्तारण की प्रगति की समीक्षा करना।
- (12) समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अजमेर डिस्कॉम की गतिविधियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जनसामान्य तक जानकारीयें पहुंचाना।
- (13) अजमेर डिस्कॉम से सम्बन्धित अन्य सभी कार्यों का नियंत्रण।

प्रावैधिक सहायक/निजी सहायक —प्रबंध निदेशक, अजमेर द्वारा किये जाने वाले कार्य—

1. प्रबंध निदेशक को कर्तव्य निर्वहन में सहयोग प्रदान करना।
2. प्रबंध निदेशक के निजि प्रकोष्ठ के संचालन हेतु आवश्यक क्रियाकलापों का निष्पादन

कम्पनी सचिव द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं दायित्व—

1. नीतिगत मामलों को निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना, जो कि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित हो।
2. निदेशक मण्डल की बैठक, अंकेक्षण समिति की बैठक, अंशधारकों की वार्षिक साधारण सभा एवं असाधारण सभा आयोजित करवाना, उनकी मिनिट्स तैयार करना तथा अजमेर डिस्कॉम के संबंधित कार्यालयों को उन निर्णयों से अवगत करवाना एवं समन्वय समिति के निर्णयों को संबंधित कार्यालयों को प्रेषित करना।
3. अजमेर डिस्कॉम के वार्षिक प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित वैधानिक दस्तावेजों को कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रस्तुत करना।

प्रशासनिक शाखा

सचिव (प्रशासन) के अधीन प्रशासन शाखा की स्थापना की गयी है, जो निगम के प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के लिये उत्तर दायी हैं। ये अपने अधीन कार्यरत अनुभागों द्वारा प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन करते हैं, जो निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	अनुभाग का नाम	संबंधित कार्य	अनुभाग प्रभारी
1	कार्मिक/संस्थापन	1. निगम स्तर पर राजपत्रित अधिकारियों/अभियन्ताओं/ तकनीकी कर्मचारियों के संस्थापन का कार्य 2. कृपामूलक नियुक्ति/सीधी भर्ती का कार्य 3. सामान्य प्रशासन 4. निगम मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संस्थापन का कार्य 5. निगम पूल 6. वरिष्ठता सूची-मंत्रालयिक/च.श्रे.क.	कार्मिक अधिकारी (मुख्यालय)
2	जांच	निगम स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की जांच का कार्य	सहायक सचिव (जांच)
3	पदोन्नती	निगम स्तर पर अधिकारियों/अभियन्ताओं एवं सांख्यिकी/मंत्रालयिक कर्मचारियों की वरीयता सूची जारी करना व स्थानान्तरण का कार्य	सांख्यिकी सहायक
4	ए.सी.आर.	अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक एवं गोपनीय प्रतिवेदन संबंधी कार्य	वरिष्ठ लिपिक

सभी शाखाओं के कार्यों का विस्तृत विवरण :-

1. कार्मिक/संस्थापन अनुभाग

1. निगम स्तर पर पदोन्नती/स्थानान्तरण को छोड़ कर अधिकारियों/अभियन्ताओं/ तकनीकी एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के संस्थापन का कार्य।
2. सामान्य प्रशासन संबंधी कार्य यथा :- कर्मचारियों में समय की पाबन्दी सुनिश्चित करना, इस हेतु निगम के विविध कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करना।
3. विभिन्न सेवा संवर्गों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना।
4. निगम के सेवाकाल में मृत निगम कर्मचारियों के आश्रितों को अधिमानता के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने संबंधी कार्य एवं मृतक के आश्रितों को भृति लाभ (Annuity) स्वीकृति संबंधी कार्य।
5. डिग्री एवं डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों को निगम में प्रशिक्षु अधिनियम के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं वृत्तिका लाभ स्वीकृति संबंधी अभिलेखों का संधारण करना।
6. क्र.सं. 1 व 2 पर वर्णित संवर्गों से संबंधित विधानसभा प्रश्नों के उत्तर संपादित किया जाना।
7. निगम स्तर पर निगम के तकनीकी एवं मंत्रालयिक कार्मिकों के वेतनमान के स्थिरीकरण, पदोन्नती, वार्षिक वेतनवृद्धि के विवादों का निस्तारण।
8. श्रम संगठनों के मांग-पत्रों से संबंधित कार्य।
9. निगम कार्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संस्थापन का कार्य।
10. निगम स्तर पर वाहन-पूल एवं डाक पूल का संचालन एवं आवंटन।
11. निगम स्तर पर टेलिफोन की स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी कार्य।
12. निगम स्तर पर स्वीकृति/सृजित/समाप्त किये जाने वाले कार्यालयों एवं पदों के प्रशासनिक आदेश जारी करना।
13. विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण व कार्याशाला में ट्रेनिंग हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों का मनोनयन।

2. जांच अनुभाग

1. निगम में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का संचालन करवाना एवं आरोपित अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार जांच करवाना।
2. निगम स्तर की अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कर उनका निस्तारण करना।

3. पदोन्नती अनुभाग

1. निगम स्तर पर समस्त अधिकारियों व अभियन्ताओं के संस्थापन संबंधित कार्य जैसे पदस्थापना, स्थानान्तरण, विभागीय पदोन्नती समिति की अनुशंसा अनुसार पदोन्नती, सेवानिवृत्ति, वरिष्ठता सूची का प्रकाशन का कार्य।
2. समस्त कनिष्ठ अभियन्ता, निजी सहायक, आशुलिपिक, सांख्यिकी सहायक, संगणक, संवर्ग से संबंधित पदोन्नती, स्थानान्तरण, वरिष्ठता निर्धारण संबंधित कार्य सम्पादित किया जाता है।

4. ए.सी.आर. अनुभाग

1. अजमेर विद्युत वितरण निगम के सभी अधिकारियों, कनिष्ठ अभियन्ताओं व मंत्रालयिक कर्मचारियों/वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लिपिक (केवल निगम सचिवालय के अधिनस्थ) के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों की समूचित जांच करना एवं सुरक्षित रखना। वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों/प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से पत्र व्यवहार करके उनका निस्तारण करवाना। पदोन्नती एवं चयनित वेतन श्रृंखला हेतु वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों की उपलब्धता एवं श्रेणीकरण कर उपलब्ध करवाना।

लेखा शाखा की संरचना

अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक के अधीन निदेशक वित्त के कार्यालय की स्थापना की गयी है जिसके के अधीन तीन मुख्य लेखाधिकारी हैं।

निदेशक- वित्त

1. CHIEF ACCOUNTS OFFICER (REVENUE/CANTROL)

(a) Sr.Accounts Officer Revenue

1. Revenue Management
2. Reconciliation of Revenue Remittnace + Levy of interest on Vatrious branches of the bank for delayed remittance.

(b) Sr.Accounts Officer (ECR)

1. Rules & Regulation
2. Establishment (Including Transfer) of non Gazatted Accounts personnel related issue etc.
3. Pension case & EPF

(c) Sr.Accounts Officer (CPC)

1. Centralized Payment Cell

(d) Sr.Accounts Officer A.G

1. A.G Audit, CAG matter and public undertaking committe matter etc.

2. CHIEF ACCOUNTS OFFICER-(internal Audit) & WM

(a) Sr.Accounts Officer (IA)

1. Internal Audit (Revenue, Expanditure, Technical and Physical verification of store.

(b) Account Officer (WM)

1. Ways & Means

(c) Accounts Officer (E.A & cash)

1. Any other work as may be assigned

3. CHIEF ACCOUNTS OFICER (ACCOUNTS/ TEXATION & BUDGET)

(a) Sr.Accounts Officer (Accounts)

1. Accounts,Budget,power purchase,Reconciliation of Accounts including Banks.
2. Income tax & sell tax related matter.

(b) Sr.Accounts Officer (MM/TW)

1. Cases related to MM & TW works contract etc.
2. Any other as may be assigned
3. Any other residual works(s) not mentioned above shall be carried out by C.A.O

Revenue

Civil Wing Superintending Engineer

An Office for Civil works has been created under the administrative control of Superintending Engineer, who is responsible for all the Civil construction activities of Ajmer Discom. The Superintending Engineer co-ordinates and supervises the activities of divisions employed on constructions and/ or maintenance work. He maintains close liaison with the offices of the Zonal Chief Engineer and Dy. Chief Engineer concerned in regard to works and all technical/ administrative matters. Without prejudice to the general positions stated above the Superintending Engineer performs the following functions:-

- (i) The Superintending Engineer inspects the state of the various works within AVVNL and satisfy himself that the system of management prevailing is efficient and economical that different articles in stock are duly verified according to the rules laid down, and that there is no accumulation of stock in any division beyond its requirements. He should record the results of his inspection of the works in writing as frequently as considered necessary and ensure that the defects pointed out on each occasion are promptly rectified in respect of contracts estimated to cost Rs. 20 Lac and above.
- (ii) He will also inspect the divisional the divisional offices under him at least once a year, and will forward for the information of the Additional Chief Engineer/ Chief Engineer reports of his inspections in the forms prescribed by Chief Engineer in the Manual of orders of otherwise detailing therein the results of his examination of initial accounts, Accounts of stock, tools and plant stock manufacture, register of works, and other divisional accounts and papers, mode of preparation of Estimates, contract agreements, contractors accounts, revenue registers and office work generally. He is also required to satisfy himself from time to time to that the staff employed in each division is actually necessary and adequate for its management.
- (iii) He will further see that the authorized system of accounts is maintained throughout his circle and examine the books of Divisional Officers and their subordinates and see that matters relating to the primary accounts are attended to personally by the Divisional and Sub Divisional Officers and that the accounts fairly represent the progress of each work. He will examine the register of works so as keep a vigilant watch over the rates of work, and when he considers it necessary, he may require a Divisional Officer to report to him monthly or at longer intervals, on a work slip in Form R.P.W.A 39 the total expenditure to date under each sub-head of a work, in contrast with the sanctioned estimates. It will thus be seen that it rests with the Suptg. Engineer to investigate excesses over sub head with a view to decide whether or not revised estimate will be required, for the work. When a revised estimate is required it will also devolve on the Superintending Engineer to see that it is submitted in due time to the sanctioning authority. He is also responsible to see that no delay is allowed to occur in the submission of completion reports.
- (iv) Superintending Engineer will ensure that the Basis Schedule of rates is prepared in scientific manner according to standard engineering practices and current market rates; will keep detailed analysis of every item, before

sanctioning/ revising B.S.R. for his circle, keeping in view instructions in his regard received from the Dy. Chief Engineer or the Chief Engineer (see Rules 14 and 19).

- (v) The Suptg. Engineer is to see that at least the minimum scale of check measurements prescribed for various types of works are exercised by Sub Divisional Officer, Divisional Officer.
- (vi) The Suptg. Engineer is also responsible that no delay is allowed to occur in the submission of revised estimates and completion reports and drawings.
- (vii) The Superintending Engineer will record his note of inspection on the Site Order Book and ensure compliance of his observations. The Suptg. Engineer will generally ensure during his inspections that the materials shown as consumed in the works correspond to the quantities of the physical progress of works as per approved departmental formulae or as laid down in the approved analysis of rates of items and that the material at site accounts maintained at the site inspected depict true position of receipts, issues (Consumption), Book Balance, physical Balance and Disposal of Unused/ Surplus Stores.

मुख्य अभियन्ता/संभा. मुख्य अभियन्ताओं (पवस) के कार्यालयों का विवरण

अजमेर डिस्कॉम में मुख्य अभियन्ता/संभागीय मुख्य अभियन्ताओं (पवस) के प्रशासनिक नियन्त्रणाधिन निम्न परिचालन एवं संधारण वृत्तों को स्थापित किया गया है।

1. मुख्य अभियन्ता, अजमेर जोन = अजमेर वृत्त, नागौर वृत्त, भीलवाड़ा वृत्त।
2. संभागीय मुख्य अभियन्ता, उदयपुर जोन = उदयपुर वृत्त, चित्तौडगढ़ वृत्त, राजसमंद वृत्त, बांसवाड़ा।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता, झुंझुनू जोन = झुंझुनू वृत्त, सीकर वृत्त।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य/पदार्थ/टर्न की वर्क्स/प्लान) संबंधित अधीक्षण अभियन्ता

सभी मुख्य अभियन्ता/संभागीय मुख्य अभियन्ताओं (पवस) के द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

1. विभिन्न श्रेणियों में 3000 किलोवाट से अधिक तथा 5000 किलोवाट तक के विद्युत भार वाले विद्युत भार वाले विद्युत कनेक्शन स्वीकृत करना।
2. कृषि के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों में संबंधित तकमीना स्वीकृत करना।
3. विद्युत लाईनों एवं सब-स्टेशन की स्थापना संबंधी संभागीय मुख्य अभियन्ता स्तर की स्वीकृतियां जारी करना।
4. विभिन्न स्तरों पर होने वाली बैठकों में भाग लेना।
5. विभागीय प्रगति के समस्त आंकड़े तैयार करना तथा उच्च कार्यालयों को प्रेषित करवाना।
6. तकनीकी मानक की स्वीकृति समिति के सदस्य।
7. विधानसभा, लोकसभा, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर तैयार करवाना तथा उच्चधिकारियों को प्रेषित करना।

अधीक्षण अभियंता (पवस) के कार्य :-

1. प्रत्येक माह की 20 तारीख को उपभोक्ता समस्या समाधान शिविर का आयोजन करना।
2. विभिन्न श्रेणियों में 300 किलोवाट से अधिक 2000 किलोवाट तक के विधुत भार वाले विधुत कनेक्शन स्वीकृत करना।
3. कृषि श्रेणी में संशोधित तकनीका स्वीकृत करना।
4. विधुत लाईनों एवं सब-स्टेशन की स्थापना संबंधी स्वीकृत करना।
5. फीडर सुधार कार्यक्रम के संबंध में किये जाने वाले कार्यों की प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृतियां जारी करना।
6. समझौता समिति की अधीक्षण अभियंता स्तर की बैठकें आयोजित करना।
7. विभिन्न स्तरों पर होने वाली बैठकों में भाग लेना।
8. विभागीय प्रगति के समस्त आंकड़े तैयार करना उच्च कार्यालयों को प्रेषित करवाना।
9. लेखाधिकारी से वृत्त के राजस्व संग्रहण के एवं व्यय के ब्यौरे तैयार करवाना।

अधिशायी अभियंता (पवस) के कार्य:-

1. उपभोक्ताओं के बाइंडरों को चैक करके मीटरों को चैक करना व मीटर चेंज आर्डर निकलवाना।
2. सर्तकता जांच करना।
3. नई लाईन व सब स्टेशनों के प्रस्ताव को जांच कर उच्च अधिकारियों को प्रेषित करवाना।
4. फीडर रेनोवेशन के सारे कार्य करवाना।
5. विभिन्न श्रेणियों में 25 किलोवाट से 300 किलोवाट तक के विधुत भार वाले कनेक्शनों की स्वीकृति जारी करना।
6. कृषि श्रेणी के विधुत कनेक्शन जारी करने की सम्पूर्ण शक्तियां सहायक अभियंता को है।
7. जिला स्तरीय प्रशासकीय बैठकों में भाग लेना जहां अधीक्षण अभियंता नहीं हो।

सहायक अभियंता (पवस) के कार्य :-

1. विधुत आपूर्ति को सुचारु रूप से बनाए रखना।
2. नए कनेक्शन की फाइल स्वीकार करके उनकी जांच करना तथा मांग पत्र भेजना और मांग पत्र जमा होने के बाद कनेक्शन के लिए आदेश जारी करना।
3. सभी श्रेणियों के 25 किलोवाट तक के विधुत कनेक्शनों वित्तीय एवं तकनीकी एस्टीमेटस की स्वीकृति जारी करना जिनमें कि एच.टी. लाइन का ऑगमेंटेशन का कार्य तथा नवीन ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य शामिल नहीं हो।
4. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 11 केवी तक के विधुत कनेक्शनों की वित्तीय एवं तकनीकी एस्टीमेटस की स्वीकृति जारी करना।
5. उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग अरेंज कर बिल तैयार कर बिलों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना तथा राजस्व संग्रहण करना व बैंक में जमा करवाना।
6. उपभोक्ताओं के बाइंडरों को चैक करके मीटरों को चैक करना व मीटर चेंज आर्डर निकलवाना।
7. सर्तकता जांच करना।
8. नई लाईन व सब स्टेशनों के प्रस्ताव को जांच कर उच्च अधिकारियों को प्रेषित करवाना।
9. फीडर रेनोवेशन के सारे कार्य करवाना।
10. प्रत्येक माह की 10 तारीख को उपभोक्ता समस्या समाधान शिविर का आयोजन करना।
11. अधीनस्थ कर्मचारियों की वेतन व भत्तों का आहरण एवं वितरण करना।

कनिष्ठ अभियन्ता(पवस) के कार्य :-

1. विधुत आपूर्ति को सुचारु रूप से बनाए रखना।
2. नए कनेक्शन का सर्वे कर एस्टीमेट बनाना।
3. नए कनेक्शन का लाईन वर्क करवा कर कनेक्शन जुड़वाना।
4. उपभोक्ताओं के पुराने व खराब मीटरों का बदलने का कार्य।
5. फीडर रेनोवेशन कार्य के तहत कनिष्ठ अभियन्ता को फीडर मैनेजर नियुक्त किया गया है अतः फीडर का सर्वे करके उसके सुधार के समस्त कार्य करने की जिम्मेदारी कनिष्ठ अभियन्ता की है।
6. नई लाइन/सब-स्टेशन का प्रस्ताव तैयार करके सहायक अभियन्ता को भिजवाना।
7. सर्तकता जांच करना।

सहायक राजस्व अधिकारी(पवस) के कार्य :-

1. उपभोक्ताओं के विधुत व्यय का लेखा-जोखा तैयार रखना।
2. उपभोक्ताओं की समय पर रीडिंग मंगवाना तथा उपभोक्ताओं तक बिल पहुंचाना एवं उनका राजस्व संग्रहण करवाना। इन सबकी सूचना निर्धारित प्रारूप में उच्चधिकारियों को भिजवाना।
3. उपभोक्ताओं के विधुत विपत्रों में त्रुटियों में सुधार करना।
4. उपखण्ड की कैश बुक की जांच करना।
5. कैश की एक चाबी को संभाल कर रखना।
6. समय समय पर उपभोक्ताओं के बाइंडरो को चैक करके न्यूनतम उपभोग/त्रुटियों वाले उपभोक्ताओं की सूची सहायक अभियन्ता को देना।

केशियर के कार्य:-

1. उपभोक्ता से नकद/चैक द्वारा विभिन्न मदों की राशि प्राप्त करना व दूसरे दिन बैंक में जमा करवाना।
2. अधिनस्थ कर्मचारियों की वेतन व भत्तों का आहरण एवं वितरण करना।

उपभोक्ता लिपिक के कार्य:-

1. नई फाईल को जमा करने से पहले उसकी जांच करना। उसक बाद फाईल सहायक अभियन्ता को प्रेषित करना।
2. वरीयता सूची रजिस्टर मेन्टेन करना।
3. कनेक्शन होने के बाद डिटेल राजस्व शाखा को भिजवाना।
4. नए कनेक्शन के मांग पत्र जारी करना एवं कनेक्शन आर्डर जारी करना।

अधीक्षण अभियंता (सूचना प्रौद्योगिकी) के कार्य:—

- 1 अधीक्षण अभियंता जयपुर वृत्त द्वारा स्वीकृत विभिन्न विधुत छीजत कम करने के प्रस्तावनों की निविदाएँ आमंत्रित कर टर्न की वर्क्स व्यवस्था के तहत कार्य आदेश जारी करना ।
- 2 अजमेर शहर में सूचना प्रौद्योगिक के कार्य करवाना ।

अधीक्षण अभियन्ता (TW) के कार्य :- अधीक्षण अभियन्ता (टी.डब्ल्यू) के अन्तर्गत दो अधिशाषी अभियन्ता, तीन सहायक अभियन्ता, एवं दो कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत है। इस वृत्त के अधीन निम्न कार्य है :-

1. टर्न के आधार पर विभिन्न जिलों का विभिन्न निविदाओं के माध्यम फीडर सुधार संबंधी निर्माण कार्य।,
2. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत टर्न की आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण एवं बी.पी.एल. कनेक्शन विभिन्न निविदाओं के द्वारा कार्य।
3. "अरबन फोकस" के अन्तर्गत विभिन्न शहरों में सुधार कार्यक्रम।
4. उच्च तापीय एवं मध्यम श्रेणी औद्योगिक उपभोक्ताओं की सी.एम.आर.आई. से मीटर रीडिंग का उदयपुर व राजसमंद वृत्तों में कार्य।
5. सी.एल.आर.सी. पर होने वाले विभिन्न सामान/कार्यों का दर निर्धारण।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना) के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य :-

1. अजमेर विधुत वितरण निगम में फीडर सुधार कार्यक्रम को क्रियान्वित करवाना एवं उससे संबंधित सूचनाओं का संकलन कर उच्च अधिकारियों को प्रेषित करना।
2. राजीव गांधी ग्रामीण विधुतीकरण योजनाओं, अरबन, फोकस, एवं आर-ए.पी.डी.आर.पी. योजनाओं का क्रियान्वयन करना एवं संबंधित सूचनाओं का संकलन कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।
3. अजमेर डिस्कॉम से संबंधित 33/11 के.वी. जी.एस.एस. और लाईन की स्वीकृति प्रदान करना। 33 के.वी. लाईन की शिपिंग और हटाने की स्वीकृति जारी करना। नये कनेक्शन जो कि 33 के.वी. पर जारी होने हैं, की स्वीकृति जारी करना।
4. लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के प्रश्नों से संबंधित सूचना भिजवाना।
5. अजमेर डिस्कॉम की वार्षिक और पंचवर्षीय योजना राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार तैयार करना। और राज्य सरकार से स्वीकृत करना।
6. माननीय प्रबन्ध निदेशक महोदय एवं मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), अविनिनिलि, अजमेर द्वारा समय-समय पर बतायें गये अन्य कार्यों को क्रियान्वित करना।
7. अजमेर डिस्कॉम से संबंधित सभी तरह की सूचनाओं को संकलित कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।
8. कृषि कनेक्शन संबंधित कार्यों को निष्पादित करना।

The Work of the MM wing are as below:

Principally MM wing is responsible for effective management of material to the field officer.

1. The requirement of coming financial year are assessed on the basis of the approved plan and schemes to be the implemented next year
2. NIT for purchase of so assessed material are floated in news paper.
3. The cases for purchase of above material are processed and finalized through the competent agency and PO are issued to firms.
4. The material received through above purchase order are consigned to the required field office.
5. On competition of the supply the cases are closed after due recovery on account of damages and shortage.

सुरक्षा एवं सतर्कता शाखा

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अजमेर के अधीन 1 अधिशाषी अभियन्ता व 1 सहायक अभियन्ता, नागौर वृत्त के अधीन 2 अधिशाषी अभियन्ता व 1 सहायक अभियन्ता, भीलवाड़ा वृत्त के अधीन 1 अधिशाषी अभियन्ता व 1 सहायक अभियन्ता, झुंझुनू वृत्त के अधीन 1 अधिशाषी अभियन्ता व 2 सहायक अभियन्ता, सीकर वृत्त में 1 अधिशाषी अभियन्ता व 2 सहायक अभियन्ता, चित्तौडगढ़ वृत्त में 1 अधिशाषी अभियन्ता व 3 सहायक अभियन्ता, बांसवाड़ा वृत्त में 2 अधिशाषी अभियन्ता, राजसमन्द वृत्त में 1 अधिशाषी अभियन्ता व 1 सहायक अभियन्ता, उदयपुर वृत्त में 3 अधिशाषी अभियन्ता, निगम स्तर पर 1 अधिशाषी अभियन्ता (केन्द्रीय सतर्कता) व 1 सहायक अभियन्ता (केन्द्रीय सतर्कता), अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) के अधीन नियुक्त किये गये हैं।

प्रबन्ध निदेशक, अजमेर के अधीन सुरक्षा एवं सतर्कता शाखा गठित की गई है इसमें कार्यरत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता के कार्य निम्न प्रकार से हैं :-

1. अजमेर डिस्कॉम में कार्यरत विभिन्न सतर्कता अधिकारियों द्वारा किये जा रहे सतर्कता जांच कार्य की मासिक प्रगति की सूचना संकलित कर प्रबन्ध निदेशक महोदय को प्रस्तुत करना। इस सूचना में वार्षिक जांच के लक्ष्य, पकड़ी गई चोरी, पुलिस में दर्ज की गई शिकायत, न्यायालय में दर्ज किये गये मुकदमों, एवं राजस्व निर्धारण एवं वसूल की गई राशि का वर्णन होता है।
2. विद्युत चोरी वाले क्षेत्र की जानकारी के लिए निगम के वृत्त खण्ड-उपखण्ड अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखना एवं कार्यप्रणाली को कार्यान्वित करवाना।
3. विद्युत चोरी एवं विद्युत उपभोग में हो रही अनियमितताओं से संबंधित सूचनाएं - फोन, डाक, व्यक्ति विशेष द्वारा एवं प्राप्त होने पर निस्तारण हेतु सतर्कता अधिकारी से जांच करवाना एवं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
4. विद्युत चोरी से संबंधित पुलिस थानों में दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर शीघ्र कार्यवाही हेतु पुलिस थाना से सम्पर्क बनाए रखना।
5. निगम के निर्देशानुसार समय-समय पर विद्युत चोरी पकड़ने राजस्व वसूली हेतु विशेष अभियान का संचालन करना।

अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता (जिला/वृत्त)

1. उपरोक्त समस्त अधिकारियों को सतर्कता जांच हेतु प्रति वर्ष लक्ष्य निर्धारण किया जाता है। विद्युत संबंधियों विद्युत जांच हेतु आवश्यक उपकरण, सतर्कता जांच पुस्तिका, वाहन, निगम स्टाफ एवं पुलिस स्टाफ उपलब्ध कराया गया है। इसका प्रमुख कार्य अपने कार्यक्षेत्र में विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु बिना किसी सूचना के समस्त प्रकार के विद्युत कनेक्शनों की जांच करना एवं अनियमितताएं पाये जाने पर जांच पुस्तिका में प्रविष्टि करना, उपभोक्ता एवं प्रतिनिधि के हस्ताक्षर करवाकर जांच प्रतिवेदन की एक प्रति उसे मौके पर ही प्रदान करना, विद्युत चोरी पाये जाने पर फर्ज जब्ती कार्यवाही करना एवं नियमानुसार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सके अथवा पुलिस में प्राथमिक दर्ज करवाई जा सके अथवा वसूल योग्य राशि को वसूल किया जा सके।
2. सतर्कता जांच का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रतिमाह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करवाना। सतर्कता अधिकारियों से प्राप्त जांच विवरण निगम स्तर पर एकीकृत करके निगम प्रशासन को प्रस्तुत किया जाता है।

In order to ensure healthy operation and functioning of the Nigam, it is utmost necessary to have effective Vigilance wing to control pilferage of energy. The Discom have their own Vigilance Wing, which comprises of Addl. S.P. (Vig.), XENs (Vig.), AENs (Vig.), Dy.S.P (Vig.) & Other Police Staff.

The Vigilance wing came into being in erstwhile RSEB in 1974 to prevent large scale energy theft in the State. In erstwhile RSEB, the Vigilance Wing was headed by an IPS Officers designated as Director (Security & Vigilance) and assisted by the Police Officer and Technical Officer. The main job of these Vigilance Officers is to conduct raids, assist O&M Officers in prevention of energy theft and other irregularities.

With the unbundling of the Board (Earstwhile RSEB) in to 5 companies on 19th July, 2000, Ajmer Discom came in to being as one Distribution Company in the State besides two other Distribution companies namely Jaipur & Jodhpur Discom. The Vigilance Dept. in the Ajmer Discom currently being headed by a RPS Officer of the selection /senior scale with the nomenclature as Addl. S.P. (Vig.), who is being assisted by the Police & Technical Vigilance Officers to carry out the following functions:-

- (1) Collection of the intelligence regarding pilferage of electricity.
- (2) Coordination in Vigilance Checking with (O&M) Officer and conducting raids to unearth thefts, pilferage etc. of electricity.
- (3) To enquire into complaints regarding corruption, embezzlement and loss to Department with the connivance of the officials.
- (4) Any other activity ordered by the Management.

After enactment of the Electricity Act. 2003, the State Govt. vide its notification dt. 21st Feb. 2006, notified the creation of 34 Anti Power Theft Police Station in 3 Discom to deal with the offence under the provisions of said act. Out of these 34 APTSPs, 11 APTSPs, notified for Ajmer Discom. At present 10 APTSPs are functioning and 1 APTSPs is likely to be opened shortly in Pratapgarh Distt.

Powers & Duties :-

Vigilance wing of the Discom functions under the Superintendence, directions and control of the MD, Ajmer Discom. The wing is headed by the Addl. S.P.(Vig.) at Corporate level. The Addl. S.P.(Vig.) exercises administrative and functionary control over the Vigilance & Police Officers at Corporate level, whereas the functionary control over Vigilance Officers is exercised by the respective Circle SE(O&M)/Zonal C.E's. at Circle/Zone level.

The assigned tasks to the Addl. S.P.(Vig.) are as under:-

- (i) Vigilance Anti evasion work and provide all related information to the management.
- (ii) Taking initiatives in identifying areas of electricity pilferage & preparation of action plans for containing such pilferage and ensure its execution for reduction in T&D losses and increasing the revenue of Discom.

- a. To get conduct internal vigilance and collection of intelligence regarding involvement of Nigam employees in pilferage of energy, material etc. causing loss to the Discom.
- b. Conducting enquires into the complaints of corruption, briefly, favoritism, misappropriation of funds and misuse of official position as received from the Public/Management.
- c. Monitoring the Vigilance checking activities conducted by the Vigilance Officers of Discom, collection and compilation of the monthly progress report thereof in the prescribed format for submission to the MD. The information contains the data of No. of cases checked, theft cases detected, assessment of revenue, realization made with reference to the prescribed monthly targets and complaints filed in the special courts & FIR lodged in APTPSs.
- d. Exercising effective supervision over APTPSs and Monitoring the progress of investment and prosecution of the cases registered in APTPSs.

The assigned tasks to the Vigilance Officers [XENs (Vig.)/AENs (Vig.)] :-

- i. Conducting Vigilance Checking for detection of energy theft/malpractices in their respective/assigned jurisdiction and ensuring the logical conclusion in each VCR by way of recovering the compounding/assessed amount, otherwise filling of complaint (इस्तगासा) in special court/lodging of FIR in APTPS in their respective jurisdiction.
- ii. Conducting enquires into the complaints against Nigam officials assigned by the Management/Addl.S.P.(Vig.) and submitting fact finding reports.
- iii. Assisting the O&M Officers in conducting joint raids in theft prone areas and disconnecting the obstinate defaulting consumers.
- iv. Other tasks assigned by the higher authorities

The assigned tasks .to the Police Officers Dy.S.P.(Vig.)&SHO, APTPS:-

a- Dy.S.P.(Vig.) :-

- i Supervisory control over the APTPS and Police personnel under him to ensure discipline, punctuality and efficiency in work.
- ii Enforcement work in regard to prevention and detections of energy theft and malpractices and providing of Police support to the Vigilance and O&M Officers during Vigilance Checking.
- iii Monitoring the progress of investigation and prosecution of the cases registered in APTPSs.
- iv Conducting of enquires in the complaints of corruption, briefly, favoritism, misappropriation of funds and misuse of officials position as assigned by the Management/Addl.S.P.(Vig.)
- v Security of the Nigam's assets and advisory help to the (O&M) Officials dealing with the security of lines and Sub-stations of the Nigam.

- iv Collection of Intelligence and Source Information Reports and furnishing thereof to the Addl.S.P(Vig.)
- vii Liason with local police administration and seek coordination/ Police help during law & order situation in the Vigilance Checking campaigns

b. SHO/APTPSs :-

- i Assisting the Vigilance Checking teams in raids
 - ii Investigation and prosecution of the cases registered under Electricity Act, 2003.
 - iii Conducting of Vigilance inquiries entrusted by the Vigilance Corporate Office.
 - iv Conducting internal Vigilance & collection of Source Information Report.
-
1. Service of Summon & Warrants as per direction of the Hon'ble Courts.
 2. Patrolling in the theft prone area to prevent material/energy theft.
 3. Liasoning with local police and administration.
 4. Collection of compounding amount from the offenders and deposit in Nigam account.
 5. Arrest of accused in case of second offence/non compoundable offences under Electricity Act, 2003.
 6. Assisting the O&M Officers to provide Police support in recovery of outstanding dues from obstinate/PDC consumers.

(मैन्युअल-2)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

कृपया निम्न प्रारूप पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण उपलब्ध कराएं

शक्तियाँ	स्वरूप	पद का नाम
प्रदत्त शक्तियाँ (DOP) एवं विविध सेवा नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत कार्यवाही संपादित करना	प्रशासकीय	1. प्रबन्ध निदेशक 2. सचिव (प्रशासन) 3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य/पदार्थ-प्रबन्धन/आर.ई) 4. संभागीय मुख्य अभियन्ता (उदयपुर/झुंझुनू संभा.) 5. अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) 6. कम्पनी सचिव)
----यथा---	वित्तिय	1. निदेशक(वित्त) 2. मुख्य लेखाधिकारी (वित्त) 3. मुख्य लेखाधिकारी (Audit) 4. मुख्य लेखाधिकारी (बजट) 5. वरिष्ठ लेखाधिकारी 6. वृत लेखाधिकारी 7. सहायक लेखाधिकारी
----यथा----	अन्य	1. समन्वय समिति/ नियंत्रक मण्डल द्वारा निर्धारित विभागीय नितियों/नियमों/ अनुदेशों की पालना। 2. राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विविध योजनाओं की क्रियान्विति। 3. समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता एवं नियमित विद्युत आपूर्ति/राजस्व वसूली एवं उपभोक्ता की समस्याओं का समुचित निराकरण। 4. अन्य प्राप्त निर्देशानुसार।
कर्तव्य		1 वृत अधीक्षण अभियन्ता 2 अधिशाषी अभियन्ता (खण्ड स्तर पर) 3 सहायक अभियन्ता (उपखण्ड स्तर पर) 4 वृत कार्मिक अधिकारी 5 सहायक भण्डार नियंत्रक 6 सांख्यिकी अधिकारी 7 उप पुलिस अधीक्षक(सर्त.)

मैन्यूअल – 3

निर्णय लेने की प्रक्रिया

1. किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ? (सचिवालय मैन्यूअल और बिजनेस मैन्यूअल के नियमों आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है)

विभिन्न अधिकारियों द्वारा किसी विषय में निर्णय लेने के लिये अधिकारी को प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। नीति निर्माण सम्बन्धी निर्णय के लिये निदेशक मण्डल द्वारा 'द इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार कम्पनी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है।

निगम द्वारा नीचे अंकित कार्यों के लिए जिन दस्तावेजों, नियमों एवं उपनियमों का प्रयोग कर कार्य निम्नानुसार सम्पादित किया जाता है:-

विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन के लिये निर्णय लेने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिये स्टोर मैन्यूअल, परचेज मैन्यूअल, कृषि कनेक्शन नीति, रैवेन्यू मैन्यूअल, टैरिफ फॉर सप्लाई ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स ऑफ सप्लाई, नागरिक अधिकार पत्र, डेलिगेशन ऑफ पावर्स, स्टैण्डर्ड ऑफ परफोरमेंस, वर्क्स मैन्यूअल एण्ड जनरल कण्डीशन्स ऑफ कान्ट्रैक्ट फॉर वर्क्स, सर्विस ऑफ इंजीनियर्स रेग्यूलेशन्स (रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एण्ड सीनियोरिटी) 1969, ऑफिसर्स (रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एण्ड सीनियोरिटी) रेग्यूलेशन्स 1974, एम्पलॉइज सर्विस रेग्यूलेशन्स, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ सर्विस रेग्यूलेशन्स 1962, सी.सी.ए. रूल्स, राजस्थान राज्य सेवा विनियम, राजस्थान सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, मेडिकल रूल्स, यात्रा भत्ता नियम आदि पुस्तकों में दी गयी प्रक्रिया को अपनाया जाता है।

2. किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निगम का संचालक मंडल विचार कर निर्णय लेता है तत्पश्चात उसे निगम में लागू किया जाता है। विद्युत निगमों की समन्वय समिति द्वारा लिए गये विभिन्न निर्णयों को भी लागू किया जाता है।
3. लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिये समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है इसके अतिरिक्त समय-समय पर पुस्तक आदि का प्रकाशन भी किया जाता है।
4. महत्वपूर्ण विषयों पर अंतिम निर्णय लेने के लिये निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सक्षम है।
5. निगम के अधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त अधिकारों के तहत नये विद्युत कनेक्शन देने, कनेक्शन विच्छेद, राजस्व वसूली, नया बिजली तंत्र तैयार करने, मौजूदा विद्युत तंत्र में सुधार आदि विषयों पर निर्णय लिया जाता है।

विद्युत कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया-

किसी भी विद्युत कनेक्शन चाहने वाले व्यक्ति को सम्बंधित उप खण्डिय सहायक अभियंता कार्यालय में सम्पर्क करना होता है। आवश्यकता अनुसार सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता की सहायता से तकनीकी साध्यता की जांच करता है तथा तकनीकी साध्यता पाये जाने पर सहायक अभियंता राजस्व/लेखा कार्मिकों की सहायता से डिमाण्ड नोटिस की राशि का निर्धारण करता है। डिमांड नोटिस की राशि जमा हो जाने पर सहायक अभियंता द्वारा विद्युत कनेक्शन जारी कर दिया जाता है। कनिष्ठ अभियंता अपने अधिनस्थ विद्युत कर्मियों द्वारा विद्युत कनेक्शन स्थापित करवाया जाता है।

विद्युत मीटर की शिकायत के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया-

विद्युत उपभोक्ता अपने मीटर के पाट्यांक से संतुष्ट नहीं होने पर/में गडबड़ी होने पर सहायक अभियंता के कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकता है। सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता को भेजकर मीटर की जांच करवाते है। कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत कर्मियों की सहायता से मीटर चैक करवाते है व आवश्यक होने पर लैबोरेट्री में जांच के लिये भेज देता है। तथा लैबोरेट्री की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

स्वैच्छिक विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया—

विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवाने के लिये विद्युत उपभोक्ता को सम्बंधित सहायक अभियंता कार्यालय में सम्पर्क करना होता है। विद्युत उपभोक्ता की समस्त विद्युत राशि जमा होने के पश्चात् विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाता है तथा उसे प्रतिभूति राशि लौटा दी जाती है।

सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया—

अजमेर डिस्कॉम के विभिन्न कार्यालयों द्वारा विद्युत लाइनों, ट्रांसफॉर्मरों तथा अन्य उपकरणों की स्थापना करने, विद्युत कनेक्शन जारी करने आदि के लिये पदार्थ प्रबंध शाखा द्वारा आवश्यक सामग्री का क्रय किया जाता है। क्रय प्रक्रिया के लिये परचेज मैनुअल में दी गयी प्रक्रिया अपनाई जाती है। समस्त अधीक्षण अभियंता अपने वृत्त में होने वाले कार्यों के लिये निगम स्तर पर गठित पदार्थ प्रबंध शाखा को अपने प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं। पदार्थ प्रबंध शाखा क्रय प्रस्तावों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस समिति द्वारा क्रय प्रस्तावों को आवश्यकतानुसार एवं बजट प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। क्रय प्रस्तावों की स्वीकृति के पश्चात् समाचार पत्रों में निविदा सूचना प्रकाशित करवाई जाती है। तथा परचेज मैनुअल के अनुसार टेण्डर प्रक्रिया पूरी की जाती है।

स्टोर से सामग्री जारी करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया—

विभिन्न कार्यालयों द्वारा स्टोर से सामग्री जारी करने के लिये मांगपत्र प्रस्तुत करना होता है। सहायक भण्डार नियंत्रक द्वारा उपलब्ध सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है तथा जारी की गयी सामग्री को भण्डार गृह से निष्कासन के लिये गेटपास जारी किया जाता है।

निविदा सूचनाएं प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया—

प्रबंध निदेशक, संभागीय मुख्य अभियंता, उप/मुख्य अभियंता (पदार्थ प्रबंध) तथा विभिन्न अधीक्षण अभियंताओं द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये वर्क्स मैनुअल में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार समाचार पत्रों में निविदा सूचनाएं प्रकाशित करवाई जाती हैं।

विद्युत चोरी पकड़ने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया—

विद्युत चोरी एवं दुरुपयोग पकड़ने के लिये सतर्कता शाखा एवं प.व.स-(O&M) शाखा द्वारा कार्यवाही की जाती है। इसके लिये आकस्मिक जांच की प्रक्रिया अपनायी जाती है। तथा विद्युत चोरी के सम्बन्ध में गोपनीय सूचनायें मिलने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंताओं द्वारा प.व.स. तथा सतर्कता शाखा के अधिकारियों को मौके पर भेजकर विद्युत चोरी की जांच करवाई जाती है। गोपनीय सूचना देने वाले को दस प्रतिशत राजस्व वसूली का ईनाम के तौर पर दिया जाता है व उसकी इच्छा पर गोपनीय रखा जाता है।

ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु योजनाएं बनाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया—

भारत सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार अब ग्रामीण विद्युतिकरण का कार्य जिला कलक्टर की अध्यक्षता वाली जिला विद्युत समिति से ही अनुमोदित किये जायेंगे। अजमेर डिस्कॉम भी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के प्रस्तावों को जिला विद्युत समिति के द्वारा अनुमोदित करवाता है।

कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया—

अजमेर डिस्कॉम में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए समन्वय समिति द्वारा स्वीकृत स्थानान्तरण नीति के अनुसार सामान्यतया आवश्यकता होने पर स्थानान्तरण माह मई एवं जून में किये जाते हैं। कार्मिक अनुभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अधीनस्थ तकनीक व मंत्रालयिक संवर्ग में कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड—प्रथम/द्वितीय, अधिकारी आदि के स्थानान्तरण माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक की अनुमति से किये जाते हैं।

अजमेर डिस्कॉम में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिये समन्वय समिति द्वारा स्थानांतरण नीति स्वीकृत की गयी है। इस नीति के तहत कनिष्ठ अभियंता एवं उससे ऊपर के पदों एवं अन्य पदों के स्थानांतरण निगम स्तर पर प्रबंध निदेशक की स्वीकृति से किये जाते हैं।

किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को समुचित प्रशासनिक कारणों के बिना 2 वर्ष से पहले स्थानांतरित नहीं किया जायेगा तथा किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को पाँच वर्ष से अधिक एक स्थान पर न रखा जायेगा। यदि पति पत्नी दोनों सेवा में हों तो उन्हें एक ही मुख्यालय पर पोस्टिंग देने का प्रयास किया जायेगा। अवधि पूर्व स्थानांतरण के मामलों में शिकायतों के सही पाये जाने पर, बीमारी की हालत में अथवा अन्य समुचित कारणों के आधार पर ही निर्णय लिये जायेंगे।

पदोन्नति / चयनित वेतनमान स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया—

अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग में अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों के पदोन्नति सम्बन्धी कार्य संबंधित खण्ड एवं वृत्त स्तर पर गठित विभागीय समितियों द्वारा किया जाता है। सैकण्डरी योग्यताधारक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर, वरिष्ठ लिपिक कार्यालय अधीक्षक ग्रेड—प्रथम/द्वितीय तथा अनुभाग अधिकारी की पदोन्नति निगम स्तर पर कार्मिक अनुभाग अधिकारी की पदोन्नति निगम स्तर पर कार्मिक अनुभाग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर नियुक्ति आदि के अनुमोदन पर की जाती है।

समस्त अधिकारी एवं मंत्रालयिक पदों का पदोन्नति सम्बन्धी कार्य निगम स्तर पर सचिव (प्रशासन) द्वारा निदेशक मंडल द्वारा पारित आदेशानुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से समय-समय पर रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।

तकनीकी वर्ग में वेतन शृंखला 1 से 6 के पदोन्नति कार्य संभाग एवं वृत्त स्तर पर गठित विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा किया जाता है।

नई भर्ती करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया —

नई भर्ती राज्य सरकार से स्वीकृति के पश्चात् सचिव (प्रशासन) कार्यालय द्वारा सरकार द्वारा प्रदान किये गये निर्देशानुसार संविदा/स्थायी रूप से की जाती है। अधिमानता के आधार पर नियुक्ति सम्बन्धी कार्य निगम स्तर पर ही प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति के पश्चात् सचिव(प्रशासन) कार्यालय द्वारा किया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया —

तकनीकी कर्मचारियों वेतन शृंखला 1 से 6 के वर्ग की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति वृत्त स्तर पर अधीक्षण अभियंता द्वारा की जाती है। मंत्रालयिक एवं अधिकारी वर्ग की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति निगम स्तर पर सचिव प्रशासन द्वारा प्रबंध निदेशक की स्वीकृति के पश्चात् की जाती है।

अनुग्रह राशि स्वीकृति करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया —

निगम सेवा में कार्य करते हुए किसी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु होने के पश्चात् उसके परिजनों को 10 हजार रुपये अनुग्रह राशि के रूप में विभागाध्यक्ष (HOD) द्वारा स्वीकृत कर सम्बन्धित लेखा अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है।

भुक्ति लाभ (Annuity Benefit) देने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया—

निगम सेवा में कार्य करते हुए किसी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु होने के पश्चात् उसकी पत्नि/आश्रित द्वारा निगम में अधिमानता के आधार पर स्वयं नौकरी नहीं करने पर तथा अपने अन्य किसी पुत्र/पुत्री के वयस्क होने तक मृतक की पत्नी/आश्रित को 500 रुपये मासिक भुक्ति लाभ के रूप में दिये जाते हैं जिसे स्वीकृत करने का अधिकार सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता/विभागाध्यक्ष को दिया गया है।

मुआवजा स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया—

निगम की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य के दौरान घातक/अघातक दुर्घटना होने पर कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अनुसार वृत्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि स्वीकृत की जाती है। विद्युत करंट लगने के कारण जन-सामान्य व पशुधन की हानि होने पर, वृत्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ही अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाती है। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) के सदस्य हैं, उनकी कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मुआवजे की कार्यवाही की जाती है।

कार्मिकों पर शास्ति आरोपण के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया—

विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य निष्पादन/आचरण में दोष/कमी पाये जाने पर तत्कालिन राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील विनियमों में विहित प्रक्रिया द्वारा सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

सेवा समाप्ति/अनिवार्य सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया—

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकरण में दोषी पाये जाने पर/ असाधारण परिस्थितियों में समस्त निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय एवं निदेशक मण्डल को है।

विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिये ऋण लेने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया—

अजमेर डिस्कॉम द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिये ऋण लेने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार निदेशक मण्डल तथा अंश धारकों की सधारण सभा को है। यदि ऋण की राशि पेडअप कैपिटल से कम होती है तो निदेशक मण्डल ऋण लेने सम्बन्ध प्रस्ताव स्वीकृत करने में सक्षम है। इसके विपरीत यदि अजमेर डिस्कॉम द्वारा किसी भी एजेंसी से लिये जाने वाले ऋण की राशि पेड-अप कैपिटल से कम है तो उसके सम्बन्ध में ऋण लेने का अधिकार अंशधारकों की साधारण सभा को है।

दोषी अधिकारियों व कार्मिकों से संबंधित जांच की प्रक्रिया :-

जांच आयुक्त :-

अजमेर डिस्कॉम के अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच के जिन मामलों में विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है, उनकी जांच के लिये उच्च अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है।

मैन्यूअल 4

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 के तहत राज्य की विद्युत कंपनियों के लिए विभिन्न नियम एवं विनियम बनाए जाते हैं। विद्युत निगमों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने निष्पादन के मानक (स्टैण्डर्ड ऑफ परफोरमेंस) निर्धारित किए हैं।

राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग :-

अजमेर डिस्कॉम के लिये नीति निर्धारण, नियमों आदि का निर्माण, टैरिफ का निर्धारण, विभिन्न प्रकार के शुल्कों का निर्धारण आदि कार्य राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है। टैरिफ दर, अन्य प्रकार के शुल्क अथवा अन्य मामलों में जयपुर डिस्कॉम के निर्णयों से संतुष्ट न होने पर राजस्थान राज्य आयोग में निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ नियमानुसार याचिका दायर की जा सकती है।

ACTIVITIES

A. RERC related works.

S.No. Particulars

1. Monthly information related to sales & purchase of Energy.
2. Progress report.
 - a. Purchase of meter & replacement of stopped & defective meter.
 - b. Conversion of flat rate agriculture to maternal category.
 - c. T&D losses & circle wise sale of energy.
 - d. Incentive and surcharge paid to consumers for power factor and installation of capacitors
 - e. Release of new connection.
 - f. Issue of Ist bills.
 - g. Progress of Vigilance checking.
 - h. Progress of action plan for reduction of T&D losses.
3. Redressal of consumers grievance as per SOP information in format P 1 to P 7.
4. Annual accounts report.
5. Submission of ARR to RERC following formats are to be submitted.
 1. Past trend of energy sales.
 2. Category wise consumption status.
 3. Hrs. of supply to Agg. Flat rate consumer.
 4. Basis for Aggri. Metered consumers.
 5. Basis for Agg. Flat rate consumers.
 6. Power purchase from various sources.
 7. Power purchase cost.
 8. Operation and Maintenance expenses.
 9. Financial charges & lease rentals for operation.
 10. Provisions of depreciations.
 11. Capital base consumption.
 12. Projected revenue from existing tariff.
 13. Revenue deficit.
 14. Capital investment.
 15. Status of pending applications.

Status of stopped defective meters.

Following formats as prescribed by RERC are required to be submitted to RERC.

1. Co2/Form 1.1/Disco statement of clear profit return on capital base equity.
2. Co2 Form 2.1/Disco Revenue from sale of power.
3. Co2/Form 2.2/Disco Income from investment & other non tariff income.
4. Co2/Form 2.3/Disco Revenue subsidy & G rent.
5. Co2/Form 3.1/Disco cost of power purchase.
6. Co2/Form 3.2/Disco operation repair & maintenance.
7. Co2/Form 3.3/Disco Establishment cost.
8. Co2/Form 3.4/Disco Administrative & general expenses.
9. Co2//Form 4.1/Disco Fixed assets & provisions for depreciation.
10. Co2/Form 4.2/Disco Loan repayment & internal liabilities.
11. Co2/Form 4.3/Disco Information of cash & bank balance.
12. Co2/Form 4.4/Disco Consolidated reports on capital works in progress.
13. Co2/Form 4.5/Disco Consolidated report on addition to fixed assets.
14. Co2/Form 4.6/Disco Project wise/scheme wise capital expenditure.
15. Co2/Form 4.7/Disco Information on inventory.
16. Co2/Form 4.8//Disco Information on capital.
17. Co2/Form 4.9/Disco General (other debits, writs offs/& others).
18. Co2/Form 4.10/Disco Contribution, Grant subsidy.
19. Co2/Form 4.11/Disco Income Tax provision.
20. Co2/Form 5.1/Disco Working capital requirement.
21. Co2/Form 5.1/Disco Proposed improvement in performance.
22. Annual report of accounts for the previous year (audited) is also to be submitted to RERC.

B. Commercial & related matters.

I. Meeting of Executive Engineer of Important Industrial Areas Input Source

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | Statement of energy consumption & its variation | XEN (O&M) of concerned Area |
| 2. | Industrial area wise losses | XEN (O&M) of concerned Area |
| 3. | Feeder wise losses & ind. Area | XEN (O&M) of concerned Area |
| 4. | Position of pending application of ind. Area | XEN (O&M) of concerned Area |
| 5. | Position of o/s amount of regular consumer | XEN (O&M) of concerned Area |
| 6. | Position of assessment & realization & outstanding with their variation in ind. Area | XEN (O&M) of concerned Area |
| 7. | Position of o/s against PDC consumer | XEN (O&M) of concerned Area |
| 8. | System interruptions & reliability index of ind. Area | XEN (O&M) of concerned Area |
| 9. | Details of meeting of State Level Empowered Committee information regarding pending industries category connection of all the three Discoms. | XEN(RA&R) |

(C) Other Works

1. Correspondence for metering code, gride code, sop & Various fees of tariff petitions.
2. RERC regulations for provided to circle officer from field staff.
3. Consumers grievance received from RERC
4. Reply of objections on various petition for submitting to RERC
5. Open access and CPP related works

(मैन्युअल-5)

कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख को सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराएं (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिये पृथक से प्रस्तुत करें)

अभिलेख के प्रकार :-

अभिलेख का नाम :- पर्ववर्ती रा.रा.वि.म. द्वारा निर्मित विभिन्न सेवा सवंगों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तों, आचरण, दुराचार के आरोपित कर्मचारियों को शास्ति देने संबंधी नियमों/विनियमों एवं अन्य प्रकार के विनियमों को ही अ.वि.वि.नि.लि. द्वारा वांछित संशोधन कर अधिग्रहण कर लिया गया हैं। निगम द्वारा अधिगृहित (Adopted) किये गये नियम/विनियम पुस्तिकायें निम्न है :-

1. कर्मचारी सेवा विनियम 1964(ESR)
2. इंजिनियर्स सेवा विनियम 1969
3. तकनीकी कर्मचारी सेवा विनियम 1975
4. अधिकारी सेवा विनियम 1974
5. रा.रा.वि.म. (पेंशन) एवं प्रावधायी निधि विनियम 1988
6. मंत्रालय कर्मचारी विनियम 1962
7. कर्मचारी(वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) विनियमद्व
8. कर्मचारी आचरण विनियम
9. यात्रा भत्ता विनियम
10. चिकित्सा पुर्नभरण विनियम
11. Purchase Manual
- 12- Store Manual
- 13- PMCF Rules
- 14- The Electricity Act-2003
- 15- Terms & Conditions of Supply of Electricity
- 16- Tariff for supply of Electricity-2004
17. कृषि कनेक्शन नीति. 2005
18. रेवेन्यू मैनुअल

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय : उपरोक्तानुसार

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और पता: लेखाधिकारी (नियम)

अभिलेख की जानकारी लेखाधिकारी(नियम), अ.वि.वि.नि.लि., विद्युत भवन, सिटी पावर हाउस, जयपुर रोड, अजमेर से प्राप्त कर सकते हैं।

(1.) द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 (अधिनियम)-

भारत सरकार द्वारा लागू विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत निगम के कर्तव्यों के सम्बन्ध में कानून बनाया गया है। इसके आधार पर अजमेर डिस्कॉम में विभिन्न नियम, निर्देशिका एवं परिपत्र बनाये जाते हैं।

इस अधिनियम का पुस्तक के रूप में प्रकाशन निजी प्रकाशकों द्वारा किया जाता है। मूल अधिनियम (बेयर क्ट) के रूप में, हिन्दी अनुवाद के सहित या व्याख्या सहित हिन्दी व अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। इसे बाजार से सशुल्क क्रय किया जा सकता है।

(2.) टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी (विनियम)—

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत इस पुस्तिका का प्रकाशन अजमेर डिस्कॉम द्वारा किया गया है। इस पुस्तिका में अजमेर डिस्कॉम द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले विद्युत कनेक्शनों से संबंधित प्रक्रिया एवं शर्तों का वर्णन किया गया है। यह पुस्तिका अजमेर डिस्कॉम में उपलब्ध है।

(3.) टैरिफ फोर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी—2004

राजस्थान राज्य विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अजमेर डिस्कॉम द्वारा विभिन्न श्रेणी विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले टैरिफ का निर्धारण किया गया है। इसका प्रकाशन अजमेर डिस्कॉम द्वारा किया गया है। तथा इसे अजमेर डिस्कॉम के जनसम्पर्क कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(4.) कृषि कनेक्शन नीति 2004 (निर्देशिका)—

इस पुस्तिका का प्रकाशन राज्य सरकार द्वारा 18.09.2004 को घोषित संशोधित कृषि नीति के आधार पर राज्य की तीनों विद्युत वितरण निगमों के लिये एक साथ किया गया है। यह पुस्तिका अजमेर डिस्कॉम के प्रत्येक कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध करवाई गयी है तथा जिला प्रमुखों, जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति प्रधानों, जिला कलक्टरों आदि को भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई गयी है।

(5.) रेवेन्यू मैनुअल (नियम)—

विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जारी करने, उनके विद्युत मीटरों की रीडिंग लेने, उपभोक्ता की विद्युत खपत का लेजर बनाने, उनका बिल तैयार करने, विद्युत उपभोक्ता तक बिल पहुँचाने, राजस्व संग्रहण करने, उपभोक्ता से अग्रिम राशि स्वीकार करने, उपभोक्ता को फीडर कोड आवंटित करने, मीटरों की सीलिंग करने के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, विभिन्न राजस्व कार्मिकों के कर्तव्यों का निर्धारण करने आदि का विस्तृत वर्णन रेवेन्यू मैनुअल में दिया गया है।

(6.) निष्पादन के मानक —

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 के तहत राज्य की विद्युत कंपनियों के लिए विभिन्न नियम एवं विनियम बनाए जाते हैं। विद्युत निगमों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने निष्पादन के मानक निर्धारित किए हैं।

(7.) डेलिगेशन ऑफ पावर्स (नियम)—

अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक, मुख्य अभियंताओं, विभिन्न विभागाध्यक्षों, कार्यालय अध्यक्षों एवं अन्य अभियंताओं, लेखा अधिकारियों तथा राजस्व अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के लिये प्रदत्त वित्तीय शक्तियाँ— “डेलिगेशन ऑफ पावर्स” नामक पुस्तिका में अलग से दी गयी हैं। इसका प्रकाशन अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय द्वारा किया गया है।

(8.) वर्क्स मैनुअल एण्ड जनरल कन्डीशन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क्स (नियम)—

विभिन्न निर्माण कार्यों यथा भवन निर्माण, जी.एस.एस. निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिये टेण्डर तैयार करने, प्रकाशित करने तथा कार्य की शर्तें आदि तय करने के लिये विभिन्न अधिकारियों को प्राप्त शक्तियों, प्रक्रियाओं तथा कान्ट्रैक्ट अवार्ड करने आदि के नियम इस पुस्तिका में लिखे हुए हैं।

(9.) परचेजेज मैनुअल (नियम)—

अजमेर डिस्कॉम द्वारा क्रय की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री एवं उपकरणों को क्रय करने के लिये संबंधित दिशा-निर्देश एवं अपनायी जानी वाली प्रक्रिया का उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है।

(10.) स्टोर मैनुअल (नियम)–

विभिन्न प्रकार की सामग्री यथा ट्रांसफॉर्मर, मीटर, केबल/तार, ऑयल, कैपेसीटर, ब्रेकर, आदि क्रय कर, स्टोर में प्राप्त करने एवं उसे अन्य कार्यालयों को जारी करने का कार्य किया जाता है तथा स्टोर के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों को पहुँचाया जाता है। अनुपयोगी सामग्री को नीलाम/निष्पादन करने, स्टोर्स में सामग्री प्राप्त एवं जारी करने के लेखांकन तथा स्टोर्स में कार्यरत अधिकारियों के कर्तव्यों आदि का स्टोर्स मैनुअल में विवेचन किया गया है।

(11.) सर्विस ऑफ इंजीनियर्स रेग्यूलेशन (रिक्रूटमेंट, प्रोमोशन एण्ड सीनियोरिटी) रेग्यूलेशन 1969 (विनियम)– उक्त पुस्तिका में सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता आदि की नियुक्ति, पदोन्नति एवं वरीयता आदि के संबंध में नियम/दिशा निर्देश दिये गये हैं।

(12.) ऑफिस सर्विस (रिक्रूटमेंट, प्रोमोशन एण्ड सीनियोरिटी) रेग्यूलेशन, 1974 (विनियम)–

इस पुस्तिका में विभिन्न अधिकारियों (अभियन्ताओं को छोड़कर) की नियुक्ति, पदोन्नति एवं वरीयता के संबंध में नियमों/निर्देशों की व्याख्या की गयी है। इसका प्रकाशन तत्कालीन राजस्थान राज्य विधुत मण्डल द्वारा किया गया है।

(13.) मिनिस्ट्रीयल स्टाफ सर्विस रेग्यूलेशन 1962 (M.S.R.)–

मिनिस्ट्रीयल स्टाफ सर्विस रेग्यूलेशन 1962 (डफेण्ट) में मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति आदि के संबंध में नियमों की व्याख्या की गई है। इसका प्रकाशन तत्कालीन राजस्थान राज्य विधुत मण्डल द्वारा किया गया है।

(14.) एम्प्लोयीज (क्लासीफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील)

रेग्यूलेशन, 1962 एण्ड कन्डक्ट रेग्यूलेशन, 1976 उक्त पुस्तिका में कर्मचारियों के वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील के संबंध में नियम दिये गये हैं। इन नियम में कर्मचारियों द्वारा कार्य निष्पादन में लापरवाही, कर्तव्य-च्युति (Delinquency) के संबंध में दिये जाने वाले शास्ति अथवा दण्ड (Penalties) तथा इस सन्दर्भ में अधिकारियों को प्रदत्त अधिकारों के संबंध में व्याख्या उपलब्ध है।

(15.) एम्प्लोयीज सर्विस रेग्यूलेशन, 1964

इन नियमों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर लागू होने वाली सेवा शर्तें (Condition of Service), परिवीक्षा, स्थानान्तरण, अवकाश, वेतन, विभिन्न अधिकारियों द्वारा काम में ली जाने वाली शक्तियों आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। इसका प्रकाशन तत्कालीन राजस्थान राज्य विधुत मण्डल द्वारा किया गया है।

(16.) अन्य नियमावलियाँ

अजमेर डिस्कॉम के कार्मिकों के दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्धारण के लिये राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम, राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम आदि नियमावलियाँ बनी हुई हैं। ये बाजार से क्रय की जा सकती हैं।

मैन्युअल – 6

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (कैटेगरीज) के अनुसार विवरण

लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों को जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें। साथ ही यह भी बताएं की यह दस्तावेज कहां उपलब्ध रहते हैं जैसे कि सचिव स्तर पर, निदेशालय स्तर पर, अन्य (कृपया "अन्य" का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)

क्रस	दस्तावेज का नाम	प्रवर्ग	धारक/नियन्त्राधिकारी
1	सेवा अभिलेख	(1) राजपत्रित अधिकारी (2) निगम मुख्य कार्यालय में पदास्थापित समस्त कर्मचारी (3) अन्य समस्त प्रवर्ग के कर्मचारी	सचिव(प्रशासन), अजमेर लेखाधिकारी (संस्थापन) अजमेर संबंधित नियंत्रक अधिकारी
2	अधिमानता के आधार पर नियुक्ति संबंधित विवरण (नियुक्ति से पूर्व) (नियुक्ति के बाद)	समस्त प्रवर्ग के संबध में	सचिव(प्रशासन) कार्मिक अधिकारी(संस्थापन)
3	रिक्त एवं भरे हुए पदों से संबंधित विवरण	(1) अभियंताओ से संबधी (2) मन्त्रालयिक, तकनिकी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संबधित (3) लेखाकन कार्य में कार्यरत कर्मचारी	मुख्य लेखाधिकारी
4	वरिष्ठता सूची संबधी अभिलेख	(1) अभियंताओ से संबधित (2) आशुलिपिक ग्रेड-। व ।।, निजि सहायक आदि (3) मन्त्रालयिक कर्मचारी से संबधित SO,OS Gr. I,II, UDC, LDC, Peon (Xth Pass) (4) तकनिकी अधीनस्थ कर्मचारी- a- निपुण-। b- निपूण-ठ c- अर्धनिपुण	सचिव(प्रशासन) सचिव(प्रशासन) मुख्य अभियंता स्तर अधीक्षण अभियंता स्तर (वृत) खण्ड स्तर
5	वार्षिक कार्य मुल्यांकन विवरण	(1) समस्त अधिकारीगण एवं कनिष्ठ अभियन्ता (2) समस्त निजि सहायक, आशुलिपिक ग्रेड-। एवं-।। (3)सांख्यिकी / सांख्यिकी-सहायक / प्रगंक (4) वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लिपिक-निगम सचिवालय (5) वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लिपिक (अन्य कार्यालय) (6) लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार	सचिव (प्रशासन) संबधित अधीक्षण अभियन्ता लेखाधिकारी (संस्थापन)
6	उपस्थिति पंजिका	प्रशासनिक एवं स्थापना सम्बन्धी	संबंधित नियंत्रक अधिकारी

7	कैश बुक	– वही –	प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी
8	परफोरेटेड कैश बुक (पी.सी. बी.)	– वही –	प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष
9	वेतन बिल	– वही –	निगम स्तर पर लेखाधिकारी (ई.ए), वृत्त स्तर पर संबंधित लेखाधिकारी
10	सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन (रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, राजस्थान द्वारा जारी)	वैधानिक	कम्पनी सचिव
11	सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस	– वही –	– वही –
12	मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन	– वही –	कम्पनी सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी
13	निदेशक मण्डल व अंशधारकों की वार्षिक साधारण सभा की बैठक की मिनट्स	वैधानिक	कम्पनी सचिव
14	विद्युत उपभोक्ताओं की फाइलें	उपभोक्ता सम्बन्धी	सम्बन्धित सहायक अभियंता पवस
15	विद्युत मीटरों की पाठ्यांक पुस्तिका(एम.आर.आर.)	– वही –	– वही –
16	विभिन्न श्रेणियों में विद्युत कनेक्शन चाहने वाले व्यक्तियों की वरीयता का रजिस्टर	– वही –	– वही –
17	मीटर बदलने के आदेश की पुस्तिका (एम.सी.ओ. बुक)	– वही –	– वही –
18	पुनः विद्युत सम्बन्ध एवं विद्युत विच्छेद पुस्तिका (आर. सी / डीसी. बुक)	– वही –	– वही –
19	सर्विस कनेक्शन ऑर्डर बुक	– वही –	– वही –
20	उपभोक्ता की खाता पुस्तिका (लेजर)	– वही –	– वही –
21	जॉब ऑर्डर बुक	– वही –	– वही –
22	विद्युत सम्बन्धी शिकायत पुस्तिका	– वही –	– वही –
23	स्टॉक रजिस्टर	प्रशासनिक	प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष
24	व्यय पुस्तिका (एक्सपेंडीचर कन्ट्रोल रजिस्टर)	– वही –	प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष
25	डाक आवक पंजिका	– वही –	प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष
26	डाक प्रेषण पंजिका	– वही –	प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष
27	गोपनीय पत्र प्रेषण पंजिका	– वही –	प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष
28	इन्वैटरी रजिस्टर	– वही –	सहायक अभियंता प.व.स./ सहायक भण्डार नियंत्रक
29	मैटेरियल मूवमेंट रजिस्टर	– वही –	सहायक अभियंता प.व.स./ सहायक भण्डार नियंत्रक
30	गेट पास पुस्तिका	– वही –	सहायक अभियंता प.व.स./ सहायक भण्डार नियंत्रक

31	समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण पुस्तिका	उपभोक्ता सम्बन्धी	प्रत्येक उपखण्ड/खण्ड/वृत्त/निगम स्तर
32	समस्या समाधान शिविरों की कार्यवाही की पुस्तिका	— वही —	प्रत्येक उपखण्ड/वृत्त स्तर
33	व्हीकल लॉग बुक	प्रशासनिक	प्रत्येक वाहन के साथ
34	निविदा रजिस्टर	प्रशासनिक	प्रत्येक अधीक्षण अभियंता, संभाग स्तरीय मुख्य अभियंता, जनसम्पर्क अधिकारी
35	सम्पत्ति पंजिका (एसेट रजिस्टर)	प्रशासनिक	अधीक्षण अभियंता (सिविल)
36	विधुत चोरी से संबंधित शिकायते/तत्संबंधी प्रारम्भिक जांच/विभागीय सर्तकता	जांच संबंधी	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सर्तकता)
37	तकनिकी अंकेक्षण प्रतिवेदन	अंकेक्षण संबंधी	अधीशाषी अभियन्ता (आंतरिक अंकेक्षण)
38	निगम के लेखाओं का आंतरिक अंकेक्षण	अंकेक्षण	लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण—सी.ए.)
39	राजस्व उपखण्डों के लेखाओं का आंतरिक अंकेक्षणअभिलेख	अंकेक्षण	संबंधित वृत्त का लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण— राजस्व)
40	कार्मिकों का संस्थापन व खर्चों का आंतरिक अंकेक्षण	अंकेक्षण	लेखाधिकारी (संस्थापन—नियंत्रण)
41	मुख्यावास पर आंतरिक अंकेक्षण कार्य संबंधी अभिलेख	अंकेक्षण	लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण—राजस्व)
42	एच.टी. उपभोक्ताओं के लेखाओं के अंकेक्षण संबंधी	अंकेक्षण	सहायक लेखाधिकारी (एच.टी अंकेक्षण)
43	सहायक भण्डार नियंत्रक एवं उप भण्डारों का अंकेक्षण	अंकेक्षण	सहायक लेखाधिकारी (एस.वी अंकेक्षण)
44	निगम का बजट (मार्गोपाय)	बजट संबंधित	लेखाधिकारी(बजट—डब्लू एण्ड एम.)
45	ठेकेदारों को भुगतान एवं वृत्तलेखाधिकारियों के लिए कोष प्रबन्ध	वित्तिय	लेखाधिकारी (केन्द्रिय भुगतान प्रकोष्ठ)
46	महालेखाकार/लेखा नियंत्रक एवं विधान सभा की समितियों द्वारा अंकेक्षित ड्राफ्ट पेरा/प्रतिवेदन	अंकेक्षण	समन्वयक अधिकारी
47	कन्ट्रोल लेजर एवं जर्नल मुख्यालय	लेखा शाखा	संबंधित लेखाधिकारी
48	जर्नल वाउचर लेखा शाखा मुख्यालय	लेखा शाखा	संबंधित लेखाधिकारी
49	मूल्य हास पंजिका	लेखा शाखा	लेखाधिकारी (लेखा)
50	लेखा वृत्तवार अर्द्धवार्षिक लेखे	लेखा शाखा	लेखाधिकारी (लेखा)
51	कम्पनी के वार्षिक लेखे	लेखा शाखा	लेखाधिकारी (लेखा)
52	अन्तर कम्पनी लेखों/अन्तर इकाई लेखों के अभिलेख	लेखा शाखा	लेखाधिकारी (लेखा)

53	कम्पनी के विधुत क्रय लेखों के अभिलेख	लेखा शाखा	लेखाधिकारी (लेखा)
54	कम्पनी की स्थायी सम्पती पंजिका	लेखा शाखा	लेखाधिकारी (लेखा)
55	कम्पनी के आयकर, फिन्ज बेनीफिट टैक्स, सेवा कर बिक्री कर संबंधी कार्य	लेखा शाखा	लेखाधिकारी (कराधान)
56	वर्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) संबंधी कार्य	लेखा शाखा	सहायक लेखाधिकारी (कराधान)
57	लागत लेखाकन अभिलेख	लेखा शाखा	सहायक लेखाधिकारी (कराधान)
58	मासिक तलपट	लेखा शाखा	सहायक लेखाधिकारी (रोकड़)
59	फार्म नं. RSEBC-26 Subsidiary	लेखा शाखा	सहायक लेखाधिकारी (रोकड़)
60	फार्म नं. RSEBC-30 Subsidiary	लेखा शाखा	सहायक लेखाधिकारी (रोकड़)
61	फार्म नं. RSEBC-82	लेखा शाखा	सहायक लेखाधिकारी (रोकड़)
62	रोकड़ पुस्तिका	लेखा शाखा	सहायक लेखाधिकारी (रोकड़)
63	ब्रोड सीट GPF	लेखा शाखा	सहायक लेखाधिकारी (रोकड़)
64	ब्रोड सीट CPF	लेखा शाखा	सहायक लेखाधिकारी (रोकड़)
65	ब्रोड सीट EPF	लेखा शाखा	सहायक लेखाधिकारी (रोकड़)
66	निगम स्तर पर विधुत ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के आंकड़ों का मिलान एवंसंग्रहण	- वही -	मुख्य लेखाधिकारी
67	निगम स्तर पर राजस्व उपखण्डों एवं लेखाधिकारी कार्यालयों में प्रयुक्त विभिन्न फार्मों एवं रजिस्ट्रों का मुद्रण	- वही -	मुख्य लेखाधिकारी

क्र. सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन	Nature of documents
—	—	—	आम जनसाधारण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा कर दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते है ।	<u>1. निगम स्तर पर</u> सचिव (प्रशासन) मुख्य अभियन्ता (एम.एम) मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) उप मुख्य अभियन्ता (आर.ई.एण्ड प्लान) अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)	Administrative matters Procurement & Material Management M&P, RPPC, Tariff, Commercial matters, Legal matters RE, IT&CRP, TW, Civil matters Theft of Electricity cases / Vigilance matters
				<u>2. संभाग स्तर पर</u> मुख्य अभियन्ता (पवस), अजमेर संभागीय मुख्य अभियन्ता (उदयपुर संभाग) संभागीय मुख्य अभियन्ता (झुंझुनू संभाग)	O&M of Electricity supply -do-
				<u>3. वृत्त स्तर पर</u> अधिक्षण अभियन्ता कार्यालय (संबंधित वृत्त)	-do-
				<u>4. उप-खण्ड स्तर पर</u> सहायक अभियन्ता कार्यालय (संबंधित उप-खण्ड)	-do-

मैनुअल – 7

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि को परामर्श भागीदारी का कोई प्रावधान है ? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें ।

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता को भागीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था
1	विद्युत दर संबंधी सभी प्रकार के विद्युत कनेक्शन, विद्युत दर आदि	-----नहीं-----	नीति निर्धारण के संबंध में आम नागरिकों से विद्युत नियामक आयोग के निर्देशानुसार सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं तदुपरान्त नियामक आयोग के निर्देशानुसार नीति का निर्धारण किया जाता है।

नीति के क्रियान्वयन हेतु

क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से /को परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान है ?यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता को भागीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था
1	विद्युत दर संबंधी सभी प्रकार के विद्युत कनेक्शन, विद्युत दर आदि	-----नहीं-----	नियामक आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार नीति निर्धारण संबंधी मामले अविविनिलि द्वारा लागू किये जाते हैं।

नीति निर्धारण की प्रक्रिया

विभिन्न अधिकारियों द्वारा किसी विषय में निर्णय लेने के लिए अधिकारी को प्राप्त भौतिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। नीति निर्माण संबंधी निर्णय के लिए निदेशक मण्डल द्वारा द इलेक्ट्रीसिटी एक्ट के अनुसार कम्पनी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है।

विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन के निर्णय लेने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए स्टोर मैनुअल, परचेज मैनुअल, कृषि कनेक्शन नीति, रेवेन्यू मैनुअल, टैरिफ फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रीसिटी, टर्म्स एण्ड कण्डीशनस ऑफ सप्लाई, नागरिक अधिकार पत्र, डेलिगेशन आफ पार्वस, स्टेण्डर्ड परफारमेंन्स वर्क्स मैनुअल एण्ड जनरल कण्डीशन ऑफ कान्ट्रेक्ट फॉर वर्क्स, सर्विस ऑफ इंजीनियर्स रेग्यूलेशन (रिक्रूटमेन्ट प्रमोशन एण्ड सीनियोरिटी) 1969, आफीसर्स (रिक्रूटमेन्ट प्रमोशन एण्ड सीनियोरिटी) रेग्यूलेशन 1974, एम्पलाइज सर्विस रेग्यूलेशन, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ सर्विस रेग्यूलेशन 1962, सी.सी.ए. रूल्स, राजस्थान राज्य सेवा विनियम, राजस्थान समान्य वित्त एवं लेखा नियम, मेडिकल रूल्स, यात्रा भत्ता नियम आदि पुस्तकों में दी गई प्रक्रिया को अपनाया जाता है।

कार्यान्वयन में जनप्रतिनिधियों से परामर्श की व्यवस्था-

कार्यान्वयन के मामले में जनता एवं जन प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण को जानने के लिये जयपुर डिस्कॉम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मुख्य अभियंता तथा अन्य अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किसान प्रतिनिधियों एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता की जाती है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर चलाये जाने वाले विशेष कार्यक्रमों यथा- प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन गाँवों की ओर तथा समस्या समाधान शिविरों में जयपुर डिस्कॉम के अधिकारी भाग लेते हैं तथा जन समस्याओं की सुनवाई करते हैं।

33/11 के.वी. ग्रिड सबस्टेशनों की स्थापना के सम्बन्ध में जिला परिषदों, जिला आयोजना समितियों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर तकनीकी साध्यता के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

ग्रामीण स्तर पर बनी विद्युत समितियों में भी क्षेत्र/गाँव विशेष की आवश्यकताओं/समस्याओं के अनुसार जो प्रस्ताव पारित किये जाते हैं, उनके आधार पर सहायक अभियंता द्वारा कार्यवाही की जाती है।

उपभोक्ताओं हेतु समस्या समाधान का प्रावधान

समस्या समाधान शिविरों का प्रतिमाह आयोजन-

अजमेर डिस्कॉम के उपखण्ड स्तर पर प्रत्येक सहायक अभियंता (प.व.स.) द्वारा अपने कार्यालय में प्रत्येक माह की 10 तारीख को समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में कोई भी विद्युत उपभोक्ता अपनी समस्या के सम्बन्ध में सादे प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है।

प्रत्येक वृत्त स्तर पर अधीक्षण अभियंता (प.व.स.) द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख को अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है जिन उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान सहायक अभियंता स्तर पर नहीं हो पाता है, उन उपभोक्ताओं को अपनी समस्या इस शिविर में रखने का अधिकार है।

कृषि श्रेणी विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिये अजमेर डिस्कॉम के प्रबंधन द्वारा आवश्यकता होने पर किसान संघों के प्रतिनिधियों से वार्ता की जाती है। इसी तरह औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से आवश्यकता होने पर अजमेर डिस्कॉम के प्रबंधन द्वारा वार्ता की जाती है।

उप जिला स्तर अभाव अभियोग समिति-(प्रति सप्ताह)

सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं-

1. जिला प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिधि,
2. सम्बन्धित पंचायत समिति के प्रधान,
3. नगर पालिका के अध्यक्ष/प्रशासक,
4. विकास अधिकारी,
5. जलदाय विभाग के सहायक अभियंता,
6. जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत किसान समितियों के दो सदस्य,
7. उपखण्ड क्षेत्र के जिला परिषद के समस्त चयनित सदस्य,
8. अजमेर डिस्कॉम के उपजिला से सम्बन्धित समस्त सहायक अभियंता,
9. अजमेर डिस्कॉम का सहायक अभियंता (मुख्यालय, सदस्य-सचिव)।

जिले के सभी विधायक/सांसद उपजिला स्तर समिति की बैठकों में भाग लेना चाहें, तो विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग ले सकते हैं।

जिला स्तर अभाव अभियोग समिति--(प्रति माह)

यह समिति अजमेर डिस्कॉम का सम्बन्धित मुख्य/अतिरिक्त/उपमुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में गठित की गयी है। इसके समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं--

1. जिले के समस्त सांसद,
2. जिले के समस्त विधानसभा सदस्य,
3. जिला कलक्टर का प्रतिनिधि,
4. जिला प्रमुख अथवा उनका प्रतिनिधि,
5. जिले में पदस्थापित अजमेर डिस्कॉम के समस्त अधीक्षण अभियंता (प.व.स.),
6. जिले में पदस्थापित अजमेर डिस्कॉम के समस्त अधिशासी अभियंता (प.व.स.),
7. अध्यक्ष/कमिश्नर/सचिव/अधिशासी अधिकारी विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/ नगर निगम/नगर पालिका,
8. मनोनीत सदस्य, जिला उद्योग केंद्र,
9. रीको के स्थानीय अधिकारी,
10. राजस्थान आवासन मण्डल के स्थानीय अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता,
11. जलदाय विभाग के स्थानीय अधीक्षण/अधिशासी अभियंता,
12. चेम्बर ऑफ कॉमर्स/उद्योग संस्थान के तीन पदाधिकारी,
13. प्रबन्ध निदेशक द्वारा अधिकृत एवं अधिशासी अभियंता (प.व.स.)-- सदस्य सचिव।

यदि जिले में इस सम्बन्ध में कोई स्वयं सेवी संस्था कार्य कर रही हो तो उसके भी प्रतिनिधि जिला/उपखण्ड स्तरीय समितियों में जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

चौपाल :-

प्रत्येक मंगलवार को प्रत्येक सहायक अभियन्ता क्षेत्र में एक 33/11 केवी. सबस्टेशन विद्युत चौपाल लगाई जाती है जिस पर उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही निवारण किया जाता है तथा चौपाल में सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहते हैं।

फोरम व सैटलमेंट कमेटी :-

उपरोक्त समितियों के माध्यम से कृषक एवं अन्य उपभोक्ता अपनी शिकायतें स्थानीय स्तर पर शीघ्र ही निपटवा सकते हैं।

समझौता समितियाँ--

विद्युत चोरी के अतिरिक्त अन्य मामलों राजस्व वसूली के सम्बन्ध में विवाद होने पर कोई भी उपभोक्ता अजमेर डिस्कॉम द्वारा विभिन्न स्तरों पर गठित समझौता समितियों में अपना परिवेदना प्रस्तुत कर सकता है। इन समझौता समितियों को निम्नलिखित राशि तक के प्रकरण सुनने का अधिकार है--

समिति	विवादित राशि की सीमा	समिति का अध्यक्ष	निर्धारित शुल्क
उपखण्ड स्तरीय समझौता समिति	10,000 रुपये तक	सहायक अभियंता	50.00 रुपये
खण्ड स्तरीय समझौता समिति	25,000 रुपये तक	अधिशासी अभियंता	100.00 रुपये
वृत्त स्तरीय समझौता समिति	3,00,000 रुपये तक	अधीक्षण अभियंता	250.00 रुपये
मुख्यालय स्तर पर	3,00,000 रुपये से अधिक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1000.00 रुपये

जिला स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच—

कोई भी विद्युत उपभोक्ता विद्युत सेवा सम्बन्धी अथवा दो लाख रुपये तक की राजस्व राशि के राजस्व सम्बन्धी विवाद होने पर अपनी शिकायत जिला स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में कर सकता है। किसी भी उपभोक्ता को समझौता समिति एवं उपभोक्ता शिकायत मंच में से किसे एक में अपना परिवाद प्रस्तुत करने की छूट है। इस मंच के समक्ष प्रस्तुत होते समय उपभोक्ता अपने वकील को साथ ला सकता है। जबकि समझौता समिति में वकील के अतिरिक्त किसी प्रतिनिधि को अपनी सहायता के लिये लाने का अधिकार है।

निगम स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच—

कोई भी विद्युत उपभोक्ता जिला स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के निर्णय से संतुष्ट न होने पर अथवा दो लाख रुपये से अधिक के राजस्व राशि के विवाद के मामले में अपनी शिकायत निगम स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में कर सकता है।

अजमेर डिस्कॉम के सचिव (प्रशासन), अविविनिलि, अजमेर के अधीन विभिन्न अनुभागो का निम्न प्रकार से गठन किया गया है :-

क्र. सं.	अनुभाग का नाम	संबंधित कार्य	अनुभाग प्रभारी
1	मंत्रालयिक	1. संस्थापन कार्य 2. वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक के संबंधित समस्त संस्थापन कार्य 3. चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से संबंधित समस्त कार्य 4. मंत्रालयिक कर्मचारियों की भर्ती संबंधी 5. वरिष्ठता सूची मंत्रालयिक/चतुर्थ श्रेणी	कार्मिक अधिकारी
2	तकनीकी	1. तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती संबंधी कार्य 2. तकनीकी कर्मचारियों की जांच संबंधी कार्य 3. विधान सभा प्रश्न 4. विविध कार्य	कार्मिक अधिकारी
3	औद्योगिक संबंधी एवं श्रम विवाद	1. औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अजमेर 2. श्रम संगठनों का मांग-पत्र से संबंधित कार्य 3. समझौता वार्ता संबंधी मामले	कार्मिक अधिकारी
4	निजी प्रकोष्ठ	1. अधिकारियो/कर्मचारियों के वार्षिक एवं गोपनीय प्रतिवेदन संबंधी कार्य 2. टेलीफोन बिल संबंधी कार्य 3. मीटिंग संबंधी सूचना	निजी सहायक
5	वरिष्ठ लेखाधिकारी, एफ.ए.	भौतिक सत्यापन निगम के सहायक भण्डार नियंत्रक कार्यालय से संबंधित कार्य	

मैन्यूअल – 8

अजमेर डिस्कॉम से सम्बद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

अजमेर डिस्कॉम से सम्बद्ध बोर्ड, परिषदों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है—

अंशधारक—

अजमेर डिस्कॉम की स्थापना सार्वजनिक कम्पनी के रूप में की गयी है। वर्तमान में इसकी अधिकृत अंश पूंजी 800 करोड़ रुपये है। अजमेर डिस्कॉम की समस्त अंश पूंजी राजस्थान सरकार के पास तथा उसके द्वारा नामित प्रतिनिधियों के पास है। राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों के पास केवल 10-10 रुपये का एक अंश है। अतः व्यवहारिक रूप से जयपुर डिस्कॉम की सारी अंश पूंजी राजस्थान सरकार में ही निहित है।

कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत अंशधारकों को जो शक्तियां प्रदत्त हैं उनके अनुसार ही अंशधारकों की साधारण सभा कार्य करती है। अंशधारकों की साधारण सभा के द्वारा निदेशक मण्डल का गठन किया जाता है तथा निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। वार्षिक खातों को अंतिम रूप से अंशधारकों की सभा द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। यदि लाभांश की घोषणा की जानी है तो उसके सम्बन्ध में भी अंशधारकों की सभा द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। इनके अतिरिक्त जो विषय निदेशक मण्डल के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं उन विषयों पर अंशधारकों द्वारा निर्णय लिया जाता है।

निदेशक मण्डल—

अजमेर डिस्कॉम का संचालन कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। निदेशक मण्डल की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसके निदेशक मण्डल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :—

List of Directors of Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited As On 01.07.2010

<u>Sl. No.</u>	<u>Name</u>	<u>Office Address</u>
<u>1</u>	Shri Shailendra Kumar Agarwal, IAS Chairman	Chairman & Managing Director, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd./ Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. & Chairman, Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd./ Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd. Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur-302005.
<u>2</u>	Shri P.S.Jat Managing Director	Managing Director, Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd. Old Power House, Jaipur Road, Ajmer-305001
<u>3</u>	Shri Abhay Kumar, IAS Director	Secretary Finance (Rev.) Govt. Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur-302005
<u>4</u>	Shri Naresh pal Gangwar, IAS Director	Secretary, (Energy) Govt. of Rajasthan, Secretariat, Jaipur-302005

5	Shri M.L. Gupta Director	Director (Finance), Raj. Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur-302005.
6	Shri S.K. Bansal Director	Director (Technical), Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd, Old Power House, Jaipur Road, Ajmer- 305001
7	Shri Deepak Shrivastava Director	Director (Finance), Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd, Old power House, Jaipur Road, Ajmer- 305001

कम्पनी अधिनियम के तहत निदेशक मंडल की कार्यशक्तियां निर्धारित की गयी हैं जिनके अनुसार निदेशक मण्डल की बैठकों में निर्णय लिये जाते हैं।

कृपया लोक प्राधिकरण से संबद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप के आधार पर दे।

संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, हाथी भाटा, पावर हाउस, जयपुर रोड़, अजमेर
संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य) नाम एवं पता	कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत
संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	अविधिनिलि की स्थापना 19.07.2000 को की गई। निगम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिक को बिजली उपलब्ध कराना और गांव का विद्युतीकरण करना तथा वोल्टेज रेग्यूलेशन बेहतर बनाने के लिए विकास कार्य करना जिससे उत्तम गुणवत्ता की बिजली आम उपभोक्ता को उपलब्ध करायी जा सकें तथा विद्युत संबंधी आवेदन करने पर उपभोक्ता को विद्युत संबंध प्रदान करना।
संबद्ध संस्था को भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)	प्रबन्ध कारिणी
वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं पूर्णकालिक निदेशक	1. श्री पी.एस.जाट- प्रबंध निदेशक 2. श्री दीपक श्रीवास्तव- निदेशक (वित्त) 3. श्री एस.के.बंसल - निदेशक (तकनीकी)
मुख्य अधिकारी का नाम	प्रबंध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर
मुख्य कार्यालय का पता	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सिटी पावर हाउस, जयपुर रोड़, अजमेर
बैठक की आवृत्ति	कम्पनी एक्ट के तहत
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	नहीं
क्या बैठक के कार्यवृत्त(Minutes) तैयार की जाती है?	हां
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें	हां, सूचना के अधिकार 2005 के अधिनियम के अनुसार

मैन्युअल-10

प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक एवं निर्धारण की पद्धति राजस्थान सरकार के पुनरक्षित वेतनमान-2006 (1.9.2006) अन्तर्गत समस्त अधिकारी, मंत्रालय संवर्ग, तकनीकी कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों तथा समय-समय पर इनमें संशोधन/वृद्धि के अनुसार भुगतान किया जाता है। निगम में कार्यरत सभी कर्मचारियों अधिकारियों की मासिक वेतन/पारिश्रमिक का पूर्ण विवरण वे जिसे कार्यालय में नियुक्त है। वहां उपलब्ध है।

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED, AJMER

**List of Corporate Office of Officers & Ministerial Staff Gross Salary as On
30.09.2009**

S. No.	Name of Officer	Designation.	Gross Salary as on 30.09.2009
1.	Sh. P. S. Jat	MD	71805
2.	Sh. S. K. Bansal	Director (Technical)	62642
3.	Sh. A. K. Jain	Director (Finance)	52459
4.	Sh. N. R. Mahraniya	Dy. SP	33879
5.	Sh. R. P. Jat	PRO	35561
6.	Sh. P. C. Neola	Addl. SP	47022
7.	Kum. Renu Jaipal	Secretary (Admn)	54979
8.	Smt. Neha Sharma	CS (PT)	20200
9.	Sh. P. K. Bogawat	CE	68301
10.	Sh. B. M. Goyal	SE	50608
11.	Sh. D. S. Karamsot	SE	49173
12.	Sh. D. K. Sharma	XEN	48515
13.	Sh. S. S. Shekhawat	XEN	47545
14.	Sh. J. K. Sharma	XEN	45844
15.	Sh. Mala Ram Detwal	XEN	45913
16.	Sh. V. K. Agarwal	AEN	41885
17.	Sh. V. P. Singh	XEN	44855
18.	Sh. S. L. Mathur	AEN	41885
19.	Sh. N. K. Bhatnagar	AEN	41062
20.	Sh. M. L. Prajapati	AEN	41062
21.	Sh. P. P. Ramrakhyani	AEN	42708
22.	Sh. B. K. Kakkar	AEN	42948
23.	Sh. D. K. Gupta-II	AEN	42948
24.	Sh. J. R. Choudhary	P.O.	36946
25.	Sh. R. R. Bhati	AEN	32938
26.	Sh. S. L. Pandya	E.O.	37784
27.	Sh. Anami Narain Mathur	ALO	31213
28.	Sh. G. N. Dhani	XEN	55630
29.	Sh. C. P. Gandhi	XEN	47177
30.	Sh. V. S. Bhati	XEN	46251
31.	Sh. Ashok Kumar	XEN	41635

32.	Sh. B. L. Sharma	Sr. AO	47545
33.	Sh. A. K. Goyal	AEN	42708
34.	Sh. Mukesh Thakur	AEN	41885
35.	Sh. Guttam Bhatt	AEN	37769
36.	Sh. Rajeev Verma	AEN	41885
37.	Sh. S. N. Sen	AAO	39430
38.	Sh. P. K. Panwar	AEN	33977
39.	Sh. S. K. Bhargava	XEN	54013
40.	Sh. B. M. Sharma	AEN	43061
41.	Sh. A. K. Sharma	AEN	39871
42.	Sh. Bijendra Kumar	AEN	40239
43.	Sh. S. K. Mourya	AEN	32036
44.	Sh. R. G. Gupta	XEN	50695
45.	Sh. Ram Chandra Gajraj	AEN	32276
46.	Sh. Devendra Kumar Sharma	XEN	47545
47.	Sh. M. K. Goyal	CAO	49985
48.	Sh. S. M. Mathur	CAO	53939
49.	Sh. M. K. Jain	CAO	49015
50.	Sh. Chander Goklani	Sr. AO	41885
51.	Sh. N. S. Rathore	Sr. AO	41885
52.	Sh. S. N. Sharma	Sr. AO	47545
53.	Sh. R. C. Pholwariya	Sr. AO	32036
54.	Sh. A. K. Sharma	Sr. AO	41885
55.	Sh. R. P. Sharma	AO	36642
56.	Sh. C. P. Purohit	AO	40239
57.	Sh. S. C. Jain	AAO	38592
58.	Sh. Arjun Abhichandani	AAO	39430
59.	Sh. M. M. Sharma	AAO	36946
60.	Smt. Deepti Kakkar	AAO	27881
61.	Sh. Anil Tatu	AO (PT)	16800
62.	Sh. Jitendra Makwana	AO (PT)	16800
63.	Sh. C. S. Chandaliya	Dy. CE	62642
64.	Sh. S. S. Meena	SE	49088
65.	Sh. Moti Lal Gupta	SE	49110
66.	Sh. C. K. Khamesra	SE	58584
67.	Sh. M. K. Rawat	SE	49529
68.	Sh. B. L. Maheshwari	CE	64795
69.	Sh. G. R. Choudhary	SE	57046
70.	Sh. R. K. Bakliwal	SE	54534
71.	Sh. G. S. Dalal	Dy. CE	57335
72.	Sh. K. P. Verma	SE	42507
73.	Sh. A. K. Bhargava	SE	54348
74.	Sh. Y. K. Boliya	SE	51016
75.	Sh. U. S. Tarodia	SE	53150
76.	Sh. D. B. Mathur	SE	50305
77.	Sh. A. K. Nagori	SE	52197
78.	Sh. Bachat Ranawat	XEN	44233
79.	Sh. N. S. Nirwan	XEN	47177
80.	Sh. K. C. Gur	PA	35932

81	Sh. Ratan Sewaramani	PA	38024
82	Sh. Prabhakar Acharya	PA	32389
83	Sh. B. D. Shadhwani	PA	36946
84	Sh. S. R. Pathariya	Statistician	33624
85	Sh. Bhagwan Sadhwani	Statistician	32213
86	Sh. L. K. Diwakar	S. A.	27607
87	Sh. Kishan Nebhwani	S. A.	31448
88	Ms. Manju Mathur	JEN	33683
89	Sh. A. K. Saxena	JEN	35314
90	Sh. D. K. Gupta	JEN	41885
91	Sh. P. C. Tiwari	JEN	32698
92	Sh. Ramakant Anuragi	JEN	31742
93	Sh. A. P. Singh	JEN	33923
94	Sh. Kamlakar Pandey	JEN	33923
95	Sh. Sudhakar Jha	JEN	37186
96	Sh. S. K. Chouhan	Steno-II	27435
97	Sh. A. C. Tanwar	Steno-II	26151
98	Sh. Bhupendra Kumar	JEN-I	10000
99	Ms. Ranjita Gupta	JEN-I	10000
100	Sh. B. L. Saini	JEN-I	23407
101	Sh. Vinit Kumar Meena	JEN-I	23407
102	Ms. Saroj Malhotra	JEN-I	10000
103	Ms. Jharna Kumari	JEN-I	10000
104	Sh. Niraj Sharma	JEN-I	23407
105	Sh. Navneet Agarwal	JEN-I	23407
106	Ms. Nandita Chouhan	JEN-I	23167
107	Ms. Reena Jain	JEN-II	16566
108	Ms. Gayatri Khandelwal	JEN-II	17800
109	Sh. Rajesh Kumar Jain	JEN	33683

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED, AJMER
ANNUAL FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2010-11

1. INTRODUCTORY:

The Annual Financial Statement (Budget Estimates) of Ajmer Discom showing the estimated Income and Expenditure on Revenue Account and Receipt and Expenditure on Capital Account for the Year **2010-11** is presented. The statement also shows Revised Estimates for the Year **2009-10**.

Pursuant to the provisions of Electricity Act, 2003, business activities of the distribution companies have been enlarged w.e.f. 1-4-2004. The distribution companies besides carrying out the retail distribution of electricity of the various categories of consumers are now also required to procure power directly from CPSUs, RVPN (partnership projects), RVUN and others. In order to procure the power from the above-mentioned agencies, centralized cell, in the name of Rajasthan Power Procurement Cell (RPPC) now renamed as Rajasthan Discoms Power Procurement Cell (RDPPC) has been established at Jaipur. RDPPC is making direct contracting with the various power supply agencies and making the payment on behalf of the Rajasthan's three distribution companies including Ajmer Discom. The energy so procured is allocated in Jaipur Discom, Ajmer Discom and Jodhpur Discom, in the ratio of 36:36:28 respectively up to Aug. 09 and in 38:31:31 thereafter (w.e.f. 01.09.09). Like previous year the budget estimates for the current financial year (**FY'10**) and the following financial year (**FY'11**) includes bulk power purchases from the aforesaid power supply agencies in addition to revenue account for sale of power.

2.1 REVENUE ACCOUNT:

The Revised Budget Estimates for **2009-10** and Budget Estimates for the Year **2010-11** are mentioned as under: -

(Rs. in Crore)

S.No	Particulars	Budget Estimates 2009-2010	Revised Estimates 2009-2010	Budget Estimates 2010-2011
1	Gross Power Purchased (MU)	12322.97	13121.55	14433.71
2	Less:Transmission Loss (%)	5.81	6.20	6.15
3	Less:Transmission Loss (MU)	715.96	813.54	887.67
4	Net Power available at Discom periphery (MU)	11607.01	12308.01	13546.04
5	Less:Distribution Loss (%)	25.00	30.50	26.00
6	Less:Distribution Loss (MU)	2901.75	3753.94	3521.97
7	Units available for Sale (MU)	8705.25	8554.07	10024.07
				(Rs. In Cr.)
A	INCOME			
1	Gross Revenue by Sale of Power	2830.30	2819.73	3265.75

2	Miscellaneous Revenue	27.06	23.08	25.49
3	Incentive from REC	0.25	0.55	0.64
4	Incentive from PFC	0.50	0.65	0.84
5	Rebate for Prompt payment of power purchase etc.	15.00	42.25	42.50
	TOTAL INCOME (A)	2873.11	2886.26	3335.22
B	EXPENDITURE			
1	Employees cost	600.99	702.74	743.56
	Less: Capitalised	84.21	13.21	14.53
	Net	516.78	689.53	729.03
2	Administrative & General Expenses	47.32	50.19	51.99
	Less: Capitalised	9.94	4.74	5.21
	Net	37.38	45.45	46.78
3	Repairs & Maintenance	43.39	45.10	43.16
	Less: Capitalised	0.00	0.00	0.00
	Net	43.39	45.10	43.16
	Net Total (1+2+3)	597.55	780.08	818.97
4	Cost of power purchase	3613.71	4766.19	4369.11
5	Depreciation	102.00	112.00	118.00
6	Lease Rentals	0.00	0.48	0.56
7	Interest & Other Financial Charges:			
a)	Interest on Borrowings	765.23	1112.95	1569.68
	Less: Capitalised	60.61	87.12	122.56
	Net	704.62	1025.83	1447.12
b)	Other Financial Charges	18.90	14.64	15.17
	Total (a+b)	723.52	1040.46	1462.29
8	Rebate on supply of Energy at specified Voltage	20.80	20.13	20.41
	TOTAL EXPENDITURE (B)	5057.59	6719.34	6789.34
c)	Surplus (+) / Deficit (-) c/o	-2184.48	-3833.08	-3454.12
C	Surplus (+) / Deficit (-) b/o	-2184.48	-3833.08	-3454.12
	Less: Subsidy / Incentive			
1	Cash Support from GoR	144.00	132.33	152.00
2	Retention of ED	209.00	215.00	230.00
3	Subsidy towards additional power purchase in rabi season	0.01	61.20	0.01
4	Interest Subsidy on IBRD loan	5.72	5.72	5.41
5	Subsidy against Deficit	0.00	37.20	52.43
D	Net Surplus (+) / Deficit (-)	-1825.75	-3381.63	-3014.27

AVAILABILITY OF POWER:

(A.) For B.E. 2010-11 and R.B.E. 2009-10

The Discom is purchasing energy directly from different generating sources through a center, named as Rajasthan Discoms Power Procurement Cell (RDPPC)

The Budget Estimates and Revised budget Estimates for the year **2010-11** and **2009-10** respectively regarding availability of power are as under:
(Rs in Crore)

S.No	Particulars	Budget Estimates 2009-2010	Revised Estimates 2009-2010	Budget Estimates 2010-2011
1	Gross Power Purchased (MU)	12322.97	13121.55	14433.71
2	Less:Transmission Loss (in %)	5.81	6.20	6.15
3	Less:Transmission Loss (MU)	715.96	813.54	887.67
4	Net Power Purchased	11607.01	12308.01	13546.04
5	Less:Distribution Loss (in %)	25.00	30.50	26.00
6	Less:Distribution Loss (MU)	2901.75	3753.94	3521.97
7	Units available for Sale (MU)	8705.25	8554.07	10024.07

As per Revised Estimates **2009-10**, the gross power purchase and net availability of energy for sale has been estimated at **13121.55** MU and **8554.07** MU respectively. The gross Power purchase of **13121.55** MU is after adjusting the Inter Discom sale. Net Availability of energy has been worked out assuming distribution losses at **30.50%** and Transmission Losses at **6.20%** as against the estimated distribution losses of **25.00%** and transmission loss of **5.81%**. Transmission losses are showing increase apparently due to bilateral Power Purchase from distance regions viz. western and southern. The increase in the distribution losses is mainly due to failure of monsoon in the Discom's jurisdiction there by necessitating extra power purchase.

Release of all new agriculture connections in **2009-10** have been taken on metered supply basis in the view of RERC directions.

The details of energy purchase by Ajmer Discom from different sources and purchase cost for the Financial Year **2009-10** are as under: -

(A) RBE - 2009-10

(Rs. in Lacs)

S.No.	NAME OF THE FIRM	Revised Budget Estimates 2009-10		
		ENERGY (MU)	AVG. RATE	AMOUNT (lacs.)
(A)	NTPC			
1	SINGRAULI STPS	823.73	1.39	11428.71
2	RIHAND STPS	303.29	1.77	5375.85
3	ANTA GTPS	210.04	2.97	6244.37
4	AURIYA GTPS	163.40	3.16	5161.19
5	DADRI GPP	190.85	3.26	6219.89
6	FG unchahar TPS-I	63.30	1.90	1205.35
7	FG unchahar TPS-II	125.29	2.23	2792.44
8	FG unchahar TPS-III	80.14	2.24	1798.74
9	RIHAND -II STPS-Unit	294.25	2.01	5907.63
10	FARRAKA STPS(From ER)	32.37	2.74	888.03
11	KHALGAON STPS(From ER)	187.16	2.56	4782.50
12	TALCHAR	2.46	1.88	46.18
13	BARTH & KOLDAM+NCPD			
	TOTAL (A)	2476.28	2.10	52021.79
B	NHPC			
1	TANAKPUR HEP	15.56	1.30	201.73
2	SALAL HEP & SEWAL	29.88	0.71	211.33
3	CHAMERA-I	131.06	1.40	1835.73
4	CHAMERA-II	56.77	2.96	1680.33
5	URI HEP	77.78	1.44	1119.56
6	DHAULIGANGA+KOTASHWAR	44.40	1.98	877.81
7	DULHASTHI+ SEWAI	96.86	4.85	4697.24
	TOTAL (B)	452.31	2.35	10623.73
C	SJVNL-NATHPA-JHAKRI	217.36	2.61	5671.52
	TOTAL (C)	217.36	2.64	5729.00
D	NPCIL			
1	NAPP	25.50	2.01	513.70
2	RAPP-I			
3	RAPP-II	160.90	2.87	4612.33
4	RAPP-III + IV	220.45	2.86	6294.69
5	RAPP-V	16.04	2.98	478.74
	TOTAL (D)	422.89	2.81	11896.93
	TOTAL (A to D)	3568.84	2.25	80271.45
D-1	TEHRI HYDRO	58.64	5.72	3355.59
	TOTAL (A to D-I)	3627.48	2.31	83627.04

E	NCES			
1	WIND FORMS			
2	BIOMAS	952.86	4.22	40194.27
3	CAPITIVE POWER			
4	HZL			
	TOTAL (E)	952.86	4.22	40194.27
	TOTAL (A to E)	4580.34	2.70	123821.31
F	State Gen. & Others			
1	Kota tps			
2	Suratgarh tps			
3	Ramgarh gtps			
4	Giral tps	135.62	0.57	767.61
5	Dholpur			
6	Mahi-I&Mahi-II			
7	STPS MMH			
8	Mini Micro Hydels			
9	Chhabra			
10	RVUN	5737.53	2.96	169592.39
	TOTAL (F)	5873.15	2.90	170360.00
G	OTHERS			
1	TALA POWER	21.23	1.53	325.26
2	ULTRA MEGA POWER			
3	BILATERAL	1832.81	6.29	115198.16
	TOTAL G	1854.04	6.23	115523.42
	TOTAL A TO G	12307.53	3.33	409704.73
H	New Project			
1	RAPP-V & K'Gaon			
2	KOL DAM (HYDRO)			
3	rajwest			
4	POWER EXCHANGE (IEX & PXIL)	682.19	5.83	39783.86
	TOTAL (H) (NEW PROJECTS)	682.19	5.83	39783.86
I	TRANSMISSION CHARGES			
1	PGCIL			9768.65
2	RVPNL			30082.28
3	SLDC CHARGES			780.24
4	BILATERAL			
	TOTAL(I)			40631.17
	TOTAL (A to I)	12989.72	3.77	490119.76
J	SHARE PROJECTS			
1	BBMB (BHAKRA DEHRA&PONG)	746.20	0.31	2337.95

2	CHAMBAL			
3	SATPURA			
	TOTAL (J)	746.20	0.31	2337.95
K	Bhakra - RFF			
L	UI Charges	56.50	5.97	3373.05
	TOTAL (L)	56.50	5.97	3373.05
	Inter Discom	-670.87	2.86	-19211.77
	GRAND TOTAL	13121.55	3.63	476618.99

(B) For B.E. 2010-11

The details of energy purchased by Ajmer Discom from different sources and purchase cost for the Financial Year 2010-11 are as under: -

(Rs. in Lacs.)

S.No.	NAME OF THE FIRM	BUDGET ESTIMATES 2010-11		
		ENERGY (MU)	AVG. RATE	AMOUNT (Lacs)
(A)	NTPC			
1	SINGRAULI STPS	862.10	1.33	11444.00
2	RIHAND STPS	323.50	1.80	5838.00
3	ANTA GTPS	330.60	2.36	7786.00
4	AURIYA GTPS	283.30	2.35	6657.00
5	DADRI GPP	229.00	3.71	8506.00
6	FG unchahar TPS-I	74.50	1.93	1436.00
7	FG unchahar TPS-II	136.80	2.04	2797.00
8	FG unchahar TPS-III	91.50	1.88	1722.00
9	RIHAND -II STPS-Unit	301.30	1.98	5966.00
10	FARRAKA STPS(From ER)			
11	KHALGAON STPS(From ER)	189.56	2.50	4731.00
12	TALCHAR			
13	BARTH & KOLDAM+NCP+ER	92.95	2.22	2066.00
	TOTAL (A)	2915.11	2.02	58949.00
B	NHPC			
1	TANAKPUR HEP	112.60	1.37	1541.00
2	SALAL HEP & SEWAL	46.40	0.76	352.00
3	CHAMERA-I	18.80	1.30	244.00
4	CHAMERA-II	209.80	1.46	3067.00
5	URI HEP	90.30	3.07	2772.00
6	DHAULIGANGA+KOTASHWAR	137.90	2.98	4108.00
7	DULHASTHI+ SEWAI	69.10	2.08	1434.00
	TOTAL (B)	684.90	1.97	13518.00
C	SJVNL-NATHPA-JHAKRI	393.20	2.69	10577.00
	TOTAL (C)	393.20	2.69	10577.00
D	NPCIL			

1	NAPP	30.50	1.94	593.00
2	RAPP-I			
3	RAPP-II	255.30	2.75	7017.00
4	RAPP-III			
5	RAPP-V+ VI	209.60	2.75	5757.00
	TOTAL (D)	495.40	2.70	13367.00
	TOTAL (A to D)	4488.61	2.15	96411.00
D-1	TEHRI HYDRO	52.40	4.58	2402.00
	TOTAL (A to D-I)	4541.01	2.18	98813.00
E	NCES			
1	WIND FORMS			
2	BIOMAS	330.20	4.58	12216.00
3	CAPITIVE POWER			
4	HZL			
	TOTAL (E)	330.20	3.70	12216.00
	TOTAL (A to E)	4871.21	2.28	111029.00
F	State Gen. & Others			
1	Kota tps			
2	Suratgarh tps			
3	Ramgarh gtps			
4	Giral tps			
5	Dholpur			
6	Mahi-I&Mahi-II			
7	STPS MMH			
8	Mini Micro Hydels			
9	Chhabra			
10	RVUN	7616.33	3.04	231629.00
	TOTAL (F)	7616.33	3.04	231629.00
G	OTHERS			
1	TALA POWER	38.50	1.84	708.00
2	ULTRA MEGA POWER			
3	BILATERAL	484.80	6.17	29912.00
	TOTAL G	523.30	5.85	30620.00
	TOTAL A TO G	13010.84	2.87	373278.00
H	New Project			
1	RAPP-V & K'Gaon			
2	KOL DAM (HYDRO)			
3	rajwest	614.40	2.43	14930.00
4	IEX & PXIL	42.77	5.00	2138.50
		657.17	2.60	17068.50
I	TRANSMISSION CHARGES			
1	PGCIL			8967.54
2	RVPNL			33696.38
3	SLDC CHARGES			903.34
4	BILATERAL			
	TOTAL(I)	0.00		43567.26
	TOTAL (A to I)	13668.01		433913.76

J	SHARE PROJECTS			
1	BBMB (BHAKRA DEHRA&PONG)	765.70	0.39	2997.08
2	CHAMBAL			
3	SATPURA			
	TOTAL (J)	765.70	0.39	2997.08
K	Bhakra - RFF			
L	UI Charges			
	TOTAL (L)			
	Inter Discom	0.00		0.00
	GRAND TOTAL	14433.71	3.03	436910.84

During the year **2010-11**, the Gross power purchase and net availability of energy for sale is estimated as **14433.71** MU and **10024.07** MU respectively. During the year targeted distribution loss level and transmission loss level is estimated to be **26%** and **6.15%** respectively. In this computation, agriculture flat rate consumption is arrived at as per the norms given by the RERC.

Revised Estimates vis-a-vis Budget Estimates 2009-10

(Rs. in Crore)				
S. No.	Particulars	Revised Estimates 2009-2010	Budget Estimates 2009-2010	Variation Increase (+)/Decrease (-)
1	Revenue from sale of power and other Miscellaneous Income	2886.26	2873.11	13.15
2	Expenditure	6719.34	5057.59	1661.76
3	Deficit	-3833.08	-2184.48	-1648.61

Income from sale of power has been estimated as Rs. **2886.26** Crore, as against the original estimate of Rs. **2873.11** Crore. Miscellaneous Revenue is estimated to be Rs. **24.28** Crore as against the original estimates of Rs. **27.81** Crore, and Rebate for prompt payment and incentives is estimated to be Rs. **42.25** Crore against the original estimate of Rs. **15.00** Crore.

EXPENDITURE:

The Revised Budget Estimates **2009-10** reflect an increase of Rs. **1661.76** Crore in expenditure over Budget Estimates **2009-10**.

Due to increase in power purchase cost, the total expenditure is increasing. Power purchase cost has increased by Rs. **1152.48** Crore. The Administrative and General Expenditure slightly increased by Rs. **8.07** Crore in comparison to **BE 2009-10**.

There is an increase of Rs. **172.75** Crore in employees cost. As per the meeting of Director (Finance) of all the Five Power Sector Companies out of a provisions of Rs. **5000** Crore towards Superannuation and Gratuity Fund, the share of AVVNL comes to Rs. **1050** Crore upto **31.03.2010** pending actuarial valuation. A provision of Rs. **376.66** Crore is being provided in **RBE 2009-10**. A sum of Rs. **0.60** Crore attributes to 6th Pay Commission for the year towards Arrear.

SURPLUS / DEFICIT:

As against the deficit of Rs. **2184.48** Crore in Budget Estimates **2009-10**, the Revised Estimates **2009-10** depicts a deficit of Rs. **3833.08** Crore i.e., a increase of Rs. **1648.61** Crore as compared to original estimates.

Increase is mainly due to increase in power purchase cost of Rs. **1152.48** Crore (Rs. **4766.19** Crore as compared to original Rs. **3613.71** Crore). The distribution loss is estimated to be **30.50%** as against **25.00%** in Budget Estimates.

Also, there is an increase in employees cost by Rs. **172.75** Crore on account of impact of annual increments, increase in DA rates and Provision for Superannuation fund.

The high Distribution loss level arose mainly on account of:

- a) More consumption by Agriculture Flat consumers due to failure of monsoon.
- b) The trend of big Industrial consumers to set up their own captive power plants and also to go in for open access is reducing their consumption. Energy sales for large industrial consumer alone has decrease by **318.42** MU in **RBE 2009-10** from **2212.39** MU as was taken in **BE 2009-10**. This has adversely affected the consumer mix.
- c) Adversity of Monsoon Rains

Budget Estimates 2010-11

The Budget Estimates for Revenue Account for the year **2010-11** as compared to the revised estimates for **2009-10** are as under: -

(Rs. in Crore)

S. No.	Particulars	Budget Estimates 2010-2011	Revised Estimates 2009-2010	Variation Increase (+)/Decrease (-)
1	Revenue from sale of power and other Miscellaneous Income	3335.22	2886.26	448.96
2	Expenditure	6789.34	6719.34	69.99
3	Deficit	-3454.12	-3833.08	378.97

Revenue from sale of power and miscellaneous income is projected to increase by Rs. **448.96** Crore. This increase is the result of following factors: -

- (a) Distribution Losses are proposed to be reduced by **4.50%** during the year **2010-11**.
- (b) Increase in demand is projected in all categories of Consumers.

EXPENDITURE:

The Expenditure for **2010-11** is estimated at Rs. **6789.34** Crore as against the estimated expenditure of Rs. **6719.34** Crore as per the Revised Estimates **2009-10**. There is a decrease of Rs. **69.99** Crore.

This is the result of following factors: -

- (a) Though the estimated power purchases for FY **2010-11** (i.e., **14433.71** MU) is higher by **1312.16** MU in comparison to the revised estimated power purchases for FY **2009-10** (i.e., **13121.55** MU). The share of Power Purchases from RVUN is **43.73%** of the Total Power purchases whereas during the year **FY 2010-11** it will go up to **52.77%** which is cheaper from other sources.
- (b) A provision of Rs. **386.95** Crore is being provided towards superannuation and gratuity fund pending actuarial valuation.

SURPLUS / DEFICIT:

The Budget Estimates for **2010-11** reflect deficit of Rs. **3454.12** Crore, which is Rs. **378.97** Crore less than the deficit envisaged for the Revised Estimates **2009-10**.

MEASURES TO IMPROVE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE COMPANY

(i) Anti theft Measures: -

- (a) Intensive vigilance checking –intensive and regular vigilance checking was made by (O&M) and vigilance wing.
 - (b) Selective checking during night hours.
 - (c) After constitution of special Courts, large No. of cases have been lodged in these courts.
 - (d) Checking of Highway Dhabas, Large commercial complexes, showrooms, poultry farm and Oil / Ice factories
 - (e) Inter division cross checking on every month.
- (ii) Electro-mechanical and stopped or defective meters have been replaced by electronic push fit type meters.
 - (iii) Various activities like complete renovation of SIP and NDS connections, proper sealing of metering devices have been under taken under FRP.
 - (iv) LT less system -All new connections in rural areas are being released under LT less system as well as LT lines are also being converted into 11kv lines.

- (v) Intensive electrification under APDP-Under this program maintenance of lines & transformers, installation of new distribution transformers and upgrading the capacity of distribution transformers etc. are being carried out in various circles/towns.
- (vi) Maximum conversion of overhead lines by Arial Bunched Cable (ABC) in theft prone area under FRP & RGGVY schemes.
- (vii) Urban Focus Scheme is also under implementation for reducing T&D losses and improving electrical network in urban areas up to an extent of **15%**.
- (viii) Large number of Distribution Transformers were arranged to ensure replacement of burnt transformers within 72 hours.
- (ix) Spot checking of meters.
- (x) Load survey of the consumers.
- (xi) Errection of New 33/11 KV GSS.
- (xii) Errection of Gram Panchayat Sub-station / Feeders under Gram Panchayat Vidyt Vitran Yojana.
- (xiii) MIP Billing at Company level.
- (xiv) Spot photo billing of Consumers in two sub-division of Ajmer Circle (Pilot Projects).

EXPENDITURE ON WELFARE ACTIVITIES BY JMC: -

Joint Management Council of erstwhile RSEB is responsible for various welfare activities in respect of employees of all the successor entities / companies. A sum of Rs. **77.61** Lacs has been provided in the revised estimates for **2009-10** and Rs. **82.11** Lacs in the budget estimates for **2010-11** for various welfare activities and for R&T expenses.

SHARE IN R&M, EMPLOYEE COST AND ADMINISTRATIVE & GENERAL EXPENSES OF PF OFFICE BY SUCCESSIVE ENTITIES OF RSEB:-

A Sum of Rs. **64** Lacs has been provided in the revised estimates for the Financial Year **2009-10** and Rs. **67.50** Lacs in the Budget Estimates for **2010-11** on this account.

The position of Net Internal Resources for the year 2009-10 and 2010-11 is as under:

DETAILS OF INTERNAL RESOURCES

(Rs. in Crore)

S. No.	Particulars	Budget Estimates 2009-2010	Revised Estimates 2009-2010	Budget Estimates 2010-2011
1	Surplus (+) / Deficit (-) after cash support from GoR & Incentive from APDP	-1825.75	-3381.63	-3014.27
2	Add: Depreciation	102.00	112.00	118.00
3	Add: Bad Debt W/off	2.10	3.42	3.43

4	Net Deficit (1+2+3)	-1721.65	-3266.21	-2892.84
5	Deposit for Specific Job/Security Deposit	27.26	29.99	31.35
6	Interest free loan for purchase of addl. Power	0.01	0.00	0.00
7	Int. free loan against relief package	0.00	110.40	0.00
8	Consumers Contribution	111.21	132.41	145.65
9	Increase (-) / Decrease (+) in stores	2.00	2.00	2.00
10	Total (4+5+6+7+8+9)	-1585.17	-2995.41	-2717.84
11	Less: Repayment to financial institutions	129.58	147.54	213.98
12	Net Internal Resource (Cash Generated)(10-11)	-1714.75	-3142.95	-2931.82
13	Short Terms Loan for Working Capital Requirements (Net)	0.00	0.00	0.00
14	Total Cash Deficit (12-13)	-1714.75	-3142.95	-2931.82

CAPITAL ACCOUNT:

Subsequent to the finalization of the plan for **2009-10**, the Power companies have been given significantly higher targets in the year **2010-11**. The details of such enhanced activities are as under for distribution companies:

- i) GOR announced that the pendency of applications for release of agricultural Connections (**1.75 Lacs**) would be cleared in three years commencing from **2004-05**. The number of connections released in **2009-10** up to **March, 2010** is **20800**.
- ii) The companies have desired to increase the number of domestic connections and also to increase the electricity coverage of house holds mainly in rural areas. The number of Domestic connections released up to **March, 2010** is **225000**.
- iii) Distribution reforms for loss reduction including prevention of theft were intended to be taken up in a large way from FY **2006-07** and onwards.
- iv) With a view to curb theft and to reduce transmission and distribution losses, the company has made progress under Feeder Renovation Program (FRP) during the year under review.

This requires substantial capital investment. The enhancement in the targets insists Ajmer Discom to increase the capital budget, but the Discom has only provided **Rs. 840.00** Cores in Plan for the FY **2009-10**. Hence the Discom has to fulfill the requirement from outside the plan resources.

3.1 REVISED CAPITAL WORKS ESTIMATES 2009-10

The details of capital expenditure under Annual Plan (Revised) approved by the State Govt. and that funded from other than Annual Plan are indicated as Follows:

(Rs. In Crore)

Statement showing Revised Capital Works Estimates for FY 2009-10

S.No.	Capital Works	Plan Works	Work funded through other sources viz. REC/PFC/ Deposits/ Consumers contributions etc.	Total
1	Sub-transmission & Distribution Development Works	405.00	0.00	405.00
2	Rural Electrification including Release of new connection	205.00	55.34	260.34
3	Rajeev Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojna	30.00	56.59	86.59
4	Feeder Renovation Programme	190.00	9.30	199.30
5	Deposits Works	0.00	49.77	49.77
6	Civil Works	0.00	15.15	15.15
7	Others Work, from Cash Support (T&P/Vehicles)	0.00	4.00	4.00
8	Information Technology	0.00	0.00	0.00
9	R - APDRP	10.00	5.00	15.00
	Total Works	840.00	195.15	1035.15

The Annual Plan outlay for sub-transmission & distribution development works and rural electrification works for 2009-10, which was kept at Rs.**840.00** Crore.

A. Sub Transmission & Distribution Programme

A provision of Rs. **405.00** Crore has been kept for sub transmission and Distribution plan works including LT less system. This provision is also meant to provide circuit breakers both for 33 and 11 KV Substations, release of service connections, extension of 11 KV, LT less system and matching funds for schemes to be financed by PFC/FIs and GOI, under APDRP Schemes for other than Plan works.

During the year Ajmer Discom has erected (estimated) **370** KM 33 KV lines, **4250** KM 11KV lines and **10000** KM LT lines and **100** Nos. of 33 KV substation having capacity of **315** MVA have been installed. Further **30000** Nos. of distribution transformers estimated to install having capacity of **845** MVA.

B. Rural Electrification:

- (i) A total provision of Rs. **235** Crore has been kept for Rural Electrification Programme including RGGVY scheme during **2009-10**, which includes electrification of **250** Villages, Energisation of **20800** Pump Sets. This provision includes system improvement schemes sanctioned by REC. Apart from above, a provision of Rs. **205** Crore has been kept for RE works including release of New connection.
- (ii) Revised Estimate for Works also includes **100000** BPL Service connections under RGGVY to be financed by REC. The Ministry of Power is providing subsidy /grant for BPL connections under RGGVY Scheme and during the year **2009-10**, **10** Nos. Schemes are operative in different districts and out of which 6 old schemes are near completion namely Ajmer, Bhilwara, Sikar, Dungarpur, Rajsamand and Jhunjhunu. New Schemes are Chittorgarh, Udaipur Banswara and Nagaur.

C. Feeder Renovation Programme

To control distribution losses, the company has undertaken Feeder Renovation Program during the year. Total **2310** out of **2975** Nos. of Feeders will be completed up to March. These Feeders are to be renovated partially on turnkey. For FRP (Feeder Renovation Programme) Rs.**190** Crore has been kept under plan works and Rs.**9.30** Crore has kept under non-plan works.

3.2 CAPITAL WORKS ESTIMATES 2010-11

As against the Annual Plan of Rs. **840.00** Crore for **2009-10**, the Annual Plan allocation for the F.Y. **2010-11** approved and intimated by the Planning Department Govt. of Rajasthan is Rs. **945.00** Crore. The provision for capital expenditure to be incurred under planned and non-plan activity during **2010-11** is as under: -

(Rs. in Crore)

Statement showing Capital Works Estimates for FY 2010-11

S.No.	Capital Works	Plan Works	Work funded through other sources viz. REC/PFC/ Deposits/ Consumers contributions etc.	Total
1	Sub-transmission & Distribution Development Works	392.00	0.00	392.00

2	Rural Electrification including Release of new connection	408.00	0.00	408.00
3	Rajeev Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojna	60.00	0.00	60.00
4	Feeder Renovation Programme	15.00	147.47	162.47
5	Deposits Works	0.00	24.12	24.12
6	Civil Works	0.00	10.72	10.72
7	Others Work, from Cash Support (T&P/Vehicles)	0.00	4.00	4.00
8	Information Technology	0.00	0.00	0.00
9	R - APDRP	70.00	45.00	115.00
	Total Works	945.00	231.31	1176.31

A. Sub-Transmission and Distribution

A provision of Rs. **392** Crore has been kept in the Plan for Sub-Transmission & Distribution System Improvement Schemes and LT less system improvement schemes during **2010-11**. This provision is required for Sub-Transmission & Distribution improvement schemes, LT less system, to provide circuit breakers on both 33/11 KV, extension of 11 KV lines, release of service connections for its identified schemes and other FI/Banks for works other than Plan. Proposed works includes extension / replacement of 33 KV lines by **370** Kms, and construction of 33/11 KV **100** Nos Sub stations of total capacity of **315** MVA.

B. Rural Electrification

A provision of **408** Crore has been kept for Rural Electrification programme Rs. **60** Crore has been kept RGGVY during **2010-11**, which includes electrification of 500 Villages, Energisation of **22000** Wells. A provision of **200000** BPL Service connections under RGGVY which are to be financed by REC.

C. Intensive Capital Works Programme for Feeder Renovation:

Financial year **2009-10** was the year in which substantial FRP works took place, renovating **100%** of feeder and the partial work for remaining **806** feeders are to be completed during **2010-11**, for which a provision of Rs. **15** Crore and Rs. **147.47** Crore under non-plan has been kept in the Budget Estimates **2010-11** and targeted to be completed by **Sept. 2010**.

D. Gram Panchayat Vidyut Vitran Yojana.

A scheme has been launched to connect each Panchayat with separate 11KV line from 33KV sub-station under this scheme new 33KV sub-station will be constructed for better quality and reliable supply in Rural Areas. During **2009-10** total **85** Nos. 33KV sub-stations in Rural Areas will be constructed. During **2010-11** total **95** Nos. 33KV sub-station will be constructed.

E. R – APDRP

To make system IT enabled and bring down losses of Urban Area, a scheme name Restructured Accelerated Power Development Reforms Programme has been launched by Govt. of India, in towns having population more than **30000** each will be covered. In this programme infrastructure for IT enabling and loss deduction will be provided. There are **29** Nos. such towns in which this scheme will be executed.

Execution of Plan and other than Plan works proposed in the Budget Estimates 2010-11 will depend upon mobilization of resources, as envisaged. Proactively N. I. Ts. for procurement of requisite material shall be issued timely but purchase/work orders shall be issued only after having ensured that the requisite funds are tied- up. For this propose the respective departments' viz. MM, RE, Planning, and finance shall be individually vis-à-vis collectively responsible for successful and timely execution.

Budget Estimate is submitted for perusal and approval of Board of Directors.

मैनुअल-12

कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं ।
निगम द्वारा आम जनता को लाभ देने के लिए किसी विशेष कार्यक्रम का संचालन नहीं किया जाता है । अतः निचे अंकित प्रोफार्मा में निगम को कोई जानकारी देना अपेक्षित नहीं है ।

- Name of Programme
- Type(Concession/Permits/Authorization)
- Objective
- Targets set(For the last year)
- Eligibility
- Criteria for the eligibility
- Pre-requisites
- Procedure to avail the benefits
- Time limit for the concession/permits/authorization
- Application fee
- Application format
- List of attachments(Certificates/documents)
- Format of Attachments
- List of beneficiaries in the format given below:-

S.No/ Code	Beneficiary Name	Validity Period	Parent/ Guadians	Address			
				District	City	Town/ Village	House No.

Also provide the following information for concession :-

Detail of the benefit given

Distribution of benefits

निगम द्वारा आम जनता को लाभ देने के लिए किसी विशेष कार्यक्रम का संचालन नहीं किया जाता है ।

अतः उक्त उल्लेखित प्रोफार्मा में निगम को कोई जानकारी देना अपेक्षित नहीं है ।

मैनुअल-13

अनुदान राज्य सहायता कार्यक्रम

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

भारत सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार जयपुर डिस्कॉम सन 2009 तक प्रत्येक गाँव में तथा सन 2012 तक प्रत्येक घर में विद्युत आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हैं। इस हेतु जयपुर डिस्कॉम ने जिला कलेक्टर के अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय विद्युत समिति के माध्यम से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कार्य करने हेतु प्रस्ताव बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम(आर.ई.सी.) से स्वीकृत कराये हैं।

इस योजना में प्रावधान किया गया है कि योजना आयोग से इस योजना हेतु तभी धनराशि दी जायेगी जबकि इसके प्रस्ताव जिला स्तरीय विद्युत समिति द्वारा अनुमोदित किये गये हो तथा विद्युत व्यवस्था देख रेख के लिए फ्रैंचाइजी नियुक्त किये गये हो। इन प्रस्तावों के अनुसार जयपुर डिस्कॉम द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना में 90 प्रतिशत राशि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम(आर.ई.सी.) से अनुदान के रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत राशि 5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण के रूप में प्राप्त होना प्रस्तावित है।

कुटीर ज्योति योजना

यह योजना भी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का हिस्सा हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को अजमेर डिस्कॉम द्वारा कुटीर ज्योति योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन जारी किये जाते हैं। इस योजना में विद्युत कनेक्शन स्थापित करने के लिये बी.पी.एल. परिवारों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा चयनित बी.पी.एल परिवारों को प्रतिवर्ष आवंटित लक्ष्यों के अनुसार आबादी क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन जारी किये जाते हैं। इस योजना में विद्युत कनेक्शन के लिए सर्विस लाइन, मीटर, एक पाइंट की फिटिंग मय बल्ब, आवेदन पत्र मय फीस, निर्धारित स्टाम्प पेपर, आवश्यक सुरक्षा राशि अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा वहन की जाती है जिसका कुल खर्च लगभग 3636 रु आता है। परन्तु इसके एवज में 1500/- रुपये प्रति विद्युत कनेक्शन भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है।

समझौता समितियाँ-

विद्युत चोरी के अतिरिक्त अन्य मामलों राजस्व वसूली के सम्बन्ध में विवाद होने पर कोई भी उपभोक्ता अजमेर डिस्कॉम द्वारा विभिन्न स्तरों पर गठित समझौता समितियों में अपना परिवेदना प्रस्तुत कर सकता है। इन समझौता समितियों को निम्नलिखित राशि तक के प्रकरण सुनने का अधिकार है-

समिति	विवादित राशि की सीमा	समिति का अध्यक्ष	निर्धारित शुल्क
उपखण्ड स्तरीय समझौता समिति	10,000 रुपये तक	सहायक अभियंता	50.00 रुपये
खण्ड स्तरीय समझौता समिति	25,000 रुपये तक	अधिशाली अभियंता	100.00 रुपये
वृत्त स्तरीय समझौता समिति	1,00,000 रुपये तक	अधिशाली अभियंता	200.00 रुपये
संभाग स्तरीय समझौता समिति	3,00,000 रुपये तक	संभागीय मुख्य अभियंता	500.00 रुपये
मुख्यालय स्तर पर	3,00,000 रुपये से अधिक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	3000.00 रुपये

जिला स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच-

कोई भी विद्युत उपभोक्ता विद्युत सेवा सम्बन्धी अथवा दो लाख रुपये तक की राजस्व राशि के राजस्व सम्बन्धी विवाद होने पर अपनी शिकायत जिला स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में कर सकता है। किसी भी उपभोक्ता को समझौता समिति एवं उपभोक्ता शिकायत मंच में से किसे एक में अपना परिवाद प्रस्तुत करने की छूट है। इस मंच के समक्ष प्रस्तुत होते समय उपभोक्ता अपने वकील को साथ ला

सकता है। जबकि समझौता समिति में वकील के अतिरिक्त किसी प्रतिनिधि को अपनी सहायता के लिये लाने का अधिकार है।

REVISED CAPITAL WORKS ESTIMATES 2009-10

The details of capital expenditure under Annual Plan (Revised) approved by the State Govt. and that funded from other than Annual Plan are indicated as Follows:

(Rs. In Crore)

Statement showing Revised Capital Works Estimates for FY 2009-10

S.No.	Capital Works	Plan Works	Work funded through other sources viz. REC/PFC/ Deposits/ Consumers contributions etc.	Total
1	Sub-transmission & Distribution Development Works	405.00	0.00	405.00
2	Rural Electrification including Release of new connection	205.00	55.34	260.34
3	Rajeev Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojna	30.00	56.59	86.59
4	Feeder Renovation Programme	190.00	9.30	199.30
5	Deposits Works	0.00	49.77	49.77
6	Civil Works	0.00	15.15	15.15
7	Others Work, from Cash Support (T&P/Vehicles)	0.00	4.00	4.00
8	Information Technology	0.00	0.00	0.00
9	R - APDRP	10.00	5.00	15.00
	Total Works	840.00	195.15	1035.15

The Annual Plan outlay for sub-transmission & distribution development works and rural electrification works for 2009-10, which was kept at Rs. **840.00** Crore.

A. Sub Transmission & Distribution Programme

A provision of Rs. **405.00** Crore has been kept for sub transmission and Distribution plan works including LT less system. This provision is also meant to provide circuit breakers both for 33 and 11 KV Substations, release of service connections, extension of 11 KV, LT less system and matching funds for schemes to be financed by PFC/FIs and GOI, under APDRP Schemes for other than Plan works.

During the year Ajmer Discom has erected (estimated) **370** KM 33 KV lines, **4250** KM 11KV lines and **10000** KM LT lines and **100** Nos. of 33 KV substation having

capacity of **315** MVA have been installed. Further **30000** Nos. of distribution transformers estimated to install having capacity of **845** MVA.

B. Rural Electrification:

- (iii) A total provision of Rs. **235** Crore has been kept for Rural Electrification Programme including RGGVY scheme during **2009-10**, which includes electrification of **250** Villages, Energisation of **20800** Pump Sets. This provision includes system improvement schemes sanctioned by REC. Apart from above, a provision of Rs. **205** Crore has been kept for RE works including release of New connection.

- (iv) Revised Estimate for Works also includes **100000** BPL Service connections under RGGVY to be financed by REC. The Ministry of Power is providing subsidy /grant for BPL connections under RGGVY Scheme and during the year **2009-10**, **10** Nos. Schemes are operative in different districts and out of which 6 old schemes are near completion namely Ajmer, Bhilwara, Sikar, Dungarpur, Rajsamand and Jhunjhunu. New Schemes are Chittorgarh, Udaipur Banswara and Nagaur.

C. Feeder Renovation Programme

To control distribution losses, the company has undertaken Feeder Renovation Program during the year. Total **2310** out of **2975** Nos. of Feeders will be completed up to March. These Feeders are to be renovated partially on turnkey. For FRP (Feeder Renovation Programme) Rs.**190** Crore has been kept under plan works and Rs.**9.30** Crore has kept under non-plan works.

CAPITAL WORKS ESTIMATES 2010-11

As against the Annual Plan of Rs. **840.00** Crore for **2009-10**, the Annual Plan allocation for the F.Y. **2010-11** approved and intimated by the Planning Department Govt. of Rajasthan is Rs. **945.00** Crore. The provision for capital expenditure to be incurred under planned and non-plan activity during **2010-11** is as under: -

A. Sub-Transmission and Distribution

A provision of Rs. **392** Crore has been kept in the Plan for Sub-Transmission & Distribution System Improvement Schemes and LT less system improvement schemes during **2010-11**. This provision is required for Sub-Transmission & Distribution improvement schemes, LT less system, to provide circuit breakers on both 33/11 KV, extension of 11 KV lines, release of service connections for its identified schemes and other FI/Banks for works other than Plan. Proposed works includes extension / replacement of 33 KV lines by **370** Kms, and construction of 33/11 KV **100** Nos Sub stations of total capacity of **315** MVA.

B. Rural Electrification

A provision of **408** Crore has been kept for Rural Electrification programme Rs. **60** Crore has been kept RGGVY during **2010-11**, which includes electrification of 500 Villages, Energisation of **22000** Wells. A provision of **200000** BPL Service connections under RGGVY which are to be financed by REC.

C. Intensive Capital Works Programme for Feeder Renovation:

Financial year **2009-10** was the year in which substantial FRP works took place, renovating **100%** of feeder and the partial work for remaining **806** feeders are to be completed during **2010-11**, for which a provision of Rs. **15** Crore and Rs. **147.47** Crore under non-plan has been kept in the Budget Estimates **2010-11** and targeted to be completed by **Sept. 2010**.

D. Gram Panchayat Vidyut Vitran Yojana.

A scheme has been launched to connect each Panchayat with separate 11KV line from 33KV sub-station under this scheme new 33KV sub-station will be constructed for better quality and reliable supply in Rural Areas. During **2009-10** total **85** Nos. 33KV sub-stations in Rural Areas will be constructed. During **2010-11** total **95** Nos. 33KV sub-station will be constructed.

E. R – APDRP

To make system IT enabled and bring down losses of Urban Area, a scheme name Restructured Accelerated Power Development Reforms Programme has been launched by Govt. of India, in towns having population more than **30000** each will be covered. In this programme infrastructure for IT enabling and loss deduction will be provided. There are **29** Nos. such towns in which this scheme will be executed.

Execution of Plan and other than Plan works proposed in the Budget Estimates 2010-11 will depend upon mobilization of resources, as envisaged. Proactively N. I. Ts. for procurement of requisite material shall be issued timely but purchase/work orders shall be issued only after having ensured that the requisite funds are tied- up. For this propose the respective departments' viz. MM, RE, Planning, and finance shall be individually vis-à-vis collectively responsible for successful and timely execution.

Budget Estimate is submitted for perusal and approval of Board of Directors.

इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाओं का विवरण

अजमेर डिस्कॉम द्वारा तैयार की जाने वाली निम्नलिखित सूचनाएँ कम्प्यूटर पर तैयार की जाती हैं जिन्हें कार्यावधि के दौरान कम्प्यूटर पर रखा जाता है तथा कार्य पूर्ण हो जाने अथवा सूचना के अवधि पार हो जाने के बाद उसे कम्प्यूटर से हटा दिया जाता है—

1. अजमेर डिस्कॉम द्वारा जारी की जाने वाली समस्त निविदाएँ वेबसाइट www.avvnl.com पर निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं।
2. अजमेर डिस्कॉम द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के विद्युत उपभोग बिल प्राइवेट कम्प्यूटर द्वारा तैयार सर्विस से संविदा के आधार पर तैयार करवाये जाते हैं।
3. निगम में विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न परिपत्र कम्प्यूटर पर तैयार किये जाते हैं।
4. अजमेर डिस्कॉम ने उदयपुर एवं झुंझुनू संभाग मुख्यालयों पर उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करने एवं उन्हें दुरस्त करने के लिये कॉल सेंटर स्थापित किये हैं। ये कॉल सेंटर पूरी तरह कम्प्यूटराईज्ड हैं। यहाँ समस्त सूचनाओं का संधारण कम्प्यूटर पर किया जाता है।
5. अजमेर डिस्कॉम की अधीक्षण अभियंता (RE & Plan) शाखा द्वारा विभिन्न योजनाओं, कार्यों एवं कार्यक्रमों— यथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना, त्वरित विकास योजना, आदि के प्रस्ताव तैयार करके भारत सरकार, राज्य सरकार, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, राज्य विद्युत विनियामक आयोग एवं अन्य संस्थाओं को भिजवाये जाते हैं। ये सभी प्रस्ताव कम्प्यूटर पर तैयार किये जाते हैं।
6. अजमेर डिस्कॉम की लेखा शाखा द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किये जाने वाले बजट प्रस्ताव भी कम्प्यूटर पर तैयार किये जाते हैं।
7. अजमेर डिस्कॉम की लेखा शाखा द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक लेखा प्रतिवेदन भी कम्प्यूटर पर तैयार किये जाते हैं।
8. अधिशाषी अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता स्तर तक विभिन्न मासिक सूचनाओं को कम्प्यूटर पर संकलित किया जाता है, इसमें विभिन्न योजनाओं की प्रगति, उपभोक्ताओं को दिये कनेक्शन, लम्बित कनेक्शन, विधुत तंत्र व एफ.आर.पी. की प्रगति, कृषि कनेक्शन, राजस्व प्रतिवेदन इत्यादि विभिन्न सूचनाये होती हैं।
9. अजमेर डिस्कॉम के निगम मुख्यालय में स्थित विभिन्न कार्यालयों, संभागीय मुख्य अभियंता कार्यालयों तथा अधीक्षण अभियंता कार्यालयों द्वारा विभिन्न कार्यालयों के मध्य होने वाले पत्राचार एवं दूसरी एजेंसियों के मध्य होने वाले पत्राचार कम्प्यूटर पर तैयार करके भिजवाये जाते हैं।
10. निगम मुख्यालय द्वारा जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्तियां जनसम्पर्क कार्यालय में कम्प्यूटर पर तैयार की जाती हैं।
11. अधीक्षण अभियन्ता(विधि) द्वारा निगम के पक्ष / विरुद्ध सभी न्यायालयों द्वारा निर्णित न्यायिक प्रकरणों का विवरण कम्प्यूटर में संधारित किया जाता है।
12. सर्तकता(शाखा) द्वारा संधारित शिकायते, निगम कार्मिको के विरुद्ध की जाने वाली जांचे इत्यादि।

मैनुअल 15

सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/ संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण:-
अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा मुख्यालय स्तर पर जनता तक सूचना पहुंचाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है।

1. समाचार पत्रों के माध्यम से :- अजमेर डिस्काम द्वारा विद्युत कटौती की सूचना, खरीददारी, टेरिफ आदि में संशोधन की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से अनिवार्य रूप से दी जाती है तथा योजनाओं, कार्यक्रमों, बैठकों में लिए गए निर्णयों, महत्वपूर्ण परिपत्रों आदि की सूचनाएं जन सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से जन सामान्य तक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा तथा विज्ञापनों द्वारा पहुँचाई जाती है।
2. बिजली कटौती की सूचना :- अजमेर डिस्काम के विभिन्न कार्यालयों द्वारा बिजली लाईनों के रख-रखाव करने तथा अन्य उद्देश्यों से अलग-अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन की जाने वाली बिजली कटौती की सूचना समाचार-पत्र में प्रकाशित करवाई जाती है।
3. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा :- अजमेर डिस्काम निगम मुख्यालय सहित जिला मुख्यालयों एवं शहरों में चलने वाले निगम की योजनाओं व उपलब्धियों संबंधी विभिन्न टी.वी. चैनलों के माध्यम से समाचार प्रसारित करवाये जाते हैं।

अन्य उपयोगी जानकारियाँ

विद्युत कनेक्शन लेने की प्रक्रिया—

विद्युत कनेक्शन लेने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रपत्र को पूर्णतः भरकर सम्बन्धित सहायक अभियंता के कार्यालय में निर्धारित राशि सहित प्रस्तुत करना होता है। कनेक्शन लेने का इच्छुक व्यक्ति राशि की जानकारी एवं फार्म भरने आदि में उपभोक्ता लिपिक से सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात् सहायक अभियंता द्वारा तकनीकी साध्यता के अनुसार तकमीना बनाकर सम्बन्धित व्यक्ति को शेष राशि यदि कोई हो तो उस राशि का मांगपत्र उसके पते पर प्रेषित किया जाता है तथा सम्बन्धित व्यक्ति को मांगी गयी राशि के साथ अपने परिसर में कनेक्शन हेतु फिटिंग का प्रमाण पत्र (एल फार्म) देना होता है। एल फार्म विद्युत निरीक्षक द्वारा अधिकृत एवं अनुज्ञापत्र धारक व्यक्ति/फर्म ही दे सकता है। तत्पश्चात् सहायक अभियंता द्वारा कनेक्शन जारी करने का आदेश सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता को पालनार्थ भेज दिया जाता है। सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता वरीयता के क्रम में विद्युत कनेक्शन स्थापित कर देता है।

विच्छेदित विद्युत कनेक्शन को दुबारा कराने की प्रक्रिया—

स्थायी रूप से विच्छेदित विद्युत कनेक्शन को कनेक्शन विच्छेद करने के पश्चात् निम्न अवधि में पुनः जुड़वाया जा सकता है—

1. कृषि श्रेणी उपभोक्ता – 15 वर्ष
2. अन्य उपभोक्ता – 2 वर्ष

इस अवधि में विद्युत उपभोक्ता को निश्चित प्रपत्र में पुनः कनेक्शन हेतु सम्बन्धित सहायक अभियंता के कार्यालय में अपनी खाता संख्या, सर्विस संख्या व श्रेणी का उल्लेख करते हुए आवेदन करना होता है। यह प्रपत्र सहायक अभियंता कार्यालय में उपलब्ध होता है। कनेक्शन को दुबारा जारी करने के लिये जयपुर डिस्कॉम श्रेणी अनुसार निर्धारित फीस लेता है। निम्न दाब (एल.टी.) उपभोक्ताओं से सिंगल फेज एवं थ्री फेज हेतु पुनः कनेक्शन शुल्क क्रमशः 200 रुपये एवं 500 रुपये निर्धारित है। अन्य श्रेणियों की जानकारी सहायक अभियंता कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

विद्युत कनेक्शन विच्छेद कराने की प्रक्रिया—

विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन कनेक्शन जारी होने के एक वर्ष की अवधि के पूरा होने के पश्चात् एक माह का नोटिस देते हुए करवाया जा सकता है। एक साल से पहले विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवाने के लिये एक वर्ष पूरा होने से शेष रही अवधि की न्यूनतम राशि का भुगतान करना होता है।

विद्युत कनेक्शन विच्छेद कराने हेतु सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अपनी संपूर्ण देय राशि का भुगतान करना होता है। अंतिम भुगतान करते समय उपभोक्ता की जमा प्रतिभूति का भी समायोजन कर दिया जाता है। इस कार्य की कोई फीस नहीं ली जाती है।

विद्युत भार बढ़वाने/घटवाने की प्रक्रिया—

विद्युत उपभोक्ता अपने स्वीकृत विद्युत भार को आवश्यकतानुसार बढ़वा/घटवा सकता है परंतु विद्युत भार प्रारंभिक एक वर्ष की अवधि में घटवा नहीं सकता है।

विद्युत भार बढ़वाने अथवा घटवाने के लिये उसे सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में निश्चित प्रपत्र में अपने पूर्ण विवरण यथा— श्रेणी, खाता संख्या, स्वीकृत विद्युत भार, वांछित विद्युत भार आदि सहित आवेदन कर सकता है। इसके लिये सहायक अभियंता कार्यालय द्वारा तकनीकी साध्यता की जांच कर तदनुसार मांगपत्र जारी किया जाता है। यदि श्रेणी परिवर्तन होता है तो उसे श्रेणी के अनुसार प्रतिभूति एवं

अन्य मदों पर देय राशि का भुगतान करना होता है। यदि श्रेणी परिवर्तन नहीं होता है तो केवल प्रतिभूति राशि का अंतर देय होता है।

यदि विद्युत उपभोक्ता स्वीकृत भार से वांछित विद्युत भार के अंतर का 500 रुपये प्रति किलोवाट/एच.पी. /के.वी.ए. की दर से पूर्ण रूप से आवेदन प्रपत्र भरकर एल फार्म के साथ सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करवा देता है तथा सहायक अभियंता से उसे किसी तरह की सूचना/स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तथा वह अन्य शर्तों को पूरी करता हो तो 30 दिन पश्चात् स्वतः विद्युत भार बढ़ा हुआ मान लिया जायेगा।

विद्युत मीटर की जांच करवाने की प्रक्रिया—

यदि उपभोक्ता अपने विद्युत मीटर की दक्षता से संतुष्ट नहीं है तो वह अपने विद्युत मीटर की जांच करवा सकता है। इसके लिये उसे सादा कागज पर अथवा मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिये निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित फीस के साथ आवेदन करना होता है। इस हेतु निम्नदाब (एल.टी.) उपभोक्ता को सिंगल फेज मीटर हेतु 35.00 रुपये तथा थ्री फेज मीटर हेतु 70.00 रुपये शुल्क जमा करवाने होते हैं। अन्य श्रेणियों के लिये अलग-अलग शुल्क निर्धारित हैं जिनका विवरण सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

खातेदार का नाम बदलवाने की प्रक्रिया—

यदि कोई विद्युत उपभोक्ता अपने आवासीय/औद्योगिक परिसर को बेच देता है तो क्रेता को नियमानुसार विद्युत कनेक्शन अपने नाम करवाने की सुविधा दी जाती है। इस हेतु क्रेता को सम्पत्ति क्रय करने का प्रमाण, निर्धारित आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क तथा प्रतिभूति राशि का अंतर सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करवाना होता है।

सामान्य शिकायतें दर्ज करवाने की प्रक्रिया—

विद्युत उपभोक्ता अपने परिसर में आने वाली विद्युत आपूर्ति के बाधित होने पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकता है। इसके लिये अजमेर नगर, में कॉल सेंटर की व्यवस्था की गयी है। अजमेर नगर के समस्त विद्युत उपभोक्ता दूरभाष संख्या 2623449 पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। जहाँ कॉल सेंटर स्थापित नहीं किये गये हैं वहाँ अलग-अलग क्षेत्रों में उपभोक्ता शिकायत केंद्र स्थापित किये गये हैं जिन पर व्यक्तिशः अथवा दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है।

टैरिफ का निर्धारण—

अजमेर डिस्कॉम द्वारा अपने उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली टैरिफ का निर्धारण राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा व्यापक जनसुनवाई के पश्चात् किया जाता है। टैरिफ की सूचना के लिये अलग से "टैरिफ फॉर सप्लाई ऑफ इलैक्ट्रिसिटी" नामक पुस्तिका प्रकाशित की जाती है।

क्या कोई उपभोक्ता अपने आवासीय परिसर में स्थापित वाणिज्यिक संस्थान में घरेलू श्रेणी विद्युत कनेक्शन से विद्युत उपभोग कर सकता है ?

अजमेर डिस्कॉम द्वारा अपने उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी गयी है कि वे उन मामलों में अपने आवासीय परिसर में लगे घरेलू श्रेणी विद्युत कनेक्शन से आवासीय परिसर में स्थित वाणिज्यिक संस्थान/दुकान/औद्योगिक इकाई में विद्युत का उपभोग कर सकता है जिनमें कि—

- (1.) वाणिज्यिक संस्थान/दुकान/औद्योगिक गतिविधि में कुल विद्युत भार 2 किलोवाट से कम हो।
- (2.) उस आवासीय परिसर की पंक्ति में तथा उसके सामने वाली पंक्ति में स्थित भवनों में दुकानों/वाणिज्यिक संस्थानों की संख्या कुल मकानों की 25 प्रतिशत अथवा उससे कम हो तथा
- (3.) वाणिज्यिक संस्थान/दुकान/औद्योगिक इकाई को केवल घर के सदस्य ही मिलकर चलाते हों तथा कोई भी कर्मचारी नियुक्त न हो।

क्या कोई उपभोक्ता अपने आवासीय परिसर में घरेलू श्रेणी में दो विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकता है ?

अजमेर डिस्कॉम अपने उपभोक्ताओं को एक आवासीय परिसर में एक नाम से एक ही घरेलू श्रेणी विद्युत कनेक्शन की सुविधा देता है। एक ही आवासीय परिसर में एक से अधिक परिवार रहते हों तो मकान मालिक की सहमति से अन्य परिवार/परिवारों को भी घरेलू श्रेणी विद्युत कनेक्शन दे सकता है। यदि आवासीय परिसर में वाणिज्यिक संस्थान/दुकान/औद्योगिक संस्थान स्थापित है तो उसके लिये अघरेलू श्रेणी का एक और कनेक्शन लिया जा सकता है।

अजमेर डिस्कॉम द्वारा किये जाने वाले पंजीकरण—

अजमेर डिस्कॉम द्वारा तीन तरह के पंजीकरण किये जाते हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है—

1. **संविदा पर कार्य करने वाले ठेकेदारों का पंजीकरण—** यह पंजीकरण मुख्यालय, मुख्य अभियंता कार्यालय तथा विभिन्न अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालयों द्वारा किया जाता है। पंजीकृत होने वाले ठेकेदारों से नियमानुसार पंजीकरण राशि/प्रतिभूति ली जाती है। पंजीकृत होने वाले ठेकेदार को निविदा भरते समय धरोहर राशि में नियमानुसार छूट होती है।
2. **विभिन्न श्रेणियों के आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण—** यह पंजीकरण मुख्यालय, मुख्य अभियंता कार्यालय तथा विभिन्न अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालयों द्वारा किया जाता है। पंजीकृत होने वाले ठेकेदारों से नियमानुसार पंजीकरण राशि/प्रतिभूति ली जाती है। पंजीकृत होने वाले ठेकेदार को निविदा भरते समय धरोहर राशि में नियमानुसार छूट होती है।
3. **विद्युत चोरी की सूचना देने वाले इन्फॉर्मर्स का पंजीकरण—** अजमेर डिस्कॉम कार्यक्षेत्र में स्थित विद्युत उपभोक्तों के यहाँ हो रही विद्युत चोरी की सूचना देने वाले व्यक्तियों को वसूल की गयी राशि का दस प्रतिशत अधिकतम पन्द्रह हजार रुपये प्रति प्रकरण नियमानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस हेतु सूचना दाता सभागीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्तकता के कार्यालय में तथा विभिन्न सहायक अभियंताओं के कार्यालयों में सूचना दे सकता है। सूचना दाता का नाम, पता एवं पहचान गुप्त रखी जाती है।
4. **विज्ञापन एजेंसियों का पंजीकरण—** अजमेर डिस्कॉम के जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा विभिन्न निविदा सूचनाओं/विज्ञापनों का प्रकाशन करवाने के लिये आई.एन.एस एक्रीडेटेड एजेंसियों का पंजीकरण किया जाता है। इसके लिये एजेंसी को पचास हजार रुपये की प्रतिभूति जयपुर डिस्कॉम में जमा करवानी होती है।

अन्य जानकारी—

मीटर की धरोहर राशि, मीटर बॉक्स की कीमत, ट्रांसफॉर्मर का किराया, रीसीलिंग चार्ज, विभिन्न कार्यों के लिये प्रार्थना पत्र शुल्क, प्रार्थना पत्र के साथ जमा करवाई जाने वाली राशि, धरोहर राशि, डुप्लीकेट बिल जारी करवाने का शुल्क, अन्य नियमों आदि की जानकारी एवं विभिन्न कार्यों हेतु देय शुल्क की संपूर्ण जानकारी हेतु अजमेर डिस्कॉम द्वारा "टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स फॉर सप्लाय ऑफ इलैक्ट्रीसिटी— 2004" का प्रकाशन करवाया गया है जिसे सांकेतिक मूल्य (वर्तमान में 30.00) पर आम जन को उपलब्ध करवाया जाता है।

लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर ।

1. विद्युत कनेक्शन बाबत्
2. विद्युत कटौती के संबंध में
3. विद्युत बिल ज्यादा आने के संबंध में
4. गांवों के विद्युतीकरण बाबत्
5. विद्युत तंत्र में सुधार बाबत्
6. वोल्टेज व्यवधान बाबत्

सूचना प्राप्त करने के संबंध में

- आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1 आवेदक का नाम
- 2 पता
- 3 सूचना की विशिष्टियां
 - (1) उस विभाग के कार्यालय का नाम जिससे संबंधित है
 - (2) सूचना की प्रकृति
 - (3) सूचना का पूर्ण ब्यौरा
 - (4) क्या फीस के संदाय का सबूत संलग्न कर दिया गया है

बैंकर्स चैक, मांग पत्र, पोस्टल आर्डर का विवरण

1. क्रमांक
2. जारी किये गये बैंक का नाम
3. राशि सूचना प्राप्त करने वाले हस्ताक्षर मय दिनांक

सूचना प्राप्त करने वाले हस्ताक्षर
मय दिनांक

आवेदक की पात्रता : बिजली कनेक्शन लेने हेतु आवेदनकर्ता द्वारा निगम द्वारा जारी मांग पत्र की राशि जमा कराने व आवेदनकर्ता को बिजली की लाईसेंसधारी ठेकेदार से फिटिंग करवाकर प्रमाण पत्र (फॉर्म) देने के पश्चात कनेक्शन जारी किया जाता है ।

पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो) :

आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें : आवेदन करने के लिए संबंधित सहायक अभियन्ता (पवस/ग्रामीण) के कार्यालय में सम्पर्क करें ।

आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) आवेदन शुल्क विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के लिए संबंधित सहायक अभियन्ता के कार्यालय में जमा कराना होगा :

1. आवेदन शुल्क

एल.टी.विद्युत सप्लाई के लिए:-

(अ) कृषि कनेक्शन के लिए सामान्य श्रेणी हेतु 75/- रुपये व विशेष श्रेणी के लिए 250/- रुपये प्रार्थना पत्र शुल्क है तथा प्रार्थना पत्र के साथ अग्रिम राशि सामान्य श्रेणी के लिए 2500/- रुपये व अनुसूचित जाति,जनजाति उपयोजना क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति और सहरिया क्षेत्र के पंचायत समिति के अनुसूचित जाति के लिए 250/- रुपये तथा विशेष श्रेणी के लिए 5000/- रुपये अग्रिम राशि जमा करायी जाएगी । अग्रिम राशि मांग पत्र में समायोजित की जाएगी

(ब) एल.टी.सिंगल फेस----- रुपये 200/-

एल.टी.तीन फेस----- रुपये 500/-

एस.टी.विद्युत सप्लाई के लिए :-

(अ) 11के.वी. के लिए-----रुपये 1000/-

(ब) 33के.वी. के लिए-----रुपये 2000/-

(स) 132के.वी. के लिए-----रुपये 4000/-

(द) 220के.वी. के लिए-----रुपये 4000/-

अन्य शुल्क/देय (जहां उचित हो) (1) कृषि कनेक्शन के लिए मांग पत्र की राशि:-

(अ) सामान्य श्रेणी

10 हॉर्स पावर तक-रुपये 2500/-प्र.हॉ.पा

10 हॉर्स पावर से अधिक परन्तु 20 हॉ.पा तक-रुपये 1000/-प्र.हॉ.पा

अतिरिक्त 20 हॉर्स पावर से अधिक रूपये 750/-प्र.हॉ.पा अतिरिक्त

उपरोक्तानुसार राशि एवं अमानता राशि का मांग पत्र जारी किया जाएगा ।

(ब) विशेष श्रेणी

- 11के.वी./एलटी लाइन रु 100/- प्रति मीटर. रु. 2000/- प्रति पोल
। (यदि 90 मीटर स्पॉन पर एक पोल लगता है तो चार्ज 9000/- + 2000/- = 11000 रु होगी)
- एलटी लाइन को 11केवी में बदलने के लिए रु 55/-प्रति मीटर ।
- सिंगल फेस को थ्री फेस करने के लिए रु 75/- प्रति मीटर । जिन मामलों में केवल सर्विस लाइन लगानी है या कुएं पर एक ही पोल लगाना है उन्हे भी एक पोल की कीमत रु. 11,000 देनी होगी ।
- सब स्टेशन/ट्रांस फार्मेशन चार्ज विशेष श्रेणी में सब स्टेशन/ ट्रांसफार्मेशन चार्ज रु. 1450/- प्रति हॉर्स 5 पावर मांग पत्र के साथ लिये जावेंगे जिसको वापिस नहीं किया जायेगा ।
- सर्विस सर्विस कनेक्शन चार्ज विशेष श्रेणी के कृषि आवेदको के लिए निम्नलिखित राशि ली जायेगी :-

10 हॉ.पा. तक रु. 1750/-

10 हॉ.पा. से अधिक रु.2200/-

(2) (A) राशि जो आवेदन पत्र के साथ जमा कराई जाएगी :-

- (1) एल.टी.विद्युत सप्लाई के लिए :-

क्र स

उपभोक्ता की श्रेणी

जमा कराने की राशि (रु.)

1

घरेलू

जनजाति उपयोजना श्रेत्र-750/-

ग्रामीण 1500/-

कच्ची बस्ती 2000/-

शहरी 3000/-

2

अघरेलू

ग्रामीण

भार 1 कि.वा.तक-2000 रु.

भार 1 कि.वा.-5 कि.वा.-3000 रु.

भार 5 कि.वा.-10 कि.वा.-5000 रु.

भार 10 कि.वा. से अधिक के लिए रु. 250/- अतिरिक्त प्र.कि.वा. या अंश के लिए लिए जाएंगे

शहरी

भार 1 कि.वा.तक-3000 रु.

भार 1 कि.वा.-5 कि.वा.-4000 रु.

भार 5 कि.वा.-10 कि.वा.-6000 रु.

भार 10 कि.वा. से अधिक के लिए रु. 250/- अतिरिक्त प्र.कि.वा. या अंश के लिए लिए जाएंगे

आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए व बताए कि आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)

आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नांकित है जो कि सहायक अभियन्ता कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध रहता है । प्रारूप के साथ ही अन्य जानकारी का विवरण भी प्रस्तुत है ।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
नये विद्युत सम्बन्ध के लिए आवेदन/अनुबन्ध प्रपत्र

(वित्त विभाग के आदेश क्र. एफ 1 (24) वित्त/शुल्क 196 दि. 19.04.04 के अनुसरण में समेकित स्टाम्प
इयूटी जमा)

श्रीमान् सहायक अभियन्ता

.....उप खण्ड

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

.....

1. आवेदक का नाम :-.....
2. पिता/पति का नाम :-.....
3. पूरा पता :-.....
.....
4. टेलीफोन नम्बर :-.....
5. मोबाइल नम्बर :-.....
6. कनेक्शन की श्रेणी :- घरेलू अघरेलू (दुकान, कार्यालय, होटल, मंदिर,
अस्पताल, स्कूल इत्यादि हेतु)
7. आवेदक की स्थिति :- मकान मालिक किराएदार
8. आवेदित सम्बद्ध भार :- किलोवाट
(सहायता हेतु पीछे क्रम संख्या 1 देखे)
9. आवेदक द्वारा जमा कराई गई राशि :-
(सहायता हेतु पीछे क्रम संख्या 2 देखे)
- (i) प्रार्थना पत्र शुल्क (ii) स्टाम्प इयूटी शुल्क
- (iii) मीटर बॉक्स कीमत..... (iv) मीटर सुरक्षा राशि
- (v) सुरक्षा राशि..... (vi) सरकारी आवास में रह रहे कर्मचारी हेतु उपरोक्त
- (vii) सर्विस कनेक्शन शुल्क..... (iv) एवं (v) (viii) अन्य कोई.....के स्थान पर सुरक्षा राशि

कुल योग रूपए

10. संलग्न दस्तावेज :- एल फार्म किरायेदार होने पर अनुबन्ध पत्र
मकान मालिक होने पर

(सहायता हेतु पीछे क्रम संख्या 3 देखें तथा जो अथवा क्षतिपूर्ति बंध पत्र भवन/परिसर के स्वामित्व के प्रमाण हेतु जो दस्तावेज लागू हो उस पर सही का निशान लगावें)

11. मैंने इस आवेदन/अनुबन्ध प्रपत्र के पीछे लिखी सभी शर्तें पढ़ एवं समझ ली है इन सभी शर्तों से मैं सहमत हूँ कि MD परिसर में कोई बकाया राशि निकलने पर मैं इसे जमा कराने को तैयार हूँ तथा इस प्रार्थना पत्र में कोई भी गलत सूचना देने पर अनुबंध को रद्द किया जा सकता है एवं यदि विद्युत सम्बंध दे दिया गया है तो, इस आधार पर विद्युत सम्बंध काटा जा सकेगा।

साक्षी के हस्ताक्षर

नाम :-

पता :-

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :-

पता :-

प्राप्ति रसीद

रु. रसीद संख्या दिनांक से प्राप्त किये।।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर